# भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE



# अविभाज्य कार्य संविदा मद दर ITEM RATE INDIVISIBLE WORKS CONTRACT

निर्माण एवं सहबद्ध कार्यों हेतु/FOR CIVIL AND ALLIED WORKS)

निविदा अधिसूचना एवं संविदा की शर्तें TENDER NOTIFICATION AND CONDITIONS OF CONTRACT

# आमुख

- 1. इस पुस्तक में अंतिरक्ष विभाग (अं.वि.) के निर्माण एवं सहबद्ध कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना (एन.आई.टी.) तथा अविभाज्य कार्य संविदा मद दर के लिए संविदा की शर्तें दी गई हैं।
- इसके तीन भाग हैं जैसे भाग-I निविदा चरण, भाग-II निविदा पश्च चरण और भाग-III प्रारूप तथा घोषणा, जिन्हें निविदाकार/ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करते समय भरना होगा।
- 3. निविदा दस्तावेजों को जारी करने से पहले, निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना पर अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी द्वारा सभी रिक्त स्थान ठीक ढ़ंग से भरे जाएं।
- 4. निविदाकार को अपनी दरें केवल इस निविदा के साथ संलग्न अनुसूची "क" में ही देनी होंगी।

\*\*\*\*\*\*

अ.वि./ इसरो

# अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
भाग-।:	निविदा चरण	<u>H-1</u>
क	निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना	<u>H-2</u>
ख	घोषणा/ निविदा जमा करना	<u>H-8</u>
भाग-॥:	निविदा पश्च-चरण	<u>H-11</u>
क	परिभाषाएं	<u>H-12</u>
ख	संविदा की सामान्य शर्तें (जी.सी.सी.)	<u>H-15</u>
ग	सामान्य दिशानिर्देश (संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के साथ पढ़ा जाए)	<u>H-63</u>

अ.वि./ इसरो

# भाग-। निविदा चरण

क. निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना

# भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग

निविदा सूचना सं दिनांक

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्यों हेतु मोहरबंद मद-दर निविदाएं आमंत्रित हैं।

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1.	कार्य का नाम	
2.	निविदा में दी गई प्राक्कलित लागत	₹
3.	कार्य पूरा होने की अवधि, महीनो में, जिसे कार्य आदेश जारी होने की तिथि के 15वें दिन से गिना जाए	
4.	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने करने की अवधि	सं
5.	बोली स्पष्टीकरण	से
6.	निविदा पाने की अंतिम तिथि एवं समय	तक
7.	निविदा खुलने की अंतिम तिथि एवं समय	
8.	बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.)	₹

### 2. पात्रता मापदंड

एजेंसी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

क्र.सं.		पात्रता मापदंड		पात्रता हेतु स्कैन किया हुआ दस्तावेजी
				अपलोड किया जाए
क.	पिछ	øले सात वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्य	i.	कार्य अनुभव प्रमाणित करने हेतु संबंधित
	संत	ोषजनक रूप से पूर्ण किए होने चाहिए।		प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य आदेशों एवं
	i.	तीन समान प्रकृति के कार्य, प्रत्येक की लागत		कार्य समापन के प्रमाण-पत्र।
		अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं होना	ii.	निजी पार्टियों द्वारा निर्गत कार्यों के लिए
		चाहिए <b>या)</b>		समापन प्रमाण-पत्रों की पुष्टि में टी.डी.एस.
	ii.	दो समान प्रकृति के कार्य, प्रत्येक की लागत		(स्रोत में कर की कटौती) प्रमाण-पत्र
		अनुमानित लागत के 60% से कम नहीं होना		संलग्न होने चाहिए।
		चाहिए <b>या)</b>		
	iii.	समान प्रकृति के एक कार्य, प्रत्येक की लागत		

	अनुमानित लागत के 80% से कम नहीं चाहिए।	होना
	ii. निष्पादित कार्यों का मूल्य, बोली के लिए उ	का कार्य होगा। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से गणना कर प्रति रस्तविक कीमत को बढ़ाते हुए वर्तमान लागत स्तर पर
ख.	31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक वित्तीय हेरफेर कार्य की प्राक्कलित लागत के 30% से कम नहीं होनी चाहिए।	
ग.	31 मार्च को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान दो से अधिक वर्षों में उनको किसी प्रकार की हानि न हुई हो।	
घ.	कार्य की अनुमानित लागत के 40% की धन राशि होनी चाहिए।	किसी अनुसूचित बैंक द्वारा वर्तमान सम्पन्नता प्रमाण- पत्र।
ভ.	ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत से अधिक होनी चाहिए। निविदाकर्ताओं द्वारा बोली लगाने की क्षमता का निर्धारण कर घोषित किया जाना चाहिए और निविदा दस्तावेज के लिए अनुरोध के साथ संलग्न की जानी चाहिए, जो (AxNx2)-B सूत्र पर आधारित हो। जहां,  A- पूरे किए गए कार्य तथा कार्य जो प्रगति पर है का ध्यान रखते हुए वर्तमान मूल्य स्तर पर गत 5 वर्षों के दौरान एक वर्ष (एक वर्ष में किया गया अधिकतम टर्नओवर) में किए गए अधिकतम कार्य का मूल्य।  B- वर्तमान मूल्य स्तर पर अगले वर्षों के दौरान पूरे किये जाने वाले चालू कार्यों के लिए मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धताओं का मूल्य।  N- कार्य की संविदा जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है, को पूरा करने हेतु निर्धारित वर्षों की संख्या।	<ul> <li>i. संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार विषयक निविदा हेतु उल्लेखित समापन की निर्धारित अविध के दौरान इसे प्रत्येक कार्यों के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता दर्शाते हुए चालू कार्यों का विवरण। यह पैरामीटर 'बी' की पुष्टि में आवश्यक है।</li> <li>ii. कार्य के मूल्य के लिए वर्तमान लागत स्तर को उपरोक्त नोट (ii) में उल्लिखित अनुसार निर्धारित किया जाए।</li> </ul>

- 3. मात्र निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने से ही निविदाकार बोली लगाने के लिए हकदार नहीं हो जाता। निविदाकार द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेज बाद में विभाग द्वारा सत्यापित किये जाएँगे। यदि वे अपेक्षानुसार नहीं पाए गए तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4. निविदाओं के साथ के पक्ष में जारी किसी अनुसूचित बैंक के माँग रसीद में जमा/मियादी जमा रसीद के रूप में (या) अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक प्रतिभूति के रूप में उपरोक्त पैरा 1 में निर्धारित मूल्य की बयाना राशि जमा संलग्न होनी चाहिए। बयाना राशि जमा निविदाओं की प्राप्ति की नियत तिथि से 180 दिनों तक वैध होनी चाहिए।
- 5. निविदाएं उपरोक्त पैरा 1 में उल्लेख की गई निर्धारित तिथि एवं समय पर समूह प्रधान /प्रधान, निर्माण एवं अनुरक्षण समूह/प्रभाग के कार्यालय में खोले जाएंगे।
- 6. बयाना राशि जमा की मूल प्रति को निविदा खोलने के लिए नियत दिन और समय पर या उसके पहले समूह प्रधान के कार्यालय/ प्रधान, निर्माण एवं अनुरक्षण समूह/प्रभाग को प्रस्तुत किए जाएं। यदि निविदा खोलने के लिए नियत दिन और समय पर या उसके पहले वैध बयाना राशि जमा प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 7. निविदा खुलने की अंतिम तिथि को जिन निविदाकारों ने वैध बयाना राशि जमा प्रस्तुत की है केवल उन्हीं की तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी। तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली खुलने के बाद आगे की विस्तृत संवीक्षा/मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के मूल्यांकन के दौरान, निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की विस्तार से जाँच की जाएगी। यदि कोई निविदा जो पात्रता मानदण्ड पूरा नहीं करती है तो उसे इस चरण पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे प्रस्तावों पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। इस चरण में तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) द्वारा निविदाकार के किए गए चुनिंदा कार्यों का निरीक्षण करते हुए निविदाकार की कार्यक्षमता का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन मानदण्ड सहित तकनीकी मूल्यांकन प्रारूप निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली एक निर्दिष्ट तिथि को (अर्ह निविदाकारों को नियत सूचना के साथ) खोली जाएगी जो जाँच और तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अर्ह पाई है और अनुबंधों के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
  - नोट: यदि कोई विशेष निविदाकार जिसे इसी प्रकार के और महत्व के किसी कार्य और मूल्यांकन के समान मानदण्ड हेतु गत एक वर्ष में किसी भी इसरो केंद्र द्वारा तकनीकी रूप से मूल्यांकित किया गया है तो ऐसे बोली लगाने वाले को पुनःमूल्यांकित नहीं किया जाएगा और पिछले मूल्यांकन के अंक वर्तमान निविदा के लिए पात्रता निर्धारण हेतु लिए जाएंगे।
- 8. ठेकेदार जिसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है को, उसे आशय-पत्र/कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रस्तावित राशि का 5% (पांच प्रतिशत) निष्पादन गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति, के पक्ष में जमा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा मांग रसीद/मियादी जमा रसीद के रूप में या निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक प्रतिभूति के रूप में होगी। यदि कोई ठेकेदार, बढ़ायी गई अवधि, यदि कोई हो, सहित निर्धारित अवधि के अंदर कथित निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है तो ठेकेदार द्वारा जमा की गई

बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और ठेकेदार को बिना कोई सूचना दिए आशय-पत्र/कार्य आदेश रद्द कर दिया जाएगा। निविदा के साथ जमा की गई बयाना राशि उपरोक्त कथित निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने के बाद ही वापस की जाएगी।

- 9. इच्छुक निविदाकार **समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी./ अभियंता-एस.जी./ अभियंता-एस.डी. एस.एफ./ अभियंता-एस.ई./ अभियंता-एस.डी.** की पूर्व अनुमित से निविदाएँ प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 10. भारत के राष्ट्रपित की ओर से निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी न्यूनतम या कोई अन्य निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। सभी निविदाएं जिसमें कोई निर्धारित शर्त पूरी नहीं की जाती है या निविदाकार औपबंधिक छूट की कोई शर्त रखता है तो उन्हें बिना विचार किए अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 11. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी कार्य आदेश जारी करने से पूर्व कार्य क्षेत्र में परिवर्तन/कार्य की मात्रा को कम करने का अधिकार भी रखता है और निविदाकार इस पर किसी भी प्रकार दावा नहीं कर सकता।
- 12. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी सम्पूर्ण निविदा या किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और निविदाकार प्रस्तावित दर पर कार्य निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा।
- 13. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिफारिश करने पर सख्त प्रतिबंध है और ठेकेदारों द्वारा सिफारिश का सहारा लेते हुए प्रस्तुत की गई निविदाएं अस्वीकार कर दी जा सकती हैं।
- 14. निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी समय-समय पर सरकार की नीतियों के अनुसार प्रस्तावों के लिए प्राथिमकता देने का विकल्प रखता है।
- 15. ठेकेदार को विभाग के उस केंद्र विशेष, जो ठेके को प्रदान करने और निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी है, के प्रभाग में कार्य करने हेतु निविदा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जहाँ उसका निकट संबंधी कार्यरत हो। उसे उन व्यक्तियों के नाम बताने होंगे जो उसके साथ किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं या तदुपरांत उसके द्वारा नियुक्त किए जाएँ और जो अंतरिक्ष विभाग में किसी राजपत्रित अधिकारी के निकट संबंधी हैं। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के किसी उल्लंघन पर निविदा को अस्वीकार या संविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
- 16. निविदा, उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट निविदा प्राप्ति की नियत तिथि से न्यूनतम 120 दिनों की अविध तक वैध होगी। यदि कोई निविदाकार वैधता अविध के अंदर प्रस्ताव वापस लेता है या निविदा के किसी भी नियम एवं शर्त में संशोधन करता है जो विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं है तो सरकार को किसी अन्य अधिकार या निवारण के पूर्वाग्रह के बिना बयाना राशि जमा का 50% (पचास प्रतिशत) पूर्णतया जब्त करने की छूट है। साथ ही, निविदाकार को कार्य की पुनःनिविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 17. निविदा तय होने पर, सफल निविदाकार के साथ एक करार किया जाएगा।

# निम्नलिखित दस्तावेजों की स्केन की हुई प्रति तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली के साथ प्रस्तुत की जाए अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी

- 1. संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्य हेतु जारी किया गया कार्य आदेश।
- 2. कार्य अनुभव के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र।
- 3. अर्हता मापदण्ड के अनुसार समान प्रकार तथा मात्रा के कार्य के निष्पादन के लिए दस्तावेजीय प्रमाण।
- 4. निजी संस्थाओं द्वारा जारी कार्य के पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ टी.डी.एस. (स्रोत पर कटौती किया गया कर) प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए।
- 5. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी 31.03.2015 तक पिछले पाँच वर्षों का लाभ एवं हानि दर्शाते हुए वार्षिक वित्तीय टर्नओवर तथा तुलन पत्र।
- 6. किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सम्पन्नता प्रमाण-पत्र (वर्तमान वित्त वर्ष)।
- 7. संविदा की सामान्य शर्तों में प्रपत्र-1 (पृष्ठ सं E.86) के अनुसार उपरोक्त निविदा हेतु निर्दिष्ट कार्य समाप्ति की अविध में इन सभी कार्यों के लिए वित्तीय वचनबद्धता को दर्शाते हुए जारी कार्यों की सूची।
- 8. संविदा की सामान्य शर्तों में प्रपत्र-2 (पृष्ठ सं E.86) के अनुसार कार्य का मूल्य, समाप्ति की तिथि, समय बढ़ाना, इत्यादि को दर्शाते हुए पूरे किए गए कार्यों की सूची।
- 9. पैन/टैन विवरण।
- 10. बयाना राशि जमा।
- 11. कंपनी का विस्तृत विवरण।
- 12. बोली लगाने की क्षमता की संगणना।
- 13. अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो।

# ख. निविदाकार/ संविदाकर्ता द्वारा घोषणा

# कार्यों हेतु मद दर निविदा

ज्ञापन

क) कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या, दिनांक तथा विषय

ख) अनुमानित लागत **₹** ग) बयाना राशि **₹** घ) निष्पादन गारंटी **₹** ङ) सुरक्षा जमा

- च) कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15वें दिन से कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय महीना
- 1. मैं/हम एतद्द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए इस लिखित ज्ञापन निविदा आंमत्रित करती अधिसूचना (एन.आई.टी.) में दिए गए कार्य के लिए ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपलोड की गई मात्रा की अनूसूची (अनुसूची-क) में दी गई दरों तथा सामान्य संविदा शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 11 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार लिखित में दी गई विशिष्टताओं, डिजाइनों, आरेखों तथा अनुदेशों के संबंध में तथा ऐसी सामग्री के साथ जो हर तरह से लागू शर्तों के अनुसार हो, के कार्यान्वयन के लिए निविदा देते हैं।
- 2. यदि इस निविदा को पूर्ण अथवा भाग में स्वीकार किया जाए तो मैं/हम इस निविदा के सभी निबंधनों तथा संविदा के सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) को पूरा करने तथा उसका पालन करने की सहमति देते हैं, तथा जी.सी.सी. के सामान्य अनुदेशों के साथ पिठत तथा इसके साथ संलग्न और एन.आई.टी. में शामिल सभी निबंधनों तथा प्रावधानों को मेरे/हमारे द्वारा पढ़ा गया है तथा जहाँ तक लागू है मुझे/हमें समझाया गया है अथवा इसमें हुई चूक के लिए भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि को उक्त शर्तों में उल्लेखित राशि का जुर्माने के तौर पर भूगतान करेंगे।
- 3. ₹\_\_\_\_\_\_ की राशि इसके साथ रेखांकित माँग ड्राफ्ट, मियादी जमा, अनुसूचित बैंक द्वारा अनुमोदित बैंक गारंटी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटी वाला अनुसूचित बैंक के कॉल रसीद के द्वारा बयाना राशि के तौर पर अग्रेषित किया जाता है। यदि मैं/हम उपरोक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य को शुरू करने से चूकते हैं तो मैं/हम इससे सहमत हैं कि राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि बिना किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के अथवा उपाय के, उक्त ई.एम.डी. जब्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।
- 4. विभाग द्वारा मेरे/हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने के मामले में, मैं/हम उद्देश्य पत्र/कार्य आदेश के जारी करने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर आवश्यक निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए सहमत हैं। यदि किसी मामले में, मैं/हम निर्दिष्ट अविध में तथा बढ़ाई गई अविध, यदि कोई हो तो इसे जमा करने से चूकते हैं, तो मैं/हम इससे सहमत हैं कि राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि बिना किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह अथवा उपाय के, उक्त ई.एम.डी. जब्त करने हेतू स्वतंत्र है।
- 5. मैं/हम निविदा दस्तावेजों में दिए गए सभी कार्यों को, उसमें दी गई निर्दिष्ट शर्तों पर करने, और उन्हें शर्तों के खंड 12 के अधीन दिए गए आदेश के ऐसी व्यतिक्रम में, जिन्हें आगे निविदा दस्तावेज में उद्धृत दरों की व्यतिक्रम सीमा कहा गया है तथा जो संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने वाली दर सीमा से अधिक हों, करने की सहमति देते हैं।
- 6. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेजों, आरेखों तथा कार्य से संबंधित अन्य रिकार्ड को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज मानेंगे तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से इसे हानि पहुँचाने के किसी भी मामले में इस सूचना का प्रयोग नहीं करेंगे तथा इसकी जानकारी किसी को नहीं देंगे।
- 7. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ....... के निर्माण तथा अनुरक्षण समूह के सिविल इंजीनियरी कार्यों के विनिर्देशों/इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु विनिर्देशों/वातानुकूल कार्यों हेतु विनिर्देशों के कार्यों की ... प्रति रखते हैं। मैंने/हमने उसमें दी गई विषय वस्तु को नोट करते हुए ग्रुप प्रधान, सी.एम.जी./प्रधान, सी.एम.डी. के कार्यालय में उपलब्ध विनिर्देशों की मास्टर कॉपी पर हस्ताक्षर किए हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमने विनिर्देशों का विस्तृत रूप से अवलोकन कर लिया है तथा उनकी बारीकी से जाँच कर ली है तथा मैं/हम इस कार्य हेतू ऐसे सभी विनिर्देशों के पालन हेतू अपनी प्रतिबद्धता की सहमति देते हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि निविदा दस्तावेजों में दिए गए विनिर्देशों अनुसार ही कार्य को पूरा किया जाएगा। जिन कार्य हेतू मदों को उपरोक्त दिए गए विनिर्देशों में नहीं शामिल किया गया है, उन्हें सूसंगत सी.पी.डब्ल्यू.डी. विनिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा, और यदि सी.पी.डब्ल्यू.डी. विनिर्देशों में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया है तो कार्य को भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत विनिर्देशों अनुसार पूरा किया जाएगा, और यदि उपरोक्त में से किसी में भी शामिल नहीं किया गया है, तो कार्य को प्रभारी, अभियंता द्वारा लिखित में दिए गए निर्देशों अनुसार पूरा किया जाएगा। 8. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परामर्शदाता से या अन्य किसी इकाई के साथ, जिसने परियोजना, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं, के लिए डिजाइन, विनिर्देशन और अन्य दस्तावेजों को तैयार किया है, से संबद्ध नहीं है, और न ही पूर्व में भी संबद्ध रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परामर्शदाता से या अन्य मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम किसी इकाई के साथ, जिसे विभाग द्वारा कार्यों जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, के पर्यवेक्षण की तैयारी के लिए परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराने हेत् कार्य पर रखा गया हो, से संबद्ध नहीं है, और न ही पूर्व में भी संबद्ध रहे हैं। मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हमारे उद्धत दर ऊपर उल्लेखित अनुसार है। ......माह का......दिन साक्षी/गवाह पता निविदाकारों/संविदाकारों का हस्ताक्षर वृत्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से एतद्द्वारा उपरोक्त निविदा के लिए ₹..... की राशि मेरे द्वारा स्वीकार की जाती है। .....विन निविदाकार/ठेकेदार का हस्ताक्षर स्वीकृत करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर वैध पते के साथ साक्षी/गवाह के सामने निविदा प्रस्तुत

अ.वि.*l* इसरो भाग-I: निविदा चरण H-10

# निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

- 1 मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि समूह प्रधान/प्रधान, निर्माण एवं अनुरक्षण समूह/प्रभाग के कार्यालय में उपलब्ध और http://www.isro.gov.in/tenders वेबसाइट पर अपलोड की गई सिविल तथा संबद्ध कार्यों के लिए संविदा की सामान्य शर्तों के साथ अनुलग्नक अनुसूचियों (अनुसूची जी.एच. और आई.) तथा अन्य सुसंगत प्रपत्रों (प्रपत्र 1 से 5) को स्पष्ट रूप से पढ़कर समझ लिया है।
- उपरोक्त तथा निविदा के साथ जारी किए गए अन्य दस्तावेजों पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद.

मैने निविदा के लिए प्रस्ताव की प्रस्तुति की है।

3. मैं इसकी भी पुष्टि करता हूँ कि अब प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पूर्ण रूप से संविदा के सामान्य शर्तों सिहत इस विशिष्ट निविदा हेतु जारी दस्तावेजों, आरेखों तथा विनिर्देशों से मेल खाता है, सिवाए मेरे तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव में विशेष रूप से वाणिज्यिक एवं तकनीकी व्यतिक्रम के, यदि कोई हो, को इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

# भाग-॥ निविदा-पश्च चरण

क. परिभाषाएँ

#### 1. संविदाः

'संविदा' से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति और ठेकेदार के बीच निष्पादित प्रारूपिक करार के दस्तावेज और उसके साथ उसमें विनिर्दिष्ट, दस्तावेज अभिप्रेत हैं जिसके अंतर्गत ये शर्तें, विनिर्देश, डिजाइनें, रेखांकन और प्रभारी अभियंता द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं और इन सभी दस्तावेजों से मिलकर एक संविदा गठित होगी और वे एक दूसरे की पूरक होंगी।

#### 2. ठेकेदार:

'ठेकेदार' से वह व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे वह निगमित है या नहीं, अभिप्रेत है जो संकर्म करने का भार अपने उपर लेती है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का अथवा ऐसी फर्म या कम्पनी को गठित करने वाले व्यक्तियों के विधिक निजी प्रतिनिधि अथवा फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी तथा ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म या फर्मों या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं।

#### 3. राष्ट्रपति:

'राष्ट्रपति' से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं।

#### 4. सरकार:

'सरकार' या 'भारत सरकार' से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं।

#### 5. विभागः

'विभाग' से अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है।

### 6. प्रभारी अभियंताः

'प्रभारी अभियंता' से, यथास्थिति समूह प्रधान, सी.एम.जी./प्रधान सी.एम.डी./अभियंता-एस.जी./ अभियंता-एस.एफ./ अभियंता-एस.ई/ अभियंता-एस.डी. या सरकार द्वारा घोषित समुचित सक्षम अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका कार्यप्रभारी होगा और जो संविदा पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करेगा।

#### 7. कार्य:

'कार्य' पद का अर्थ, जब तक विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विपरीत, यह लगाया और माना जाएगा कि वह की गई संविदा के अनुसार या आधार पर किया जानेवाला कार्य है चाहे वह अस्थायी या स्थायी है और चाहे वह मूल, परिवर्तित प्रतिस्थापित या अतिरिक्त है।

#### 8. स्थल:

'स्थल' से अभिप्रेत है वह भूमि और/ या अन्य स्थल जिस पर, या जिसमें से होकर कार्य का संविदा के अधीन निष्पादन किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिससे होकर कार्य का संविदा के अधीन निष्पादन किया जाना है या ऐसी पार्श्वगस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो संविदा को कार्यान्वित करने के प्रयोन के लिए आबंटित या प्रयुक्त किया जाए।

#### 9. बाजार मूल्य:

'बाजार मूल्य', लागू करों, शुल्कों तथा परिवहन खर्च जहां कार्य को कार्यान्वित करना है और सभी उपरी खर्च एवं लाभों पर अनुसूची 'एफ' में दिए गए प्रतिशत सहित सामग्री की लागत और स्थल पर मजदूरी के आधार पर प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की गई दर होगी।

### 10. अनुसूची/ अनुसूचियां:

इन शर्तों में दी गई 'अनुसूची/ अनुसूचियां' अर्थात निविदा दस्तावेज के साथ अनुबंधित संबंधित सूची।

# 11. दर की अनुसूची एस ओ आर):

अनुसूची 'एफ' के अंतर्गत आवश्यक सभी संशोधनों सिहत जारी निविदा प्राप्ति की तिथि तक दी गई विभाग की 'दर की अनुसूची'।

#### 12. निविदा दर:

'निविदा दर' अर्थात पूरे कार्य हेतु वह मूल्य जो कार्य प्रदान करने के पत्र या कार्य आदेश में दिया गया है। ख. संविदा की सामान्य शर्तें (जी.सी.सी.)

# अनुक्रमणिका

खंड सं.	विवरण	पृष्ट सं.
खंड 1	निष्पादन गारंटी	H-19
खंड 1क	प्रतिभूति जमा	H-2
खंड 2क	विलंब के लिए क्षतिपूर्ति	H-2
खंड 2ख	उपलब्धियाँ	H-2
खंड 3	संविदा का निर्धारण	H-21
खंड 3क	किसी एक पक्षकार द्वारा संविदा की समाप्ति	H-23
खंड 4	खण्ड 3 के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने पर भी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार पर रहेगा	H-23
खंड 5	अवधि और विलंब हेतु अवधि बढाना	H-24
खंड 6	निष्पादित कार्य का मापन	H-27
खंड 6क	कंम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक	H-28
खंड 7	भुगतान	H-3
खंड 8	कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र	H-31
खंड 8क	ठेकेदार द्वारा कार्य-स्थल पर स्वच्छता	H-31
खंड 8ख	कार्य पूर्ति योजना	H-31
खंड 9	अंतिम बिल का भुगतान	H-32
खंड 9क	ठेकेदार के बिल का बैंकों में भुगतान	H-32
खंड 10	विभाग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री	H-33
खंड 10क	ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री	H-33
खंड 10ख (i)	सुरक्षित अग्रिम	H-34
खंड 10ख (ii)	कार्य-प्रवृत्त करने के लिए अग्रिम, ब्याज एवं वसूली	H-35
खंड 10ग (i)	किसी नए कानून या संवैधानिक नियम या आदेश के प्रवृत्त होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति	H-36
खंड 10ग (ii)	कार्य के लिए निविदा प्राप्ति के बाद मूल्यों/ मजदूरी में बढ़त/कमी के कारण भुगतान (केवल 12 महिनों से अधिक समय में पूरा होने के लिए निर्धारित कार्यों पर लागू)	H-37
खंड 10घ	विखंडित सामग्री सरकार की संपत्ति होगी	H-4
खंड 10ड.	हटा दिया गया	
खंड 11	कार्य का विनिर्देशों, आरेखों, आदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाना	H-4

खंड 11क	कोई विनिर्देश न होने की दशा में कार्य	H-41
खंड 12	विचलन/परिवर्तन, विस्तार और मूल्य-निर्धारण	H-41
खंड 13	कार्य के क्षेत्र का परित्याग या कटौती के कारण ठेके का पूर्व-समापन	H-44
खंड 14	जोखिम और लागत	H-46
खंड 15	कार्य का निलंबन	H-47
खंड 16	कार्य विनिर्देशन के अनुसार न किए जाने के मामले में कार्रवाई	H-47
खंड 16क	कार्य को ढ़कने के लिए पूर्व सूचना	H-48
खंड 17क	अनुरक्षण की अवधि के दौरान क्षति, त्रुटि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार	H-49
खंड 17ख	ठेकेदार द्वारा समूचे कार्य के मूल्य के लिए बीमा करवाने हेतु विशेष शर्त	H-49
खंड 18	ठेकेदार द्वारा उपकरणों एवं संयंत्रों, इत्यादि की आपूर्ति	H-5
खंड 18क	मजदूरों को की गई क्षतिपूर्ति की वसूली	H-51
खंड 18ख	ठेकेदार के असफल होने पर मजदूरों को भुगतान एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करना	H-51
खंड 19	ठेकेदार द्वारा श्रम कानून/सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन	H-51
खंड 20	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	H-52
खंड 21	कार्य को उप-पट्टे पर न दिया जाए। दिवालिया होने की स्थिति में कार्रवाई	H-52
खंड 22	वास्तविक हानि या क्षति के संदर्भ के बिना देय क्षतिपूर्ति	H-52
खंड 23	फर्म के गठन में परिवर्तन की सूचना	H-53
खंड 24	हटा दिया गया	
खंड 25	विवाद का निपटारा और मध्यस्थता	H-53
खंड 25क	सी.एम.जी. तथा केन्द्र सरकार के बीच विवादों का निपटान	H-54
खंड 26	पेटेन्ट अधिकार	H-55
खंड 27	हटा दिया गया	
खंड 28	खंड 11क संख्या के अंतर्गत डाला गया	
खंड 29	ठेकेदार से बकाया राशि का पुनर्ग्रहण एवं नियंत्रणः	H-55
खंड 29क	अन्य संविदाओं के दावों के संबंध में पुनर्ग्रहण	H-56
खंड 30	ठेकेदार की मृत्यु पर संविदा की समाप्ति	H-57
खंड 31	जल आपूर्ति	H-57

खंड 32	विद्युत	H-58
खंड 33	सरकार की अधिशेष सामग्री की सरकार को वापसी	H-58
खंड 34	हटा दिया गया	
खंड 35	हटा दिया गया	
खंड 36	स्नातक/डिप्लोमा धारी इंजीनियरों का नियोजन	H-59
खंड 37	हटा दिया गया	
खंड 38	हटा दिया गया	
खंड 38क	हटा दिया गया	
खंड 39	विभाग में कार्यरत रिश्तेदार	H-6
खंड 40	सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियोजन पर प्रतिबंध	H-61
खंड 41	सामग्री की वापसी एवं जारी अतिरिक्त सामग्री के लिए वसूली	H-61
खंड 42	हटा दिया गया	
खंड 43	प्रशिक्षु अधिनियम का अनुपालन	H-62
खंड 44	हटा दिया गया	
खंड 45	श्रम जाँच के बाद प्रतिभूति जमा की वापसी	H-62

#### खण्ड 1

#### निष्पादन गारंटी

- ठेकेदार को, संविदा करार के ठीक से क्रियान्वयन हेतू, निविदा में किसी स्थान पर दर्शाए गए अन्य निक्षेपों के साथ, 'निविदा राशि' के 5% (पाँच प्रतिशत) का एक अप्रतिसंहार्य गारंटी (तथापि और/या संविदा में किसी अन्य नियम पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना) स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को गारंटी पेश करने में देरी का कारण बताते हुए लिखित अनुरोध करने पर यदि प्रभारी अभियंता संतुष्ट होता है तो वह इस अवधि को अधिकतम 15 दिनों हेतू आगे बढ़ा सकता है। यह गारंटी (यदि गारंटी की राशि 10,000/- रुपए से कम है तो) नकद के रूप में होगा या किसी अनुसूचित बैंक का मांगपत्र जमा रसीद/ किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चेक/ किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/ किसी अनुसूचित बैंक का भुगतान आदेश (यदि गारंटी की राशि 1,00,000/- रुपए से कम है तो) या सरकारी प्रतिभृतियाँ या सावधि जमा रसीद या इसके साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक का गारंटी बांड होगा। यदि ठेकेदार किसी बैंक की सावधि जमा रसीद सरकार को निष्पादन गारंटी के एक भाग के रूप में पेश करता है और यदि बैंक उस सावधि जमा/रसीद का भुगतान करने में असफल रहती है तो इससे होने वाली हानि ठेकेदार को वहन करनी होगी तथा ठेकेदार इस घाटे की पूर्ति हेतु सरकार की मांग होने पर तत्काल अतिरिक्त प्रतिभृति जमा कराएगा ।
- (ii) निष्पादन गारंटी प्रारंभिक रूप से कार्य पूरा करने की निर्दिष्ट तिथि के बाद 60 दिन तक वैध रहेगी। यदि कार्य के पूरा करने का समय बढ़ता है तो ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए बढ़ाए गए समय अनुसार निष्पादन गारंटी की वैधता भी बढ़ानी होगी। बिना किसी त्रुटि के निर्माण/सुविधा को पूरा करने के बाद निष्पादन गारंटी ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के 14 दिनों के अंदर लौटा दी जाएगी।
- (iii) एसे मामलो में जिसमें ए.सी/इलेक्ट्रिकल/यांत्रिकी के अंतर्गत उच्च मूल्य के उपकरण शामिल है तथा इसे जहाँ भी स्पष्ट रूप से इस संविदा में दर्शाया गया है, ऐसे कार्यों के लिए निष्पादन गारंटी केवल कार्य पूरा होने की तिथि से एक साल की दोषरहित कार्य अविध के बाद ही लौटाई जाएगी।
- (iv) प्रभारी अभियंता निष्पादन गारंटी के अंतर्गत किसी राशि का दावा नहीं करेंगे केवल इन मामलों के अलावा जिसमें इस संविदा अनुसार भारत के राष्ट्रपति इस राशि के लिए हकदार है (तथापि और/या संविदा में किसी अन्य नियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना):
  - क) उपरोक्तानुसार ठेकेदार द्वारा निष्पादन गारंटी की वैधता न बढ़ा पाने की स्थिति में, इस मामले में प्रभारी अभियंता निष्पादन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है।
  - ख) ठेकेदार की सहमति या करार के किसी खंड/शर्त के अंतर्गत निर्धारित देय राशि का ठेकेदार द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रभारी अभियंता द्वारा इस मामले की सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर भुगतान न कर पाने की स्थिति में।

(v) संविदा निर्धारित होने या करार के खंड/शर्तों के किसी नियम के अंतर्गत इसके रद्द होने के मामले में, निष्पादन गारंटी पूरी तरह से दंडस्वरूप जब्त कर ली जाएगी तथा इसे भारत के राष्ट्रपति को जुर्माने के तौर पर दे दिया जाएगा।

## खण्ड 1क प्रतिभूति जमा

ठेकेदार को, कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद कार्य हेतु 'निविदा राशि' के 5% (पाँच प्रतिशत) का एक प्रतिभूति जमा, निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित बैंक द्वारा गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यह गारंटी खंड 17क के अनुसार दोषरहित जिम्मेदारी की पूरी अवधि तथा तीन महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिए वैध होगी। यदि कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो पहले से प्रस्तुत की गई गारंटी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित हो जाएगी।

इस संविदा की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा देय सभी क्षतिपूर्तियां या अन्य राशि इस प्रतिभूति जमा में से काटी जाएंगी।

# खण्ड 2क विलंब के लिए क्षतिपूर्ति

यदि खंड 5 के अनुरूप ठेकेदार आवश्यक प्रगित करने या कार्य को पूर्ण करने और संविदा अविध अथवा कार्य पूर्ण करने की बढ़ी हुई तिथि में या तक स्थल को खाली करने में असमर्थ रहता है तो इस तरह के उल्लंघन पर उसे किसी अधिकार या सरकार के कानून के अंदर उपलब्ध किसी उपाय के पूर्वाग्रह के बिना निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, कार्य की प्रगित खंड 5 के निर्देशानुसार कमी रह गई है या कार्य जो अपूर्ण रह गया है उसके लिए इस राशि की गणना निम्नानुसार प्रत्येक कार्यपूर्ति दिवस/माह (जो लागू हो) के आधार पर की जाएगी। यह उन मदों या समूहों पर भी लागू होगा जिनके लिए कार्य पूर्ण करने की अविध अलग से निर्धारित की गई है।

कार्य में विलंब के	कार्य के कुल मूल्य पर 1.5% प्रति माह की देरी की दर
लिए क्षतिपूर्ति	से प्रति दिन के आधार पर गणना की जाएगी।

इस शर्त के अंतर्गत देय विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की कुल राशि कार्य की कुल निविदा राशि या कार्य की मदों अथवा समूहों की निविदा राशि जिसके लिए मूल रूप से कार्य पूर्ण होने की अविध अलग से दी गई हो, के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति की राशि में समायोजन या इसके अंतर्गत ठेकेदार को किसी देय राशि या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा के विरुद्ध निर्धारित किया जाए।

#### खंड 2ख तय लक्ष्य

यदि ठेकेदार अनुसूचि 'एफ' में निर्दिष्ट किसी लक्ष्य या खंड 5.4 की शर्तों के किसी पुनःअनुसूचित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है तो उस लक्ष्य के प्रति दी गई राशि जब्त कर ली जाएगी और अंतिम बार बढ़ाए गए समय के लिए प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति के अंतर्गत समायोजित की

जाएगी। किसी लक्ष्य को पूरा न कर पाने पर इस राशि को ठेकेदार को कोई सूचना दिए बिना स्वतः ही जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि ठेकेदार अन्य निर्धारित लक्ष्य तक अपना कार्य पर्ण कर पाता है तो जब्त की हुई राशि लौटा दी जाएगी। यदि ठेकेदार अन्य निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा नहीं कर पाता है तो हर लक्ष्य से संबंधित राशि जब्त की जाएगी। परन्तु, इस प्रकार जब्त की हुई किसी भी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

#### खण्ड 3 संविदा का निर्धारण

इस खंड के अन्य नियमों के अनुसरण में, प्रभारी अभियंता, किसी विलंब, घटिया कारीगरी, नुकसान होने पर किसी दावे और/या इस संविदा के किसी अन्य नियम अथवा अन्यथा, और चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं के बारे में ठेकेदार के विरूद्ध अपने किन्हीं अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी दशा में संविदा को लिखित सूचना द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर सकेगाः

- i) यदि ठेकेदार को सुधार, पुनर्निर्माण या किसी त्रुटिपूर्ण कार्य के पुनर्स्थापन या कार्य कशल व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है या अन्यथा अनुचित या स्वीकार्य तरीके से किया जा रहा है और आवश्यकता अनुरूप नहीं है तो इसके लिए प्रभारी अभियंता द्वारा सात दिनों की अविध का लिखित रूप में नोटिस दी हो।
- ii) यदि किसी आवश्यक कारण के बिना ठेकेदार ने कार्य को रोक दिया है या वह ठीक तरीके से कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है और प्रभारी अभियंता को लगता (जो कि अंतिम रहेगा और बाध्य होगा) है कि वह कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि के अंदर इसे पूर्ण करने में असमर्थ है और प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में इसकी सूचना देने के सात दिनों के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य को जारी रखा गया हो।
- iii) यदि निर्धारित तिथि के अंदर ठेकेदार कार्य या कार्य की किसी मद को कार्य पूर्ण करने की किसी विशेष तिथि को पूरा नहीं कर पाता है, यदि कोई हो, कार्य पूर्ण करने की इस तिथि को या इससे पहले और इसे निर्धारित तिथि तक या उससे पहले पूरा नहीं किया गया हो तो प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में सूचना दी गई हो।
- iv) संविदा के अंतर्गत यदि ठेकेदार वर्तमान में अपने दायित्वों को निभाने से मना करता है और/या संविदा के किसी नियम या शर्त का अनुपालन करने में कोई गलती करता है और इसे सधारता नहीं है या इसे सुधारने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो 7 दिनों के बाद प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में उसे लिखित सूचना दी गई हो।
- v) यदि निविदाकार सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति को सहमित देता है या किसी अन्य व्यक्ति को उसके नाम से कोई भेंट देता है या प्रलोभन के रूप में किसी प्रकार का पुनर्विचार करता है या करने हेतु कोई पुरस्कार या करने से मना करता है या करने हेतु या इसके कार्यान्वयन या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा प्रस्ताव देता है।
- vi) यदि ठेकेदार सरकार के साथ कोई संविदा करता है तो इस संबंध में जो कमीशन भुगतान किया गया या उसके द्वारा भुगतान करने हेतु सहमति दी गई हो या उसकी जानकारी के

- अनुसार इस प्रकार के किसी कमीशन और भुगतान के संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा पहले भी लिखित रूप में उल्लेख किया गया हो।
- vii) यदि ठेकेदार ने गलत संविदा द्वारा या स्पर्धी निविदा के किसी अन्य अवास्तविक तरीके से सरकार से कोई निविदा प्राप्त कर ली हो या संविदा अथवा इमानदारी करार का उल्लंघन किया हो।
- viii) यदि ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या एक फर्म, कोई भी भागीदार किसी भी समय दिवालिया घोषित होता है या उसकी संपत्ति के विरुद्ध कोई ओदश प्राप्त होता है, या तत्समय लागू दिवालिया अधिनियम के तहत परिसमापन या गठन (आमेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य हेतु स्वैच्छिक परिसमापन के सिवाय) हेतु धन लेता है या उसके लेनदारों के लाभार्थ अपने कार्य, गठन या व्यवस्था को देने या प्रदान करने की व्यवस्था करता या करवाता है या अपनी संपत्ति को अलग करने के लिए, तत्समय लागू दिवालिया अधिनियम के तहत कोई आवेदन किया जाता है या उसके लेनदारों के लाभार्थ कोई ट्रस्ट दस्तावेज तैयार किया जाता है।
- ix) यदि ठेकेदार एक कम्पनी है, संकल्प पारित कर सकेगा या न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि कम्पनी को समाप्त किया जाए या यदि लेनदार की ओर से प्राप्तकर्ता या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा या यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जो न्यायालय अथवा लेनदार को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति करने का हकदार होगा या जो न्यायालय को समाप्ति आदेश तैयार करने का हकदार बनाता हो।
- x) यदि ठेकेदार के माल पर कोई उगाही लगाई जाती है और वह उसे 21 दिनों की अवधि तक जारी रखे।
- xi) यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना पूरे कार्य अथवा उसके किसी भाग को सौंपता है, हस्तांतरित करता है, उपठेके पर देता है (कार्य के किसी हिस्से के लिए श्रमिकों या सामग्री साथ श्रमिकों की नियुक्ति जिसे कार्य में शामिल न किया जाए, को उपठेके पर दिया हुआ नहीं माना जाएगा) या उससे अलग होता है या सौंपने, हस्तांतरित करने, उपठेके पर देने या उससे अलग होने का प्रयास करता है।

जब ठेकेदार स्वयं को, उपरोक्त किसी भी मामले के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनता है तब प्रभारी अभियंता को भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न का अधिकार होगाः

- क) उपरोक्त अनुसार संविदा निर्धारित करना (जिसकी प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को लिखित रूप से समाप्ति की सूचना अंतिम प्रमाण होगी)। ऐसे निर्धारण पर संविदा के तहत निष्पादन गारंटी जब्त की जा सकेगी और पूरी तरह सरकार के अधिकार में होगी।
- ख) ठेकेदार को उसके कार्य को मापने की सूचना देने के बाद और ऐसे पूरे कार्य या उसके भाग, जो अधूरा है, उससे लेकर किसी अन्य ठेकेदार को उसे पूरा करने के दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित संविदा के ठेकेदार को बाकी के कार्य को पूरा करने हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

प्रभारी अभियंता द्वारा उपरोक्त मार्ग अपनाए जाने की दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानि के लिए क्षितिपूर्ति का दावा नहीं करेगा जो उस कार्य के निष्पादन या संविदा के परिपालन के कारण या उसकी वृद्धि में उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने या कोई वचनबंध कर लिए जाने या कोई अग्रिम दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो यदि पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन कार्रवाई की जाती है, तो ठेकेदार उस संविदा के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या भुगतान किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभारी अभियंता ने ऐसे कार्य का निष्पादन और उसके बारे में देय कीमत लिखित रूप से प्रमाणित न कर दी हो।

#### खण्ड उक

### किसी एक पक्षकार द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि कार्य ठेकेदार के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों की वजह से कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय के 1/8 वें समय के अंदर या एक माह, जो भी अधिक हो, के अंदर कार्य प्रारंभ न किया गया हो तो कोई भी पक्षकार संविदा को समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार संविदा समाप्त करना चाहता है तो वह विभाग की ओर से विफलता का वर्णन करते हुए सूचना दे सकता है। ऐसी संभावना में ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित समय-सीमा में उसकी निष्पादन गारंटी वापस की जाएगी। संविदा समाप्त करने के कारण किसी भी प्रकर की हानि के लिए ठेकेदार क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

यदि कार्य की निविदा मूल्य निम्न प्रकार है,

 45 लाख रुपये तक
 : 15 दिन

 45 लाख रुपये से अधिक और 2.5 करोड़ रुपये तक
 : 21 दिन

 2.5 करोड़ रुपये से अधिक
 : 30 दिन

# खण्ड 4 खण्ड 3 के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने पर भी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार पर रहेगा

ऐसी किसी दशा में जिसमें इसके खंड 3 द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोक्तव्य हो और उसका प्रयोग नहीं किया गया है, उसका प्रयोग किया जाना इसकी किंहीं शर्तों का प्रयोग्य नहीं होगा और इस बात के होते हुए भी, भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियाँ प्रयोक्तव्य होंगी और ठेकेदार का प्रतिकर के लिए दायित्व अप्रभावित रहेगा (जिसके लिए इसके किसी या किंहीं खंडों द्वारा यह घोषित किया गया है कि वह अपनी प्रतिभूति की संपूर्ण रकम तक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ठेकेदार का विगत और भावी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व अप्रभावित रहेगा) यदि प्रभारी अभियंता पूर्वगामी खंड के अधीन उसमें निहित सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग करता है, तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार को लिखित सूचना के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित उन सब या किंहीं औजारों, संयंत्र, सामान और सामग्री का, जो कार्य में या उस पर या उस स्थल पर हो, उनके लिए संविदा की दरों पर या यदि ये लागू नहीं है, तो प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार

दरों पर, जिनके बारे में उनका प्रमाण-पत्र अंतिम होगा, भुगतान करके या उसके लिए खाते में संविदा पर ठेका देकर ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा (पूर्णतः प्रभारी अभियंता के विवेकानुसार जो अंतिम होगा) भाड़े पर ली गई वस्तु के रूप में उपयोग कर सकेगा किराया धन की रकम भी अंतिम रूप से प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा प्रभारी अभियंता लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या उसके लिपिक को, फोरमैन को या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजारों, संयंत्र, सामान और सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने का आदेश दे सकेगा। यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता उनको ठेकेदार के खर्च पर हटवा सकेगा या नीलामी द्वारा या ठेकेदार के लेखे और सभी दृष्टियों से उसकी जोखिम पर निजी विक्रय द्वारा उनका विक्रय पर मिली रकम और व्यय के बारे में प्रभारी अभियंता का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरूद्ध अंतिम और निर्णायक होगा।

# खण्ड 5 अवधि और विलंब हेतु अवधि बढाना

अनुसूची 'एफ' में निर्धारित कार्य के निष्पादन के लिए अनुज्ञात अविध या इन शर्तों के अनुरूप बढाया गया अविध संविदा का निष्कर्ष होगा। कार्यों का निष्पादन अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित ऐसी समयाविध या जगह के सौंपने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से प्रारंभ होगा। यिद ठेकेदार, उपरोक्तानुसार कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में कोई चूक करता है तो सरकार के, विधि में मौजूद किसी अन्य अधिकार या समाधान के पूर्वाग्रह के बगैर, निष्पादन गांरटी को पूर्णतया जब्त करने का अधिकार होगा।

- 5.1 संविदा समाप्त होने के तत्काल बाद ठेकेदार प्रत्येक क्रिया कलाप के लिए अविध एवं कार्य प्रगति को चार्ट प्रस्तुत करेगा और विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेगा। चार्ट, कार्यों की मदों को पूरा करने के लिए संविदा दस्तावेजों में उल्लेखित अविध के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रारंभ करने और और पूरा होने की तिथियों का उल्लेख होगा तथा संविदा दस्तावेजों में लागू समय सीमा के तहत प्रभारी इंजीनियर और ठेकेदार के मध्य करार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाए और कार्य निष्पादन के दौरान उसकी सही प्रगति सुनिश्चित की जाए। किसी कार्य हेतु अनुमत समय के सभी मामलों में जिसमें समय सीमा एक महीने से ज्यादा होती है, (विशेष कार्यों हेतु समय बचाते हुए उसके लिए पृथक कार्यक्रम बनाया गया है) उसे अनुसूची 'एफ' के अनुसार उपलब्धियों के अनुसार कार्य पूरा किया जाए।
  - क) ₹ 5 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए परियोजना प्रबंधन संपन्न किया जाए।
  - ख) ₹ 5 करोड़ से अधिक और ₹ 20 करोड़ तक की लागत के कार्यों हेतु एम.एस. परियोजना साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए परियोजना प्रबंधन संपन्न किया जाए।
- ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए, प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए परियोजना प्रबंधन सम्पन्न किया जाए।

#### कार्यक्रम चार्ट

- (i) ठेकेदार, को निर्धारित समय या इससे पहले कार्यक्रम को पूरा करने के लिए शुरूआत से कार्य पूरा करने की सही गतिविधियों, मानवशक्ति का ब्यौरा, आवश्यक उपकरण और मशीनों का स्पष्ट ब्यौरा दर्शाते हुए कार्य के निष्पादन हेतु एम.एस. परियोजना/प्राइमावेरा साफ्टवेयर में समेकित कार्यक्रम चार्ट तैयार करना होगा और संविदा मिलने के इस दिनों के अंदर अनुमोदन हेतु प्रभारी इंजीनियर के पास प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्यक्रम के लिए हुई देरी के लिए ₹ 2500 (₹ 20 करोड़ तक की लागत के कार्य हेतु) ₹ 5000/-(₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत के लिए) की वसूली प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।
- (ii) कार्यक्रम चार्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - क) विभिन्न क्रियाकलापों का क्रमबद्ध रूप से की व्याख्या करते हुए विवरणात्मक नोट।
  - ख) नेटवर्क (पी.ई.आर.टी./सी.पी.एम./बार चार्ट)।
  - ग) उपयुक्त क्षमता वाले यंत्रों/उपकरणों के प्रापण कार्यक्रम कार्य की मांग के आनुपातिक रूप में ठेकेदार द्वारा निर्धारित अविध में लिए जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार कार्य की प्रगति को प्राप्त करने के अलावा कार्य की आवश्यकता के अनुसार आई.सी.सी. कार्य शुरू करने से समापन की तिथि से एक महीने के अंदर तीन मंजिलों हेतु सीमेंट, कंक्रीट और आर.सी.सी. कार्यों आदि के आवश्यक समुचित कार्य करने की सामग्री कार्य स्थल पर लानी चाहिए। ठेकेदार निर्धारित वास्तविक उपलब्धि के अंदर कार्य संरचना को पूरा करने हेतु समुचित आवश्यक सामग्री का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (iii) यदि किसी भी समय, प्रभारी अभियंता को यह लगाता है कि कार्य की वास्तविक प्रगित उपरोक्त अनुमोदित कार्यक्रम या कार्य प्रगित के परिवर्तन से मेल नहीं खाता है तो ठेकेदार कार्य को समय से सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित कार्यक्रम के लिए संशोधनों को दिखाते हुए 7 (सात) दिनों के अंदर संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम की संशोधित अनुसूची प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के प्रगित में हुई देरी के लिए प्रतिदिन के आधार पर ₹ 2500/- (₹ 20 करोड़ तक के कार्यों की लागत हेतु)/₹ 5000/- (₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए) की वसूली की जाएगी।
- (iv) ऐसे कार्यक्रम या ऐसे विवरणों को इंजीनियर प्राभारी द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण से ठेकेदार संविदा के अंतर्गत किसी भी कर्तव्यों या जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होगा। इस करार के नियमों और शर्तों के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु प्रभारी अभियंता के अधिकार पूर्वाग्रह के बिना होगा।
- (v) ठेकेदार प्रत्येक महीने के पांचवे दिन या उससे पहले प्रभारी अभियंता को पिछले महीने के दौरान किए गए कार्य हेतु उपरोक्त संदर्भ कार्यक्रम आधार के साथ एम.एस. प्रोजेक्ट। प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसकी चूक होने

पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के कारण प्रतिदिन के आधार पर ₹ 2500/- (₹ 20 करोड़ तक की लागत वाले कार्यों के लिए)/ ₹ 5000/- (₹ 20 करोड़ से ज्यादा लागत वाले कार्यों हेत्) की वसूली की जाएगी।

- 5.2 यदि कार्यों में देरी निमन के कारण हुई तो:
- i) अप्रत्याशित घटना, या
- ii) असमान्य खराब मौसम, या
- iii) आग से ज्यादा हानि या नुकसान, या
- iv) नागरिक हंगामा, मजदूरो का स्थानीय हंगामा, हडताल या तालाबंदी, जिससे कार्य पर लगाए गए किसी प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, या
- v) संविदा के भाग को न पूरा करते हुए कार्य निष्पादन में प्रभारी अभियंता द्वारा लगाए गए अन्य ठेकेदारों या व्यवसायिकों के ओर से हुई देरी के कारण, या
- vi) भंडार की अनुपलब्धता, जिसकी आपूर्ति करने की सरकार की जिम्मेदारी है या
- vii) सरकार द्वारा दिए जाने वाले या दिए उपकरण या संयंत्र की अनुपलब्धता या खराबी या
- viii) कोई अन्य कारण जो प्रभारी अभियंता के विवेकाधिकार में ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर है।
  - तब देरी के कारण में ऐसी कोई घटना के होने पर ठेकेदार अनुसूची 'एफ' में उल्लेख के अनुसार प्राधिकारी को लिखित रूप से तुरंत सूचना देना होगा परन्तु फिर भी, देरी को रोकने या सही हल के लिए अपने निरंतर उत्तम प्रयास करेगा और कार्यों को प्रभारी अभियंता के संतोषजनक रूप से पूरा करेगा।
- 5.3 कार्य प्रगति कार्यक्रम में परिवर्तन या समय बढाने के विचारार्थ योग्य निवेदन, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को निर्धारित प्रपत्र पर देरी का कारण दर्शाते हुए ऐसा घटित होने के 14 दिनों के अंदर लिखित में देना होगा। यदि संभव हो तो, ठेकेदार इस निवेदन में जिसके लिए बढ़ोत्तरी चाहता है उसका उल्लेख करें।
- 5.4 ऐसे मामले में, प्रभारी अभियंता कार्य के पूरा करने हेतु सही और उपयुक्त समय बढोत्तरी दे सकता है और कार्य पूरा करने के लिए कार्य प्रगित में परिवर्तन कर सकता है। कार्य प्रगित के कार्यक्रम परिवर्तन की ऐसी बढ़ोत्तरी ठेकेदार द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर क्रमशः तीन महीने या 4 सप्ताह के अंदर प्रभारी अभियंता को लिखित में देना होगा। ठेकेदार द्वारा समय बढ़ोत्तरी/कार्य प्रगित के कार्यक्रम परिवर्तन का अनुरोध न करने पर प्रभारी अभियंता द्वारा परिवर्तन उचित और औचित्यपूर्ण बढ़ोत्तरी। कार्य प्रगित के कार्यक्रम के लिए कोई रूकावट नहीं होगी और ठेकेदार के लिए यह एक प्रतिबद्धता होगी।

#### खण्ड 6

#### निष्पादित कार्य का मापन

प्रभारी अभियंता, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, निष्पादित कार्य का संविदा के अनुसार परिणाम की जाँच और निर्धारण किया जाएगा। वित्तीय महत्व वाले सभी महत्व के सभी मापन की मापन पुस्तक और/या स्तर क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी जिससे कि संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए गए सभी कार्यों का पूर्ण प्रलेख प्राप्त किया जा सके।

सभी मापन और स्तर निरीक्षण प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर संयुक्त रूप से किया जाएगा और ऐसे मापन प्रभारी अभियंता और ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनके स्वीकृत के रूप में हस्ताक्षर कर और तिथि अंकित की जाएगी। यदि ठेकेदार किसी भी प्रमाणित मापन का विरोध करता है तो इस विषय पर नोट तैयार किया जाएगा और उस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

यदि किसी वजह से ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है और प्रमाणित मापन का कार्य प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्थिगत कर दिया गया है तो प्रभारी अभियंता और विभाग इस कारणवश किसी हानि या क्षित के लिए ठेकेदार द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, तीन दिवसों पूर्व लिखित सूचना देने के पश्चात ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि ऐसे मापन के समय पर उपस्थित नहीं रहता है या मापन की तारीख से एक सप्ताह के अंदर प्रतिहस्ताक्षर या प्रेषित करने में चूक होती है तो उसकी अनुपस्थिति में इजीनियर प्रभारी द्वारा प्रमाणित किए गए मापन ठेकेदार द्वारा स्वीकृत माने जाएंगे।

ठेकेदार, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर, मापन और प्रमाणन स्तरों पर आवश्यक उपकरण, श्रमिक और अन्य वस्तुओं के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

इसके अलावा जहाँ कार्य का कोई सामान्य या विस्तृत विवरण प्रतिकूल दिखाई देता है तो मापन सुसंगत मापक की मानक विधि या कोई सामान्य या स्थानीय रिवाज में प्रावधानों के बावजूद विशेष विवरणों में वर्णित विधि के अनुसार किए जाएंगे। ऐसी मदों के मामलें में जो विशेष विवरणों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, उनका मापन भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जारी किए मापन की सुसंगत मानक विधि के अनुसार किए जाएंगे और यदि किसी मद के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं है तो पारस्परिक सहमत को विधि का पालन किया जाएगा।

ठेकेदार, किसी कार्य मापन को पूरा करने या अन्यथा उसकी पहुंच से परे मापन को किसी भी हालत में सात दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत कार्य प्रतिनिधि प्रभारी को सूचित करेगा जिससे कि उसका मापन किया जा सके और उसको शामिल करने या मापन तक पहुंचने से पहले उसका सही मापन किया जा सके और कार्य के प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि प्रभारी की लिखित अनुमित के बिना किसी कार्य को शामिल करेगा और मापन की पहुंच से परे निर्धारित करेगा जो उपरोक्त अविध के सात दिनों के अंदर निरीक्षण करेगा; और यदि कोई कार्य ऐसी सूचना के दिए बगैर या लिखित में प्रभारी अभियंता की अनुमित प्राप्त किए बिना ऐसे कार्य को शामिल या मापन की पहुंच से परे निर्धारित करेगा तो उसे ठेकेदार के खर्च

या भुगतान न करने में शामिल किया जाएगा और ऐसे कार्य या सामग्री के लिए कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसे निष्पादित किया गया था।

प्रभारी अभियंता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि या तो स्वयं द्वारा या विभाग के अन्य अधिकारी के माध्यम से संयुक्त रूप से या अन्यथा उपरोक्त के अनुसार जांच की जाएगी और ऐसे मापनों स्तरों की जांच करने हेतु सभी निर्धारित प्रावधान लागू होगा।

इस संविदा की यह भी एक शर्त है कि मापन पुस्तक में कार्य की किसी मद के मापन की रिकार्डिंग और/या उसके अंतिम बिल के लिए अंतरिम भुगतान को किसी कार्य या सामग्री जिससे वह संबंधित है, की पर्याप्तता के रूप में निर्णयात्मक प्रमाण नहीं माना जाएगा और ना तो ठेकेदार को अतिमापन या पाई गई त्रुटि के उत्तरदायित्व से, त्रुटि मान्यता अवधि के पूरा होने तक मुक्त किया जाएगा।

#### खण्ड ६क

## कंम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक

प्रभारी अभियंता, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, संविदा के अनुसार किए गए कार्य के कीमत का मापन द्वारा पता लगाएगा और सुनिश्चित करेगा।

वित्तीय महत्व वाले सभी मदों के सभी मापनों को ठेकेदार द्वारा इंजराज किया जाएगा और विभाग के प्रारूप के अनुसार ए०४ आकार के पृष्टों वाली कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक के रूप में संकलित करेगा जिससे कि संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए गए सभी प्रकार के कार्यों का पूरा लेखा प्राप्त किया जा सके।

कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित सभी ऐसे मापनों और स्तर, प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की परामर्श में निश्चित कार्यक्रम अंतराल पर या प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जांच की जाएगी। प्रभारी अभियंता द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों के पश्चात मापन पत्र अपनी स्वीकृति के रूप में ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों और प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षर की गई तारीख पर प्रभारी अभियंता को सुधारों को क्रियान्वित करके और पुनःप्रस्तुतीकरण हेतु वापस भेज दिया जाएगा।

जहां कहीं भी भुगतान हेतु बिल बकाया है तो ठेकेदार प्रारंभ में ड्राफ्ट कम्प्यूटरीकृत मापन पत्र प्रस्तुत करेगा और ये मापन पत्र प्रभारी अभियंता और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से जाँचा जाएगा/परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात् ठेकेदार अपने मसौदा कम्प्यूटरीकृत मापन में इन जाँच/परीक्षण में किए गए परिवर्तनों को शामिल करेगा, और एक जिल्द की हुई कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक (एम.बी), उसके पृष्ठों को पृष्ठ संख्या देते हुए विभाग को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अभियंता और/या उसका प्रधिकृत प्रतिनिधि इस मापन पुस्तक की जाँच करेगा और अपने जाँच/परीक्षण के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र रिकार्ड करेगा।

ठेकेदार द्वारा दी गई जिल्द की हुई, और पृष्ठांकित अंतिम, सही कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक 100% सही होनी चाहिए और उसके बाद मापन में कोई काट-छॉट स्वीकृत नहीं होगी। फिर भी यदि कोई त्रुटि पायी गई तो ठेकेदार को विभाग द्वारा पूर्व एम.बी. को रद्द करवाने के बाद

विधिवत मशीन द्वारा पेज सं. दिए जाने और जिल्द बनाकर नयी कम्प्यूटरीकृत एम.बी. जमा करवाना होगा। तत्पश्चात, एम.बी. मंडलीय कार्यालय प्रलेख में ले जाया जाएगा और कम्प्यूटरीकृत एम.बी. के रिजस्टर के अनुसार संख्या प्रदान की जाएगी। भुगतान हेतु मंडल कार्यालय को बिल प्रस्तुत करने से पहले ऐसा किया जाना चाहिए। ठेकेदार विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा संदर्भ और प्रलेख के उद्देश्य हेतु कम्प्यूटीकृत प्रतियों को जमा करना होगा।

ठेकेदार को बिल की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ विधिवत जिल्द की गई तथा मशीन द्वारा दिए गए पेज से इन मापनों के आधार पर लागत और बिल का कम्प्यूटरीकृत सार पृथक रूप से विभाग को प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद, इस बिल पर मंडल कार्यालय द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाएगी और मापनों हेतु रखी गई मापन पुस्तक की तरह कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार उसे एक संख्या आबंटित की जाएगी।

ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा मापनों/स्तरों की जाँच करने हेतु आवश्यक प्रत्येक उपकरण, श्रमिक और अन्य वस्तुओं के साथ सभी सहायता प्रदान करेगा।

इसके अलावा जहां पर कार्य का सामान्य या विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रतीत होता है तो मापन की सुसंगत मानक विधि या कोई सामान्य या स्थानीय रिवाज में निहित प्रावधान के बावजूद विशेष विवरण में शामिल है, के अनुसार मापन किया जाएगा। ऐसी मदों के मामलें में जो विशेष विवरण में शामिल नहीं हैं तो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जारी मापन की सुसंगत मानक विधि के अनुसार किया जाएगा और यदि किसी मद के लिए ऐसा मान उपलब्ध नहीं है तो परस्पर सहमति द्वारा किया जाएगा।

ठेकेदार, कार्य समाप्त करने या किसी कार्य के मापन की जाँच और/या परीक्षण के पहले प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सात दिनों की सूचना देगा, इसलिए कि कार्य समाप्त करने से पहले या मापन की जाँच और/या परीक्षण से पहले उसके सही मापन प्राप्त करने के लिए जाँच/परीक्षण किया जाए और प्रभारी अभियंता और उसके प्राधिकृत प्रभारी प्रतिनिधि, जो उपरोक्त सात दिनों की अवधि में कार्य का निरीक्षण करेगा, की लिखित सहमित के बिना किसी कार्य के मापन को समाप्त नहीं करेगा और यदि ऐसी सूचना दिए बिना या लिखित में प्रभारी अभियंता की सहमित प्राप्त किए बिना कोई कार्य समाप्त किया जाए या जाँच और/या परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो उसे शामिल नही माना जाएगा, या कुछ त्रुटि होने पर ऐसे कार्य या उस कार्य हेतु सामग्री के लिए किए गए भुगतान किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा रिकार्ड किए गए मापनों की जाँच करेगा या विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा करवाएगा और ऐसी मापनों या स्तरों की जाँच पर ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान लागू होंगे।

इस संविदा की एक और शर्त यह भी है कि किसी कार्य या सामग्री की पर्याप्तता के संबंध में मापन पुस्तक में किसी कार्य की जाँच/परीक्षण और/या उसके अंतिम बिल के अंतरिम भुगतान को निर्णयात्मक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा और ना तो ठेकेदार को अतिमापन या पाई गई त्रुटि के उत्तरदायित्व से, त्रुटि मान्यता अविध के पूरा होने तक मुक्त किया जाएगा।

#### खण्ड 7

#### भुगतान

भुगतान रिकार्ड किए गए मापनों के आधार पर किए गए कार्य पर आधारित मासिक चालू खाता बिल द्वारा किए जाएंगे। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए विभाग के प्रारूप में रिकार्ड किए गए मापन के आधार पर प्रतिमाह चालू खाता बिल तीन प्रतियों में प्रभारी अभियंता को निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रभारी अभियंता जहाँ कहीं आवश्यक हो कार्य के मापन को लेते हुए बिल की जाँच करने या करवाने की व्यवस्था करेगा। प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दरों पर चालू खाता बिल के माध्यम से ऐसी राशि जिसके लिए ठेकेदार योग्य है उसे प्रमाणित करते हुए उस स्वीकार्य राशि का भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत बिल के दिनांक के बाद दसवें दिन के अंदर स्वीकार्य राशि का भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत न कर सकने पर ऐसे बिल को बनाएगा या बनवाएगा और ऐसी स्थिति में भुगतान के किसी विलंब के लिए कोई दावा नहीं माना जाएगा।

तथापि, निम्न के संबंध में: (i) वातानुकूलन कार्य और (ii) यांत्रिक कार्य, जैसे, क्रेन, मोनो रेल, विशेष यातायात प्रणाली, स्लाइडिंग दरवाजें, प्लेटफार्म, पैसेंजर/ सर्विस लिफ्ट, संपीडित वायु सुविधा, गरम पानी के गारेंटर्स, रोटर्स, फलैश मिक्सर्स और ऐजिटेटर्स इत्यादि, क) उपस्कर की सुपुर्दगी तथा आवश्यक जाँच करते हुए स्वीकृत के आधार पर 76.5% यथानुपात भुगतान, ख) प्रतिस्थापन के बाद 13.5% यथानुपात भुगतान और ग) परीक्षण, किमशनिंग, और हस्तांतरण के बाद 10% का भुगतान किया जाएगा।

चालू खाता के प्रति किए गए सभी भुगतान अंतर्वर्ती अग्रिम के रूप में माने जाएंगे जो कार्य पूरा होने पर तैयार किए गए अंतिम बिल के प्रति समायोजित किए जाएंगे और खराब, विकृत और अधुरे या अकुशल कार्य को अस्वीकृत करने, निकालने, हटाने और पूर्निनर्मित करने को प्रतिबाधित नहीं करेगा। ऐसे भुगतान जो किए गए कार्य या सुपुर्द की गई किसी सामग्री के लिए किया गया हो, के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र, ऐसे बाद में दिए गए प्रमाण-पत्र या अंतिम प्रमाण-पत्र द्वारा संशोधित किया जा सकेगा और वे अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होंगे कि किया गया कोई कार्य या सामग्री संविदा और विनिर्देशनों के अनुरूप है। ऐसा कोई अंतरिम भुगतान या उसका कोई भाग संविदा के तहत प्रभारी अभियंता के अधिकारों को किसी भी प्रकार समाप्त, निर्धारित या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेगा या ऐसा कोई भुगतान अंतिम निपटान या लेखा का समायोजन नहीं माना जाएगा या किसी भी प्रकार से संविदा को परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेगा।

समाप्ति की तारीख को बढाने पर विचार किया जाना लंबित रहने पर भी अंतरिम भुगतान, इसमें दिए अनुसार कार्य की समाप्ति में विलंब के लिए इस संविदा की शर्त के तहत विभाग के कार्रवाई करने के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, किया जा सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अविध को बढाया नहीं गया हो।

इस आधार पर कि प्रश्नगत स्तर तक कार्य पूरा हो गया है, प्रभारी अभियंता अपने विवेकानुसार सरदल (लिंटल) स्तर (छज्जा इत्यादि सहित) और स्लैब स्तर तक किए गए कार्य (नींव और परिरूपण मदों में शामिल मदों को छोड़कर) के लिए विस्तृत माप किए बिना अंतरिम अग्रिम भुगतान कर सकेगा जिसका प्रत्येक तल के लिए लागत आंकलित मूल्य का 75% हो। इस प्रकार अनुमत अग्रिम भुगतान आगे विस्तृत माप लेकर के अंतरिम बिल में समायोजित किया जाएगा।

# खण्ड 8 कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र

कार्य के पूरा होने के दस दिनों के अंदर, ठेकेदार, प्रभारी अभियंता को कार्य पूरे होने की सूचना देगा और ऐसी सचना प्राप्ति के दस दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई त्रृटि न हुई हो तो ठेकेदार को कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र देगा अन्यथा त्रृटि दर्शाते हुए (क) ठेकेदार द्वारा सुधारा जाए और/अथवा (ख) जिसके लिए, भूगतान घटाई गई दरों पर किया जाएगा दर्शाते हुए कार्य को पूरा करने का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाए परन्तु, ऐसा कार्य पुरा करने का, अनंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र तब तक न प्रदान किया जाए या कार्य का तब तक पूरा होना न माना जाए जब तक कि सभी ढाँचें, अतिरिक्त सामग्री और कचरा तथा सभी झोंपड़े एवं इस हेतु या उनके कार्मिकों के लिए कार्य-स्थल पर आवश्यक स्वच्छता व्यवस्था, जो ठेकेदार द्वारा निर्मित की गई हो, परिसर से निकाल न दी गई हो और लकड़ी का टूकड़े, जैसे दरवाजें, खिड़कियाँ, जमीन या भवन के अन्य भागों पर पड़ी हो, को हटा न दिया गया हो और प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य का मापन न कर लिया गया हो। यदि ठेकेदार, इस खण्ड की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहता है जैसे ढाँचों, अतिरिक्त सामग्री तथा कचरे और उपरोक्त सभी झोंपड़े तथा स्वच्छता व्यवस्था को हटाने और कार्य के पूरे करने की नियत तारीख की या उससे पहले कचरा साफ करने में असफल रहता है तो, प्रभारी अभियंता ठेकेदार के खर्चे पर उन्हें हटायेगा और जैसा उचित समझे इस कचरा का निपटारा कर सकता है और ठेकेदार उस बाबत हुए व्यय का भुगतान करेगा और उस ढाँचे, या अतिरिक्त सामग्री जैसा ऊपर कहा गया है, पर ठेकेदार कोई दावा नहीं करेगा सिवाय उस धन के जो उसकी बिक्री से प्राप्त हुआ हो।

# खण्ड ८ क

#### ठेकेदार द्वारा कार्य-स्थल पर स्वच्छता

जब वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य किया जाता है तब दीवारों फर्शो, दरवाजों, खिड़िकयों आदि पर गिरी सफेदी, रंग-रेगन आदि और उनके छीटों को हटाया जाएगा और वह संविदा में दी हुई कार्य के अन्य सभी मदों का वस्तुतः पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिनाउन अलग-अलग कमरों, क्वार्टरों या परिसर आदि में, जहाँ कार्य किया गया है, कार्य के इन मदों को पूरा करने के साथ ही फर्श की सफाई की जाएगी। यदि ठेकेदार इस खंड की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहेगा, तो प्रभारी अभियंता को यह अधिकार रहेगा कि वह ठेकेदार के व्यय पर यह कार्य विभाग द्वारा या अन्य अभिकरण के माध्यम से करा ले। ऐसी कार्रवाई करने से पहले प्रभारी अभियंता ठेकेदार को 10 दिन की लिखित सूचना देगा।

# खण्ड 8ख कार्य पूर्ति योजना

ठेकेदार सभी कार्यों जैसे जल, स्वच्छता, निकासी, विद्युत, ए.सी.कार्य, इत्यादि सभी तरह के कार्य पूरा करने की योजना, कार्य के पूरा होने की तीस दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा। उपरोक्तानुसार, यदि ठेकेदार कार्य पूरा करने की योजना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह कार्य के मूल्य के 2.5% के समान राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) तक सीमित है जिसे प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकर होगा।

# खण्ड 9 अंतिम बिल का भुगतान

ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल, भौतिक रूप से कार्य पूरा करने के तीन माह के अंदर या प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए, कार्य पूर्ति अंतिम प्रमाणपत्र की तारीख से एक माह के अंदर, जो भी पहले हो, उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए जैसा कि अंतरिम बिलों में विनिर्दिष्ट किया गया हो। अंतिम बिल की प्रस्तुति के बाद ठेकेदार द्वारा कोई और दावे न किए जाएँ और इन्हें छोड़ दिए गया तथा समाप्त समझा जाएगा। प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित ऐसी मदों के संबंध में भुगतान जो विवादित नहीं है और जो परिमाण तथा दरों के लिए विवादित हैं, यथासंभव नीचे निर्दिष्ट अविध के अंदर किया जाएगा, इस अविध की गणना, विभाग द्वारा जारी सामग्री तथा निकाली गई सामग्री को हिसाब में लेते हुए प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त बिल की तारीख से की जाएगी।

यदि कार्य का निविदा मूल्य है,

 45 लाख रूपये तक
 : 2 माह

 45 लाख से अधिक और 2.5 करोड़ रुपये तक
 : 3 माह

 2.5 करोड़ रुपये से अधिक
 : 6 माह

# खण्ड 9क

# ठेकेदार के बिल का बैंकों में भुगतान

ठेकेदार को शोध्य संदाय यदि चाहे तो, सीधे उसको किए जाने की बजाए उसके बैंक को किया जा सकता है, परंतु यह तब जब ठेकेदार प्रभारी अभियंता कोः

- 1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकर प्रदान करने वाले मुख्तारनामें जैसे वैध रूप से मान्य दस्तावेज के रूप में प्राधिकार दें।
- 2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति, वे जिसमें सरकार द्वारा की शोध्य राशि बताई गई है या प्रभारी अभियंता द्वारा हिसाब या दावे के, बैंक को संदाय करके निपटाए जाने के पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। ऐसी बैंक द्वारा दी गई रसीद संदाय के लिए पूर्ण या पर्याप्त उन्मोचन होगी, किंतु ठेकेदार को जहाँ संभव हो, सम्यक रूप से रसीदयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंककारों के मार्फत प्रस्तुत करने चाहिए।

इसमें सम्मिलित कुछ भी राष्ट्रपति की तुलना में, बैंक के पक्ष में कोई अधिकार या साम्या उत्पन्न नहीं करेगा।

## खण्ड 10 विभाग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री

यदि विनिर्देश की मदों की सूची में यह उपबंध है कि किसी विशेष सामान का प्रयोग किया जाए जो प्रभारी अभियंता के भंडार से दिया जाएगा या यदि यह अपेक्षित है कि ठेकेदार इससे उपाबद्ध सामान की अनुसूची में यथादर्शित प्रभारी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली अमुक सामग्री का प्रयोग तो केवल संविदा के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर उसका प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित सामान और सामग्री प्राप्त करने के लिए उपाबद्ध होगा और उनका प्रदाय किया जाएगा और सामान की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर इस प्रकार का प्रदाय किए गए सामान और सामग्री की पूरी मात्रा का मूल्य ठेकेदार को संविदा के अधीन या अन्यथा उस समय देय या उसके पश्चात देय होनेवाली किन्हीं राशियों में से या प्रतिभृति निक्षेप के प्रति या उससे या यदि वह सरकारी प्रतिभृतियों में है, तो उसे या उसके पर्याप्त भाग को इस प्रयोजन के लिए बेचकर उसके विक्रय आगमों से मुजरा कर दिया जाएगा या काट लिया जाएगा। ठेकेदार को इस प्रकार प्रदाय किया गया सब सामान पूर्णतः सरकार की संपत्ति बनी रहेगी और किसी भी कारण से कार्य स्थान से हटाया नहीं जाएगा और प्रभारी अभियंता द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय खुला रहेगा। संविदा के पूरा हो जाने या समाप्त कर दिए जाने के समय अप्रयुक्त और पूरी तौर से अच्छी हालत में बचा हुआ सामान प्रभारी अभियंता को उसके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर तब लौटाया जाएगा जबिक वह अपने हस्ताक्षरसिहत लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करेगा, किंतू ठेकेदार ऐसी सम्मति के बिना ऐसे किसी सामान के लौटाए जाने का हकदार नहीं होगा और पूर्वोक्त रूप से प्रदाय किए गए सामान के बारे में, जिसका वह उपयोग नहीं कर रहा है ये ऐसी किसी सामान की बरबादी या नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा, परंतु ठेकेदार ऐसी सभी या किसी सामान के प्रदाय में किसी विलंब या उसके प्रदाय न किए जाने के बारे में किसी भी दशा में किसी प्रतिकर या नुकसान का हकदार नहीं होगा, परंतु यह और कि यदि सरकार उस सामान का प्रदाय कार्य पूरा करने के लिए नियम समय में उसके 50 प्रतिशत समय को जोड़कर जो समय आए उसके भीतर (यदि कार्य पूरा करने का समय 12 माह से अधिक है, तो नियमत समय में 6 माह को जोड़कर जो समय आए उसके भीतर कर देती हैं, तो ठेकेदार सम्पूर्ण कार्य निष्पादित करने के लिए आबद्ध होगा, किंतु यदि उक्त अवधि के भीतर सामान के कुछ भाग का ही प्रदाय किया गया है, तो ठेकेदार उतना ही कार्य करने के लिए आबद्ध होगा जितना उपर्युक्त अविध में प्रदत्त सामान और सामग्री से करना संभव है। बाकी कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार उतना समय बढ़ाए जाने का हकदार होगा जितना प्रभारी अभियंता अवधारित करे। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निश्चय अंतिम होगा।

## खण्ड 10क ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री

ठेकेदार, अपने खर्चे पर, सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली निर्धारित सामग्री को छोड़कर सभी सामग्री, जो कार्य के लिए आवश्यक है, प्रदान करेगा।

ठेकेदार, कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के नमूने प्रभारी अभियंता को देगा और पूर्व में अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाले सभी सामग्री ठेके में दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप होगी। यदि प्रभारी अभियंता ऐसा चाहे, तो ठेकेदार, प्रभारी अभियंता की संतुष्टि हेतु सामग्री के संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। नमूनों या सामग्री की आपूर्ति के तीस दिनों के अंदर ऐसी अविध जो आवश्यक हो, के अंदर प्रभारी अभियंता लिखित में ठेकेदार को अपना अनुमोदन या अन्यथा सूचित करेगा। यदि नमूने मंजूर नहीं किए जाते तो, ठेकेदार को, ठेके में विनिर्देशित नमूनों के अनुरूप नए नमूने प्रस्तुत करने होंगे। जब सामग्री की विनिर्देशनों के अनुसार जाँच की जानी अपेक्षित हो तो जाँच के परिणाम की प्राप्ति के बाद प्रभारी अभियंता का अनुमोदन जारी किया जाए।

ठेकेदार, सामग्री जिसकी जाँच की जानी है या विश्लेषण किया जाना है के नमूने अपनी जोखिम एवं खर्चें पर प्रस्तुत करेगा और जब तक सामग्री के नमूनों की अपेक्षित जाँच या विश्लेषण न हो जाए और प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत न की जाए तब तक किसी भी नमूना सामग्री का उपयोग नहीं करेगा या कार्य में शामिल नहीं करेगा। ठेकेदार कार्य में विलंब या सामग्री की जाँच के परिणामस्वरुप सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के परिणामस्वरुप हुए विलंब के लिए किसी प्रकार के दावे या क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ठेकेदार अपनी जोखिम और खर्चे पर ऐसी सारी व्यवस्था करेगा और सुविधा प्रदान करेगा, जो कि प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसी जाँच के लिए आवश्यक नमूनों की संख्या एकत्र करने और तैयार करने के लिए अपेक्षित हो और ऐसे स्थान पर जहां प्रभारी अभियंता निर्देश दे। इस संबंध में जाँच के लिए सभी खर्च वही वहन करेगा जब तक कि ठेके अथवा विनिर्देशों में कहीं भी अन्यथा के लिए कहा न गया हो। प्रभारी अभियंता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को हर समय कार्य तथा कार्यस्थल एवं अन्य स्थान जहाँ से कार्य किया जा रहा है और जहाँ से सामग्री, निर्मित वस्तुएँ या मशीनरी प्राप्त की जा रही हैं, तक पहुँच हो और ऐसे स्थानों पर जाने हेतु प्रत्येक सुविधा एवं सहायता का अधिकार प्राप्त करने के व्यय, ठेकेदार वहन करेगा।

प्रभारी अभियंता को परिसर से उस सभी सामग्री को, जो उसकी राय में विनिर्देश के अनुसार नहीं है, उन्हें हटाने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी और व्यतिक्रम की दशा में, प्रभारी अभियंता उसे हटवाने के लिए अन्य शक्तियों को नियोजित कर सकेगा और ऐसा करने में ऐसी सामग्री की होनेवाली हानि या नुकसान के लिए वह उत्तरदायी या लेखादायी नहीं होगा। प्रभारी अभियंता को, उसके स्थान पर अन्य उचित सामग्री देकर पूर्ण करने की शक्तियाँ होंगी और व्यतिक्रम की दशा में प्रभारी अभियंता उनका प्रदाय करेगा और ऐसे हटाए जाने या प्रतिस्थापन में जो खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

ठेकेदार अपने ही खर्चे पर, नेमी जाँचें करने हेतु कार्य-स्थल पर सामग्री जाँच प्रयोगशाला प्रदान करेगा। प्रयोगशाला में कम-से-कम वे उपकरण हों जो जाँच हेतु आवश्यक उपकरण अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट हैं।

## खण्ड 10ख i) सुरक्षित अग्रिम

प्रभारी अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अनुबंधपत्र पर जब ठेकेदार हस्ताक्षर कर देगा तब वह इस बात का हकदार होगा कि कार्य के निष्पादन के दौरान उसे ऐसी सामग्री के 90 प्रतिशत निर्धारित मूल्य तक का संदाय किया जाए जो प्रभारी अभियंता की राय में अक्षुण्ण व न टूटनेवाली और अज्वलनशील है और संविदा के अनुसार है और जो उस स्थल पर संविदा के संबंध में लाई गई है तथा उचित रूप से भंडार में रखी गई है और/ या मौसम या अन्य कारणों द्वारा नुकसान से पर्याप्त संरक्षित है, कार्य में समाविष्ट नहीं की गई थी। जब किसी सामग्री के लिए इस उपखंड के अन्तर्गत अग्रिम दिया गया हो, कार्य में शामिल की गई हो तो ऐसे अग्रिम की राशि को इस संविदा के किसी खंड या खंडों के तहत् किए जाने वाले अगले भुगतान में से वसूल/ कटौती की जा सकेगी।

ऐसे सुरक्षित अग्रिम अन्य खराब होने वाली, टूटने वाली, दहनशीन सामग्री प्रभारी अभियंता के अनुमोदन से देय होगा, बशर्तें, ठेकेदार ऐसी सामग्री के कुल मूल्य के लिए व्यापक बीमा प्रदान करें। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। परन्तु, कोई भी सुरक्षित अग्रिम सामान्य काँच, रेत, पेट्रोल, डीजल, आदि जैसी अधिक-जोखिम वाली सामग्री पर देय नहीं होगा।

## खण्ड 10ख ii) कार्य-प्रवृत्त करने के लिए अग्रिम, ब्याज एवं वसूली

क) निविदा मूल्य के 10% की दर पर कार्य-प्रवृत्त करने हेतु अग्रिम, ब्याज एवं वसूली अवधि कार्य प्रारंभ करने के लिए आदेश के एक माह के अंदर यदि ठेकेदार द्वारा अनुरोध किया जाता है तो प्रभारी अभियंता द्वारा यदि परिस्थितियाँ उचित समझी जाए तो, उसके विवेक के अनुसार कार्य-प्रवृत्त करने हेतु अग्रिम देने के लिए ठेकेदार द्वारा लिखित में अनुरोध की गई इस अवधि का बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे अग्रिम दो या अधिक किश्तों में दिए जाएँगे जो प्रभारी अभियंता के एकल निर्णय द्वारा निर्धारित होंगे। ऐसे अग्रिम की पहली किश्त, ठेकेदार द्वारा इस संबंध में प्रभारी अभियंता को किए गए अनुरोध पर प्रभारी अभियंता द्वारा प्रदान की जाएगी। अगली किश्तें, प्रभारी अभियंता को ठेकेदार द्वारा इस बात का सबूत दिए जाने पर कि पिछली किश्तें संतोषजनक रूप से उपयोग की गई, और प्रभारी अभियंता की पूर्ण संतुष्टि पर ही जारी किए जाएँगी।

अग्रिम की कोई भी किश्त प्रदान करने से पूर्व, ठेकेदार को अग्रिम की राशि के 110% के समान राशि की किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी देनी होगी जो ठेके की पूर्ण अवधि के लिए वैध हो। उपयुक्त बैंक गारंटी का समय-समय पर बकाया राशि के लिए एवं सम्पूर्ण वसूली की संभाव्य अवधि के लिए नवीनीकृत कराया जाए।

बशर्ते, हमेशा खण्ड 10 ख (ii) का प्रावधान तब ही लागू रहे जब कि अनुसूची 'एफ ' में उसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान हो।

ख) ब्याज एवं वसूली: उपरोक्त (क) में कार्य-प्रवृत्त करने हेतु अग्निम पर प्रति वर्ष 10% की दर पर सामान्य ब्याज लगती है और अग्निम की बकाया राशि पर भुगतान के दिनांक से वसूली के दिनांक तक इसकी ब्याज की गणना की जाए, जहाँ दोनों तारीखें भी शामिल हों; ऐसी अग्निम राशि की वसूली ठेकेदार के बिलों से काटते हुए की जाएगी जिसका प्रदान किया जाना पहले 10% कार्य के पूरा होने पर प्रारंभ किया जाएगा और 10% से अधिक कार्य

का बिल बनने पर उस कार्य के सकल मूल्य पर यथानुपात प्रतिशत के आधार पर इस प्रकार दिया जाएगा कि सम्पूर्ण अग्रिम राशि ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के सकल मूल्य के 80% कार्य के होने तक वसूली जा सके और किश्त की वसूली के दिनांक तक संपूर्ण बकाया राशि पर ब्याज के साथ भुगतान किया जाए।

## खण्ड 10ग i) किसी नए कानून या संवैधानिक नियम या आदेश के प्रवृत्त होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति

निविदा में दिए गए सभी मूल्यों से संबंधित निगमों के तहत देय सभी कर, शुल्क, रॉयल्टी तथा उगाही शामिल होंगे।

यदि कार्य की प्रगित के दौरान, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री की (जो इसके खंड 10 के अनुसार प्रभारी अभियंता के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत और/ या श्रमिकों की मजदूरी किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, (किंतु विक्रय कर में किसी परिवर्तन के कारण नहीं) बढ़/ घट गई है और ऐसी बढ़त/कमी, निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान कीमतों और/ या मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है, तो सरकारी कार्य में समाविष्ट सामग्री (जो इसके खंड 10 के अनुसार प्रभारी अभियंता के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) और/ या कार्य के निष्पादन में, ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात नियोजित श्रमिकों के संबंध में ठेकेदार को देय रकम में से ऐसी रकम काटने का हकदार होगा जो कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय प्रचलित सामग्री की कीमत और/ या मजदूरी में से उसके दस प्रतिशत के बराबर रकम घटाकर आनेवाली और ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने पर सामग्री की कीमत और/ या श्रमिक की मजदूरी के बीच अंतर के बराबर होगी।

परन्तु, यदि वह बढ़त/कमी उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो कोई प्रतिपूर्ति/ कटौती नहीं की जाएगी और यदि ऐसा दस प्रतिशत से अधिक होता है, तो प्रतिपूर्ति/कटौती की जाएगी और यदि ऐसी बढ़त/कमी उक्त कार्य के पूर्ण होने के दिनांक या संविदा के समाप्ति के बाद होती है तो ऐसी कोई बढ़त देय नहीं होगी/ कमी की कटौती नहीं की जाएगी।

ठेकेदार इस शर्त के लिए ऐसी लेखा बिहयाँ और अन्य दस्तावेज रखेगा जो दावाकृत किसी वृद्धि या उपलब्धता की कमी की रकम दिखाने के लिए आवश्यक है और सरकार के सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को उसका निरीक्षण करने देगा। इसके अतिरिक्त, प्रभारी अभियंता के निवेदन पर इस प्रकार रखा गया कोई दस्तावेज और ऐसी अन्य जानकारी देगा जिसकी प्रभारी अभियंता अपेक्षा करे।

ठेकेदार ऐसी किसी सामग्री की कीमत और/या श्रमिक की मजदूरी में किसी परिवर्तन की जानकारी हो जाने के युक्तियुक्त समय के भीतर प्रभारी अभियंता को उसकी सूचना या कथन करते हुए देगा कि वह सूचना और उससे संबद्ध समस्त जानकारी जो वह देने की स्थिति में है, इस शर्त के अनुसरण में दी जा रही है।

### खण्ड 10ग ii)

## कार्य के लिए निविदा प्राप्ति के बाद मूल्यों/ मजदूरी में बढ़त/कमी के कारण भुगतान (केवल 12 महिनों से अधिक समय में पूरा होने के लिए निर्धारित कार्यों पर लागू)

यदि सामग्री को (जो इसके खंड 10 और 34 के अनुसार विभाग द्वारा नियत कीमतों पर प्रदान की गई सामग्री या की गई सेवाएँ नहीं हैं) कीमतों और/या कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, तो नीचे बताए गए उपबंधों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए ठेकेदार को प्रतिकर दिया जाएगा और संविदा की राशि में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा। यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि कीमतों में वृद्धि के लिए ऐसा प्रतिकर केवल उस कार्य के लिए दिया जाएगा जो संविदा की अनबद्ध अवधि के, जिसके अंतर्गत वह अवधि भी है, जिसके लिए संविदा के खंड 2ए के अधीन कोई कार्रवाई किए बिना खंड 5 के उपबंधों के अधीन संविदा विधिमान्य रूप से बढ़ायी जाती है, के दौरान किया गया है।

ऐसे किसी कार्य के लिए ऐसा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा जिसके पूरा किए जाने की अवधि 12 माह या इससे कम है। सामग्री की कीमतों और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के लिए ऐसे प्रतिकर की संगणना संदेय होने पर निम्नलिखित उपबंधों के आधार पर की जाएगीः

- (i) ऐसी वृद्धि की संगणना करने के लिए जिस तारीख को आधार माना जाएगा वह निविदाएँ प्राप्त किए जाने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी।
- (ii) कार्य की लागत जिस पर वृद्धि राशि देय होगी, का हिसाब इस प्रकार रखा जाएगा:-

निर्धारित मूल्य	,
इस तिमाही में वसूल की गई सुरक्षित अग्रिम का संपूर्ण निर्धारित मूल्य	[E]
इस तिमाही में देय वृद्धि के लिए सुरक्षित अग्रिम की संपूर्ण निर्धारित मूल्य [D-E]	
इस तिमाही में किया गया अग्रिम भुगतान	[G]
इस तिमाही में वसूल किया गया अग्रिम भुगतान	[H]
इस तिमाही में देय वृद्धि के लिए किया गया अग्रिम भुगतान [G-H]	[1]
इस तिमाही में प्रचलित बाजारदर पर आधारित खण्ड 12 के अनुसार भुगतान की गई अतिरिक्त मदें/मदों की विचलित मात्रा	
की गई अतिरिक्त मदें/मदों की विचलित मात्रा	1 1
की गई अतिरिक्त मदें/मदों की विचलित मात्रा तो, $M = C \pm F \pm I - J$	

खण्ड 10 के अनुसार विभाग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की	कम लागत	[K]
और इस तिमाही में वसूली गई		
कार्य का मूल्य जिसके लिए वृद्धि लागू है:	WN	K)

- (iii) प्रत्येक कार्य के लिए सामग्री के घटक तथा श्रमिक को पूर्व निर्धारित किया जाएगा और अनुसूची 'एफ' सिहत निविदा कागज़ातों के साथ संलग्न ठेके की शर्तों में शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रतिशत तैयार करते समय प्रभारी अभियंता का निर्णय ठेकेदारों पर बाध्य होगा।
- (iv) सामग्री के लिए क्षतिपूर्ति की निम्न सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी:-
- (क) सामग्री के लिए समायोजन

$$V_m - W * \frac{X_m}{100} * \frac{MI - MI_o}{MI_o}$$

जहाँ,

V<sub>m</sub> = सामग्री की लागत में उतार-चढ़ाव, अर्थात् भुगतान किए जाने या वसूल की जाने वाली राशि में वृद्धि या कमी।

W = उप-पैरा (ii) में दिए गए अनुसार किए गए कार्य की लागत की गणना की जाएगी।

X<sub>m</sub> = कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई सामग्री का घटक जैसा अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट है।

- MI = विचाराधीन अवधि के लिए सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक, जैसा कि भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया गया हो और जैसा कि निविदाओं को प्राप्त किए जाने के समय विधिमान्य हो।
- MI<sub>o</sub>= भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किए गए अनुसार निविदा की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि, बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, को वैध सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक।
- (v) उपरोक्त पैरा (iv) में उल्लिखित सूचकांक की संगणना करते समय निम्नांकित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा :
- (क) वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए संगणना त्रैमासिक अंतरालों पर की जाएगी और उक्त तिमाही के 3 कैलेंडर मास के दौरान किए गए बिल के भुगतान के अनुसार कार्य की लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी। ऐसा पहला संदाय उस माह (छोड़ते हुए), जिसमें निविदा स्वीकार की गई थी, के बाद, तीन माह के अंत में और तत्पश्चात तीन माह के अंतराल पर किया

- जाएगा। कार्य पूरा होने के समय भुगतान की अंतिम अवधि 3 महिने से कम हो सकती है जो काम पूरा होने की सही तिथि पर निर्भर है।
- (ख) किसी भी तिमाही के लिए सुसंगत सूचकांक (MI) जिसके लिए उस तरह की प्रतिपूर्ति प्रदत्त की गई है, 3 कैलेंडर माह के सुसंगत सूचकांकों का गणितीय औसत होगा। यदि, तिमाही के बाद समाप्त हो रहे दिनांक की अविध जिसके अंदर अंतिम किश्त का भुगतान करना है, 3 महीने से कम हो, तो उक्त अविध में आनेवाले महिनों के लिए औसत सूचकांक के रूप में सूचकांक MI रहेगा।
- (vi) मजदूरी में वृद्धि की प्रतिपूर्ति की नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी:-

$$V_L = W * \frac{Y_L}{100} * \frac{LI LI_o}{LI_o}$$

जहाँ,

- V<sub>L</sub> = मजदूरी की कीमत में घट-बढ़ अर्थात दी जाने या वसूल की जाने वाली रकम में वृद्धि या कमी।
- W = उप-पैरा (ii) में दिए गए अनुसार किए गए कार्य की लागत की गणना की जाएगी।
- YL = कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई श्रम का घटक जैसा अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट है।
- LI = किसी अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी जिसे किसी कानून, संवैधानिक नियम या आदेश के तहत निर्धारित किया गया हो, जो विचाराधीन के पहले वाली तिमाही की अंतिम तारीख को लागू था।
- LI<sub>o</sub> = किसी अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी जिसे किसी कानून, संवैधानिक नियम या आदेश के तहत निर्धारित किया गया हो, जो निविदा की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि, बढ़ाई गई तिथि सहित, को लागू था।
- (vii) उपरोक्त पैरा (vi) में उल्लिखित सूचकांक की संगणना करते समय निम्नांकित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:
- (क) उप-पैरा (vi) में उल्लिखित अकुशल पुरुष मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक होगी जो कार्यस्थल और गणना की अविध दोनों से सुसंगत हो।
- (ख) मजदूरी में वृद्धि भी उसी तिमाही अंतराल में दी जानी होगी जब इस खंड के अंतर्गत वस्तुओं की लागत अधिक होने पर वृद्धि का भुगतान किया गया हो। इस तरह की किसी भी तिमाही अंतराल के दौरान यदि न्यूनतम मजदूरी में परिशोधन किया जाता है, तो केवल तद्वर्ती तिमाहियों में किए गए कार्य के लिए ही परिशोधित दर पर वृद्धि की प्रतिपूर्ति देय होगी।

- (ग) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी भी श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन की अपेक्षा न करते हुए, अकुशल वयस्क पुरुष की मजदूरी की दरों में किए गए परिवर्तन ही, श्रम-प्रतिपूर्ति में दी जानेवाली प्रतिपूर्ति वृद्धि की संगणना का आधार होगा।
- (viii) वस्तुओं की कीमत और या काम निपटाने हेतु अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी में, गिरावट आए तो कार्य की लागत में अधोमुखी समायोजन का प्रावधान होगा ताकि इस तरह वस्तुओं की कीमत और/ या श्रमिकों की मजदूरी इस ठेके के अंतर्गत कार्य की लागत में कटौती की जा सके और इस संबंध में पहले खंड 10 ग (ii) के अंतर्गत उल्लिखित सूत्र आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा।

## खण्ड 10घ विखंडित सामग्री सरकार की संपत्ति होगी

ठेकेदार किसी संरचना के तोड़े जाने और कार्यस्थल के उत्खनन आदि के दौरान अभिप्राप्त सभी सामग्री को सरकारी संपत्ति समझेगा और ऐसी सामग्री का निपटान प्रभारी अभियंता द्वारा जारी किए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार सरकार के अधिकतम लाभ के लिए किया जाएगा।

खण्ड 10ङ - हटा दिया गया।

# खण्ड 11 कार्य का विनिर्देशों, आरेखों, आदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाना

ठेकेदार पूरे कार्य को और उसके हर भाग को अधिकतम सारवान और कुशल रीति से तथा सामग्री और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशों के अनुसार निष्पादित करेगा। ठेकेदार कार्य की बाबत डिजाईनों, आरेखों और प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेशों के अनुसार यथावत पूर्वतः और निष्ठापूर्वक कार्य करेगा और ठेकेदार को विनिर्देशों, ऐसी डिजाइनों आरेखों और अनुदेशों की तथा ऐसे डिजाइनों, आरेखों और विनिर्देशों जिसका उल्लेख निर्माण एवं अनुरक्षण समूह/प्रभाग/सिविल इंजीनियरी प्रभाग/अंतरिक्ष विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य के मानक विनिर्देशनों में, मानक प्रकाशन या कोड या दर सूची या संविदा में अन्यत्र कहीं निर्दिष्ट मुद्रित प्रकाशन में शामिल नहीं है, के साथ संविदा दस्तावेज की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

ठेकेदार संविदा के प्रावधानों का और सावधानी एवं निष्ठापूर्वक कार्य का निष्पादन एवं अनुरक्षण करेगा और ऐसे निष्पादन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित अस्थायी या स्थायी प्रकृति के सभी सामग्री, संरचना की योजना तथा सभी कार्यों के मापन एवं पर्यवेक्षण के लिए सभी श्रमिक, तथा सामग्री, उपकरण एवं संयंत्र प्रदान करेगा, जहाँ तक कि इनका प्रदान किया इस ठेके में विनिर्दिष्ट है या से समझा जा सकता है। ठेकेदार, सभी कार्यों तथा निर्माण की पद्धित की पर्याप्तता, उपयुक्तता एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

### खण्ड 11क कोई विनिर्देश न होने की दशा में कार्य

कार्य की श्रेणी के ऐसी दशा जिसके लिए सी.ई.डी./सी.एम.जी./ सी.एम.डी. विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे कार्य सामान्यतया केन्द्रीय लोकनिर्माण कार्य (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के विनिर्देशनों के अनुसार किये जाएँगे और यदि सी.पी.डब्ल्यू.डी के विनिर्देशनों की पुस्तक के विवरण नहीं हैं तो ऐसी दशा में कार्य भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश के अनुसार किया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश में ऐसे विनिर्देश मौजूद न होने की स्थिति में कार्य हर हाल में प्रभारी अभियंता के अनुदेश एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

#### खण्ड 12

## विचलन/परिवर्तन, विस्तार और मूल्य-निर्धारण

प्रभारी अभियंता को (i) मूल विनिर्देशों, आरेखों, डिजाइनों और अनुदेशों में, कार्य की प्रगित के दौरान ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या उनके प्रतिस्थापन, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो या सलाह दी गई हो, और (ii) कार्य-स्थल के किसी भाग की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण के मामले में कार्य के किसी अंश के लोप की शक्ति होगी और ठेकेदार उन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो उसे लिखित रूप में प्रभारी अभियंता के हस्ताक्षर से दिए जाएंगे और ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापन संविदा के ऐसे भाग होंगे जैसे मूलतः प्रावधान किया गया था और कोई परिवर्तित, परिवर्धित या प्रतिस्थापित कार्य जिसे कार्य के भाग के रूप में ठेकेदार को ऊपर विनिर्दिष्ट रीति में करने का निदेश दिया हुआ हो, ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा, जिनमें वह मूल्य शामिल है जिस पर आगे दी गई शर्तों के सिवाय वह मुख्य कार्य करने पर सहमत हुआ थाः

- 12.1 किसी प्रकार के विचलन के कारण निविदा मूल्य से अधिक अतिरिक्त लागत आये तो यदि ठेकेदार अनुरोध करता है तो कार्य पूरा करने का समय निम्नानुसार बढ़ाया जा सकेगाः
- i) उस अनुपात में जिसमें मूल निविदा मूल्य से परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत हो।
- ii) उपरोक्त (i) में परिभाषित समय का 25% अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा उचित माना गया अतिरिक्त समय।
- 12.2 अतिरिक्त मदें एवं मूल्य निर्धारण
- क. प्रमुख कार्यों के लिए:

अतिरिक्त मदों के मामले में (मदें जो पूरी तरह नई हैं, और संविदा में दी गई मदों के अलावा हैं), ठेकेदार आदेश प्राप्ति या मदों के जारी होने के 15 दिनों के अंदर कार्य के लिए सही विश्लेषण द्वारा समर्थित दर का दावा करे और प्रभारी अभियंता ठेकेदार द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत दरों के विश्लेषण पर विचार करते हुए बाजार के भावों के आधार पर दरों का निर्धारण करेगा और ठेकेदार को इस प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, बढ़ाना/परिवर्तन के कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिए:

अतिरिक्त मदें, जो अनुसूचित मदें हैं, (जैसा अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित है), के मामले में, इनके लिए अनुसूचित दर और प्रस्तावित संविदा राशि के अधिक/ कम प्रतिशत को जोड़ते/घटाते हुए भुगतान किया जाएगा। गैर-अनुसूचित मदों (गैर एस.ओ.आर. मदें) के मामले में अतिरिक्त मदों के लिए भुगतान प्रचलित बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

12.3 प्रतिस्थापित मद, मूल्य निर्धारण

क. प्रमुख/पूँजीगत कार्यों के लिएः

प्रतिस्थापित मदें (मदें, जिनमें आंशिक प्रतिस्थापन के साथ लिया जाता है तो संविदा में दी गई मदों के एवज में हैं) के मामले में, करार की मदें (जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाना है) और प्रतिस्थापित मदों के लिए दर निम्न अनुच्छेदों में उल्लिखित ढ़ंग से निर्धारित की जाएँगी।

- i) यदि इस प्रकार निर्धारित प्रतिस्थापित मद की बाजार दर करार की मद की बाजार दर से अधिक है तो ठेकेदार की प्रतिस्थापित मद के लिए देय दर करार की मद (जिसे प्रतिस्थापित किया जाना है) के लिए दर प्रतिस्थापित मद और करार की मद की बाजार दर के बीच के अंतर तक बढ़ाते हुए दी जाएगी।
- ii) यदि इस प्रकार निर्धारित प्रतिस्थापित मद की बाजार दर करार की मद की बाजार दर से कम है तो ठेकेदार की प्रतिस्थापित मद के लिए देय दर करार की मद (जिसे प्रतिस्थापित किया जाना है) के लिए दर प्रतिस्थापित मद और करार की मद की बाजार दर के बीच के अंतर को घटाते हुए दी जाएगी।

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, बढ़ाना/ परिवर्तन के कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिएः

प्रतिस्थापित मदों, जो अनुसूची की मद है (एस.ओ.आर. जैसा अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित है) के मामले में भुगतान संविदा की राशि में प्रस्तावित अधिक/कम प्रतिशत को जोड़ने/घटाते हुए किया जाएगा। गैर-अनुसूचित मद के मामले में प्रतिस्थापित मद का भुगतान (गैर एस.ओ.आर., जैसा अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित है), प्रचलित बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

12.4 परिमाण में विचलन, मूल्य-निर्धारण

क. प्रमुख/पूंजीगत कार्य के लिएः

संविदा की मद, प्रतिस्थापित मद, संविदा-सह-प्रतिस्थापित मदों के मामले में जो नीचे दी गई सीमा से अधिक हों, अधिक के लिए आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर ठेकेदार दरों में संशोधन का दावा कर सकता है, जो उपरोल्लिखित सीमा से अधिक कार्य के लिए उचित विश्लेषण के साथ समर्थित हो, बशर्ते, इस प्रकार किया गया दर का दावा परिमाण की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक हो, प्रभारी अभियंता ठेकेदार द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत दरों के विश्लेषण पर विचार करते हुए बाजार के भावों के आधार पर दरों का निर्धारण करेगा और ठेकेदार को इस प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

निर्धारित समय सीमा निम्न प्रकार है:

यदि कार्य का निविदा मूल्य

45 लाख रुपये से अधिक है : 30 दिन 45 लाख रुपये से अधिक है और 2.5 करोड़ रुपये तक है : 45 दिन 2.5 करोड़ रुपये से अधिक है : 60 दिन

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, बढ़ाना/ परिवर्तन कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिएः

ऐसी संविदा की मदें जो अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती हैं, उनके मामले में ठेकेदार को परिमाण की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

12.5

क. प्रमुख/पूंजीगत कार्यों के लिएः

पिछले अनुच्छेदों के प्रावधान, अनुसूची 'एफ' में दी गई अधिक कार्य की सीमा के लिए मदों की दरों में गिरावट आने पर, उन पर भी लागू होंगे, और प्रभारी अभियंता ऐसी वृद्धि के घटने के एक माह के अंदर ठेकेदार को सूचना देते हुए और उस सूचना की प्राप्ति के बाद पन्द्रह दिनों के अंदर ठेकेदार द्वारा भेजे गए उत्तर पर विचार करते हुए, बाजार भाव को ध्यान रखते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर उक्त अवधि की समाप्ति के पहले उक्त कार्य हेतु दरों में संशोधन करेगा।

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, बढ़ाना/परिवर्तन कार्यों सहित अनुरक्षण कार्यों के लिएः

अनुसूची 'एफ' में दी गई सीमा से अधिक कार्य के लिए मदों की प्रचलित बाजार दर में गिरावट के मामले में, प्रभारी अभियंता ऐसी वृद्धि के घटने के एक माह के अंदर ठेकेदार को सूचना देते हुए और उस सूचना की प्राप्ति के बाद पन्द्रह दिनों के अंदर ठेकेदार द्वारा भेजे गए उत्तर पर विचार करते हुए, बाजार भाव को ध्यान रखते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर उक्त अवधि की समाप्ति के पहले उक्त कार्य हेतु दरों में संशोधन करेगा।

सीमा के विचलन के उपयोग के उद्देश्य हेतु, निम्नलिखित कार्यों की नींव संबंधी कार्य माना जाएगा जब तक कि ठेके में अन्यथा न निर्दिष्ट किया गया हो:

- i) भवन के लिए: भूमि से 1.2 मीटर ऊपर तक या पहली मंजिल तक, जो भी नीचा हो, के सभी कार्य।
- ii) पीलपाया, स्तंभ तथा कुएँ में दीवार के लिएः तल (संस्तर) से 1.2 मीटर ऊपर के सभी कार्य।

- iii) दीवार, पार्श्व, दीवार, परकोटा, चिमनी, ऊपर की पानी की टंकी तथा अन्य ऊँची संरचनाओं को बनाने के लिए: भूमि से 1.2 मीटर ऊपर के सभी कार्य।
- iv) जल टंकियों (ऊपर/छत की टंकियों के अलावा)ः भूमि से 1.2 मीटर ऊपर के सभी कार्य
- v) तहखाने के लिए: भूमि से 1.2 मीटर ऊपर या पहली मंजिल तक, जो भी कम नीचा हो, के सभी कार्य
- vi) सड़क के लिए, ख़ुदाई तथा भरण के सभी कार्य, जिनमें उप तल का कार्य भी शामिल है।

### 12.6

ठेकेदार प्रभारी अभियंता को प्रति तिमाही में अद्यतन लेखा-जोखा भेजेगा जिसमें ठेकेदार उन अतिरिक्त भुगतान के दावों के पूरे विवरण भेजेगा, जिनके लिए वह स्वयं को योग्य समझता है और पिछली तिमाही में किए गए सभी अतिरिक्त कार्य, जिनका आदेश उसे प्रभारी अभियंता से मिला था, के विवरण भेजेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि ठेकेदार ने अपना हक छोड़ दिया है। परन्तु, समूह प्रधान सी.एम.जी./प्रधान, सी.एम.डी. ऐसे दावों को योग्यता के आधार पर विचार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे।

### 12.7

उपरोल्लिखित परिमाण की अनुसूची में या दरों की सूची में शामिल मद के सही निष्पादन हेतु किया गया कोई कार्य, चाहे वह मद के विवरण में और संबद्घ विनिर्देश में विशेष रूप से वर्णित हो या नहीं, निविदाकार द्वारा प्रस्तावित दरों में या दरों की उक्त सूची में दिए गए दर में, जैसी स्थिति हो, शामिल माना जाएगा। ऐसे कार्य के लिए कुछ भी अतिरिक्त स्वीकार्य नहीं होगा।

## खण्ड 13 कार्य के क्षेत्र का परित्याग या कटौती के कारण ठेके का पूर्व-समापन

निविदा की स्वीकृति के पश्चात्, यदि कभी भी प्रभारी अभियंता किसी भी कारण कार्य के क्षेत्र का त्याग करने या उसमें कटौती करने का निर्णय लेता है, और इसलिए सम्पूर्ण या आंशिक कार्य को करने की आवश्यकता न हो तो प्रभारी अभियंता उस आशय की लिखित में ठेकेदार को सूचना देगा और ठेकेदार उस मामले में तद्नुसार कार्रवाई करेगा। ठेकेदार संपूर्ण कार्य करने पर प्राप्त मुनाफे या लाभ के लिए, जो वह कार्य की पूर्व समाप्ति के कारण प्राप्त नहीं कर सका उसके लिए) किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या अन्यथा के भुगतान के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

ठेकेदार को कार्य-स्थल पर किए गए कार्य के लिए संविदा की दर के अनुसार पूरे धन का भुगतान किया जाएगा और पूर्व समाप्ति के कारण पूरी तरह उपयोग न की गई निम्नलिखित मदों के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित उचित धन-राशि का भी भुगतान किया जाएगा;

(i) प्रारंभिक कार्य-स्थल पर किया गया कोई व्यय जैसे, अस्थायी पहुँच मार्ग, अस्थायी मजदूरों की झोंपड़ी, स्टाफ क्वार्टर, तथा कार्य-स्थल का कार्यालय, भण्डारण तथा जल-टंकी।

- (ii) ठेकेदार द्वारा लाई गई सामग्री या उसका आंशिक भाग जो कार्य-स्थल पर लाया गया हो या जिसकी सुपूर्दगी आपूर्तिकर्ता से (कार्य में शामिल करने के लिए या कार्य के लिए आवश्यक है) लेने के लिए ठेकेदार कानून बाध्यकारी है, को लेने का सरकार/विभाग के पास विकल्प होगा बशर्ते, सरकार/विभाग ऐसी सामग्री या उसका भाग लेने के लिए बाध्य होगा जिसे ठेकेदार अपने पास रखना नहीं चाहता। सरकार/विभाग द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्री की लागत का भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार किया जाएगा। इस लागत में क्रय मूल्य, परिवहन का व्यय, तथा टूट-फूट या नुकसान, जो ठेकेदार के पास रहते समय सामग्री में हुआ हो, को शामिल किया जाएगा।
- (iii) यदि सरकार/विभाग द्वारा आपूर्ति की गई कोई सामग्री बच जाती है, सामान्य बचे-खुचे को काट कर ठेकेदार द्वारा वह सरकार/विभाग को, मूलतः जारी दर पर, ठेकेदार के पास रहते हुए सामग्री में हुई क्षति या हानि को कम करते हुए वापस की जाएगी। इसके साथ-साथ सरकार/विभाग के भण्डार में उक्त सामग्री को पहुँचाने की लागत का, यदि अपेक्षित रहा तो सरकार/विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (iv) टी. एण्ड पी. का ठेकेदार के स्थायी भण्डार में या किसी अन्य कार्य स्थल पर जो नजदीक हो, पर भेजे जाने हेतु उचित क्षतिपूर्ति। यदि टी.एण्ड पी. इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं भेजे जाते हो तो परिवहन लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (v) ठेकेदार के कार्य-स्थल के स्टाफ तथा बाहर से लिए गए मजदूरों की वापसी के लिए आवश्यकता के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति।

यदि प्रभारी अभियंता द्वारा अपेक्षित रहा तो ठेकेदार को लेखा-बिहयों, मजदूरी पुस्तिका, समय सारणी तथा अन्य संबद्ध दस्तावेजों और इस परिस्थिति में उसे देय उचित धन-राशि को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

उपरोक्त (i), (iv) तथा (v) की मदों की उचित राशि, समापन की तारीख को बचे हुए अधूरे कार्य की लागत के 2% से अधिक न हो, अर्थात् स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्य की कुल निर्धारित लागत, जिसमें से ठेके के तहत किए गए वास्तविक कार्य की लागत घटाएँ और उपरोक्त मद (ii) के अनुसार सरकार/विभाग द्वारा ली गई ठेकेदार की सामग्री की लागत को घटाएँ। बशर्ते, ठेकेदार को इस हेतु या अन्यथा देय किसी भी भुगतान के प्रति उस बकाया राशि, जो ठेकेदार पर देय है उसे किसी उपकरण, संयंत्र और सामग्री के संबंध में दिए गए अग्रिम या ऐसी कोई अन्य राशि जो समापन की तारीख को ठेके की शर्तों के तहत ठेकेदार से सरकार/विभाग द्वारा वसूल की जानी थी, को वसूल करने या अपने नाम जमा करने के लिए हमेशा प्रभारी अभियंता हकदार होगा।

#### खण्ड 14

### जोखिम और लागत

यदि ठेकेदारः

- (i) कार्य के दौरान कभी भी कोई गलती करता है या कार्य के किसी भाग को निष्ठापूर्वक नहीं करता और प्रभारी अभियंता से इस संबंध में लिखित सूचना देने के बाद भी 7 दिनों तक ऐसा ही करना जारी रखता है; या
- (ii) ठेके की किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन में गलती करता है और इसे संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा दी गई लिखित सूचना के बाद सात दिनों के अंदर उसे सुधारता नहीं या सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाता;
- (iii) प्रत्येक कार्य की तारीखों को या तक कार्य की मदों को पूरा करने में विफल रहता है और प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में लिखित सूचना में दी गई अवधि तक भी पूरा नहीं करता तो:

प्रभारी अभियंता खण्ड 3 के तहत कार्रवाई न करते हुए, ठेकेदार के प्रति किसी अन्य अधिकार या सुधारात्मक कार्य, जो सरकार/विभाग को उपचित है या होनेवाली है, के पूर्वाग्रह के बिना आंशिक कार्य/अपूर्ण आंशिक कार्य को लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा और

- (क) कार्य-स्थल, और वहाँ सामग्री, निर्माण-संयंत्र, उपकरण, भण्डार, इत्यादि को जब्त करने; और/या,
- (ख) ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर आंशिक कार्य/अधूरे आंशिक कार्य को किसी भी प्रकार करने,

का अधिकार होगा।

ठेकेदार ने अपने हाथ में लिए गए का आंशिक कार्य/अधूरे आंशिक कार्य की मदों को पूरा और ठेकेदार की जोखिम और लागत पर करने हेतु ठेकेदार से वसूली योग्य धन का निर्धारण प्रभारी अभियंता करेगा, इस खण्ड के अधीन कार्रवाई सरकार/विभाग को हुई हानि या क्षति के कारण ठेकेदार की देयता कार्य की निविदा मूल्य के 10% से अधिक न हो।

धन-राशि का निर्धारण करने में, ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के मूल्य सभी प्रकार से उसी ढ़ंग से और उसी दर पर दिया जाना चाहिए जैसे कि वह ठेकेदार द्वारा किया गया हो, इस ठेके की शतोंं, ठेकेदार की ली गई सामग्री के मूल्य और कार्य में लगाई गई तथा ठेकेदार के संयंत्र और मशीनरी का उपयोग किये गए अनुसार ही लगाना चाहिए। किए गए कार्य के मूल्य के लिए प्रभारी अभियंता का ठेकेदार के प्रति प्रमाणप्रत्र अंतिम और निर्णायक होगा बशर्ते, इस खण्ड के अंतर्गत कार्रवाई ठेकेदार को लिखित सूचना देते हुए की जाएगी। परन्तु, यह भी कि विभाग द्वारा किया गया व्यय यदि ठेकेदार को उसके करार की दर पर देय राशि कम है तो वह अंतर की राशि ठेकेदार को देय नहीं होगी।

आंशिक कार्य/अधूरे आंशिक कार्य को पूरा करने में सरकार/विभाग द्वारा किया गया या उपचित किए जाने वाले अधिक व्यय या ऐसे आकलन के में बाद सरकार/विभाग को हुई क्षित की अत्यधिक हानि को, किसी भी अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना या सरकार/विभाग को करार के अनुसार कानून में उपलब्ध कोई सुधार के पूर्वाग्रह के बिना ठेकेदार को किसी भी कारण देय धन से वसूला जा सकेगा और यदि वह धन अपर्याप्त है तो ठेकेदार को लिखित जानकारी देकर बुलाया जा सकेगा और 30 दिनों के अंदर उसे उस राशि का भुगतान करना होगा।

यदि ठेकेदार उपरोक्त 30 दिनों की अविध में उस धन का भुगतान करने में विफल हो जाता है तो प्रभारी अभियंता को ठेके के तहत, ठेकेदार की सभी अप्रयुक्त सामग्री, कार्य-स्थल पर निर्माण-संयंत्र, उपकरण, अस्थायी भवन इत्यादि बेचने और उससे प्राप्त धन को ठेके से देय धन की वसूली करने का अधिकार है और इसके पश्चात् भी कोई बकाया रहता है तो वह संविदा के प्रावधानों के अनुसार वसूला जाए।

प्रभारी अभियंता द्वारा उपरोक्त कार्रवाई अपनाई जाने के दौरान, ठेकेदार द्वारा, खरीदी या प्राप्त सामग्री या किसी भी कारण से या इस कार्य के निष्पादन या ठेके के निष्पादन की दृष्टि से किसी कार्य को तय किया हो या उसके लिए अग्रिम दिया हो, के कारण हुई हानि के लिए कोई क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा।

# खण्ड 15

### कार्य का निलंबन

ठेकेदार, प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में ऐसा कहे जाने पर कार्य या उसके किसी भाग या भागों के निष्पादन को निलंबित कर देगा और उसके द्वारा लिखित रूप में निदेश प्राप्त होने तक कार्य को नहीं करेगा। ठेकेदार को निलंबित अविध की उस अविध के समान अविध के लिए समय बढ़ाया जाएगा परन्तु, इस संबंध में क्षतिपूर्ति या अन्यथा कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

# खण्ड 16 कार्य विनिर्देशन के अनुसार न किए जाने के मामले में कार्रवाई

सभी कार्य निष्पादित होने के दौरान या करार के अनुसार निष्पादित होने के क्रम में प्रभारी अभियंता, उनके अधीनस्थ अधिकृत प्रभारी और सभी वरीय अधिकारी, विभाग के गुणवत्ता प्रमाणिक अधिकारी, का विभाग द्वारा नियुक्त गुणवत्ता प्रमाणिक विभाग और मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए हर समय खुले एवं पहुँच के अंदर होने चाहिए। ऐसे अधिकारी, जिनके द्वारा निरीक्षण करने की सूचना ठेकेदार को पहले दी चुकी है, इन अवसरों पर या तो ठेकेदार को स्वयं उपस्थित रहना चाहिए या ठेकेदार द्वारा नामित कोई अन्य अभिकर्ता को जो इन अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश को लिखित रूप में अभिलेखित करे। ठेकेदार के अभिकर्ता को दिए गए आदेश ठेकेदार पर भी समान रूप से लागू होंगे।

यदि प्रभारी अभियंता या उनके अधीनस्थ अधिकृत कार्य-प्रभारी या गुणवत्ता प्रमाणिकता प्राधिकारी या इनके अधीनस्थ अधिकारी या गुणवत्ता प्रमाणिक विभाग से संगठन के लिए नियुक्त अधिकारी या मुख्य तकनीकी परीक्षक या इनके अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्य अनुपयुक्त, अनुचित या दक्षहीन कार्मिकों द्वारा किए गए हैं या कोई सामग्री या वस्तु जिसका उपयोग कार्य के दौरान हुआ है और जो करार के अनुसार घटिया या अनुपयुक्त है या जो करार के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को कार्य पूरा होने के 12 महीने के भीतर (10 लाख या इससे कम लागत वाले कार्य; सड़क-कार्य को छोड़कर; के लिए 6 महीने की अविध तक) लिखित रूप में यह आश्वासन देना होगा कि जिन कार्यों या सामग्रियों एवं वस्तुओं या निर्माण-कार्य में प्रयोग हुआ है तथा जिनके लिए शिकायात दर्ज की गई है उन्हें स्वीकृत, प्रमाणित, या भुगतान कर दिया गया हो उन्हें आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में आवश्यकतानुसार या स्थिति के अनुसार सुधार दिया जाएगा या पूरी तरह हटा दिया जाएगा या पूरी तरह हटा दिया जाएगा या पूरी तरह हटा दिया जाएगा या वस्तु का लागत-भार स्वयं वहन करेगा। यदि प्रभारी अभियंता द्वारा तय सीमा के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा काम पूरा नहीं हो पाता है तो करार की धार के 2 (समय पर काम पूरा नहीं करने की स्थिति में) सलाना दर से उसे क्षितिपूर्ति करनी पड़ेगी।

ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता कार्य के लिए करार में उल्लिखित दर से कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे परन्तु अनुसूची 'एफ' में वर्णित विशेषाधिकार के तहत कम दर पर कार्य को स्वीकृति प्रदान करेंगे या लेखा बिल या अंतिम बिल तैयार करते समय यह विचार करेंगे कि कृत कार्य सुरक्षा एवं उपयोग की दृष्टि से हानिकारक नहीं है या भुगतान को पूरे तौर पर निरस्त कर देंगे या इनसे जुड़े सभी मद का परिष्करण करायेंगे या ठेकेदार की लागत पर हटाकर पुनर्निर्मित करा लेंगे। प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को इस बाबत की गई लिखित सूचना अंतिम एवं अधिमान्य होगी।

# खण्ड 16क कार्य समाप्त करने के पूर्व सूचना देना

ठेकेदार किसी कार्य को पूरा करने या अन्यथा उसको ऐसी स्थिति में लाने जिसमें उसका मापन हो सके, इससे पूर्व प्रभारी अभियंता अथवा उसके प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, जो उस कार्य का प्रभारी है, कम से कम 7 दिन की लिखित सूचना देगा तािक उसके इस प्रकार पूरा जाने या कार्य का जिसमें उसका मापन हो सके, लाये जाने से पूर्व उसकी सही लंबाई चौड़ाई आदि नापी जा सके और ठेकेदार किसी भी कार्य को प्रभारी अभियंता या उसके उस प्राधिकृत अधिनस्थ व्यक्ति की लिखित सम्मति के बिना जो प्रभारी अभियंता है न तो पूरा और न ऐसी स्थिति में रखेगा की उसका अधिनस्थ उस कार्य का प्रभारी अभियंता और उसका प्राधिकृत अधिनस्थ जो उस कार्य का प्रभारी है, 7 दिन की उपयुक्त अविध के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य बिना ऐसी सूचना देकर अथवा प्रभारी अभियंता की सहमति प्राप्त किए बिना पूरा किया जाएगा या ऐसे स्थिति में ले आया जाएगा कि उसका मापन हो सके तो वह कार्य ठेकेदार के खर्च पर किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए जिसकी मदद से उसे निष्पादित किया गया था कोई भूगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

#### खण्ड 17क

## अनुरक्षण की अवधि के दौरान क्षति, त्रुटि के लिए टेकेदार जिम्मेदार

यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हैं, किसी भाग को या उस परिसर से जिस पर कोई कार्य या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा है लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के मोड़, बाड़ अहाते, पानी के नल, केबल, नालियों, विद्युत या टेलिफोन के संभों या तारों, पेड़ों, घास या घास का मैदान या जोती हुई भूमि को तोड़ेगा, विरूपित करेगा, नुकसान पहुँचाएगा या नष्ट करेगा या कार्य में उसकी प्रगति के दौरान कोई नुकसान किसी भी कारण से हो जाएगा या कार्य में कोई खराबी, सिकुड़न या कोई अन्य दोष प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य के पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र के यथापूर्वीत दे दिए जाने के पश्चात बारह माह के भीतर प्रकट होते हैं, (किसी भी कार्य के लिए छः माह, केवल सड़क के कार्य के अलावा, दुसरा कोई कार्य जो 1,00,000/- व उससे कम हो) जो त्रृटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्य कौशल से पैदा हुए है तो ठेकेदार, उस निमित लिखित रूप में सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्चे पर ठीक करेगा और इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रभारी इंजीनियर उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की (जिसके विषय में प्रभारी इंजीनियर का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) कटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात किसी समय ठेकेदार को देय हो जाए या उसके प्रतिभृति निक्षेप में से अथवा उसके या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय से कर सकेगा। ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र के दिए जाने के पश्चात 12 मास की समाप्ति से पूर्व या जब तक कि अंतिम बिल पास नहीं हो जाता है, भी पश्चातवर्ती हो लौटाया नहीं जाएगा।

प्रभारी अभियंता किसी भी त्रुटि के बारे में त्रुटि निवारण अविध के समापन जो कार्य समापन की तिथि से प्रारंभ हो जाती है, से पूर्व ही ठकेदार को सूचित करेंगे। जब तक त्रुटि का निवारण नहीं हो जाता तब तक त्रुटि निवारण अविध को स्वतः विस्तृत माना जाएगा। जब कभी भी ऐसी सूचना दी जाती है तो ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा तय समय-सीमा के अंतर अधिसूचित त्रुटि का निवारण कर देना चाहिए।

तथापि, खास कार्य जैसे मिट्टी से संबंधित कार्य या वन की सफाईकरण कार्य के लिए जहाँ त्रुटि दायित्वाविध संगत नहीं है, प्रतिभूति निक्षेप खंड 45 द्वारा श्रम सहमति प्रमाणपत्र के आधार पर अंतिम बिल के भुगतान के साथ में लौटाया जाता है।

आगे, जहाँ यह अनुबंध है कि कार्य को खंडवार रूप में समाप्त करें, कार्यप्रभारी अभियंता प्रतिभूति निक्षेप का एक अंश की तिथि से 12 महीने की अविध समाप्त होना अनिवार्य है, (किसी भी कार्य के लिए छः माह, केवल सड़क के कार्य के अलावा, दूसरा कोई कार्य जो 1,00,000/- व उससे कम हो) परंतु संपूर्ण ठेके के अंतिम बिल का भुगतान हो जाने के बाद ही ऐसा कर सकता है।

### खण्ड 17ख

## ठेकेदार द्वारा समूचे कार्य के मूल्य के लिए बीमा करवाने हेतु विशेष शर्त

करार की शर्त की धारा 17ए के अनुसार, कार्य की लगभग समाप्ति पर या कार्य के दौरान यदि कोई घटना घटती है तो ठेकेदार को हुए नुकसान की भरपाई को स्वयं व्यय करना पड़ेगा। इस

धारा को परिपूर्ति करने के लिए तथा प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुरूप कार्य स्थल को उन्हें सौंपने का उत्तरदायित्व लेने के लिए और उनसे प्रमाण-पत्र या सुविधा, भवन एवं कार्य कर ग्रहण करने के पत्र की प्राप्ति के लिए तथा किसी भी कारण से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। इस बाबत, ठेकेदार कार्यादेश प्राप्त होने के बाद कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण कार्यादेश मूल्य के लिए 'ठेकेदार की पूर्ण जोखिम बीमा (सी.ए.आर.)' के अंतर्गत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हों। तृतीय-पक्ष देयता एवं परस्पर देयता इस बीमा नीति के अंतर्गत शामिल होंगी। ठेकेदार इस संबंध में बीमा कंपनी तथा मुख्य नियोक्ता यानी प्रभारी अभियंता से भी सी.ए.आर. के लिए विचार-विमर्श करेगा। कार्य के दौरान या कार्य समापन की निकट अविध के दौरान (त्रुटि निवारण अविध जिसके लिए धारा 17ए लागू है, के अतिरिक्त) यदि कोई घटना घटती है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा। इसके बाद ही वह कार्यस्थल को स्वीकार्य अवस्था में प्रभारी अभियंता को सौंपेगा तथा विभाग से उस पत्र की प्राप्ति का इंतजार करेगा जिसमें कार्यस्थल को सौंपने देने का उल्लेख होगा। तब तक, किसी भी कारणवश होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

नोटः सभी कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठेकेदार को जीवन बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी को चालू रखने में असफल होता है तो विभाग, उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने, जिसमें उसे जाने वाली भुगतान पर रोक लागना शामिल है, के लिए अधिकृत है।

# खण्ड 18 ठेकेदार द्वारा उपकरणों एवं संयंत्रों, इत्यादि की आपूर्ति

ठेकेदार कार्य के ठीक निष्पादन के लिए अपने व्यय पर सब सामग्री (ऐसी विशेष सामग्री यदि कोई हो सिवाय जिनका प्रदाय संविदा के अनुसार प्रभारी इंजीनियर के भंडारों से किया जा सकता हो) संयंत्र, औजारों उपयंत्रों, उपस्करों, सीढ़ियों, गरारी पाड़ तथा कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित या उचित अस्थायी संकर्मों की व्यवस्था करेगा चाहे वे मूल, परिवर्तित या प्रतिस्थापित हो और चाहे संविदा के भाग के रूप में विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों में सिम्मिलित या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हो, या नहीं या जो किसी ऐसे विषय के बारे में प्रभारी इंजीनियर की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्यस्थल तक और वहां से उनके लाने ले जाने, सिहत अपेक्षित है।

ठेकेदार साधनों और सामग्री सहित अपेक्षित व्यक्तियों को बिना प्रदाय के भेजेगा, जो काम को आरंभ करते समय और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तोल आवश्यक हों। उसके ऐसा करने में असफल रहने पर प्रभारी इंजीनियरी ठेकेदार को देय किसी धन में से या उसके विक्रय से प्राप्त में से लेकर कटौती करेगा/करेंगे।

#### खण्ड 18क

## मजदूरों को की गई क्षतिपूर्ति की वसूली

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के धारा 12 की उपधारा (i) के उपबंधों के आधार पर, सरकार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है, सरकार इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (ii) अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या सरकार द्वारा ठेकेदार को देय किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल कर सकेगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (i) के अधीन उसके विरूद्ध किए गए सिकी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तथा बाध्य होगी, जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की है और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप दायी होगी, पूर्ण प्रतिभूति दे दी है, अन्यथा नहीं।

#### खण्ड 18ख

## ठेकेदार के असफल होने पर मजदूरों को भुगतान एवं सुविधाएँ सुनिश्चित करना

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, के उपबंधों के अधीन सरकार किसी ऐसे कर्मकार की मजदूरी की उसकी राशि का संदाय करने के लिए बाध्य है जिसे ठेकेदार ने संकर्म के निष्पादन में नियोजित किया है या कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी ऐसी सुखसुविधाओं की व्यवस्था करने में कोई खर्च उठाने के लिए बाध्य है जिनके बारे में उक्त अधिनियम और नियम खंड 19 एच. या ठेकेदार के श्रम विनियमों या सरकार द्वारा कर्मकारों के स्वास्थ्य की संरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के समय-समय पर बनाए गए नियमों के अधीन यह अपेक्षा है कि उनकी व्यवस्था की जाए। सरकार इस प्रकार संदत्त मजदूरी की रकम या इस प्रकार किया व्यय की रकम ठेकेदार से वसूल करेगी और कार्य का श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम नियम 1970 की धारा 20 की उपधारा (2) और धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसी रकम या उसका कोई भाग प्रतिभृति निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को चाहे इस संविदा के अधीन या अन्यथा देय किसी राशि में से कटौती करके वसूल कर सकेगी। जब ठेकेदार लिखित अनुरोध करेगा और जब वह सरकार के ऐसे सभी खर्च के लिए पूरी प्रतिभूति दे देगा जिनके लिए सरकार को ऐसे दावों का प्रतिवाद करने में दायी हो सकती है, तभी सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन उसके (सरकार के) विरूद्ध किए गए दावे का प्रतिवाद करने के लिए आबद्ध होगी, अन्यथा नहीं।

### खण्ड 19

# ठेकेदार द्वारा श्रम कानून/सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन

ठेकेदार द्वारा श्रिमिकों को काम में लगाने, मजदूरी देने एवं अन्य संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जारी नियम, अधिनियम एवं कानून का अनुपालन करना चाहिए और उक्त श्रम कानून के अनुपालन के दौरान किसी भी प्रकार के किए गए भुगतान के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए।

संबंधित प्रभारी अभियंता को यह अधिकार है कि वह ठेकेदार को देय राशि में से ऐसी राशि की कटौती कर लें जो उस हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित होने के लिए प्राक्कलित है, जो किसी कर्मकार या कर्मकारों ने संविदा की कर्मकारों की फायदे वाली शर्तों के अपालन, मजदूरी के अंसदाय या उसकी या उनकी मजदूरी में ऐसी कटौतियों के, जो उनके संविदा के निबंधनों के या उनके द्वारा विनियमों के अपालन के आधार पर न्यायोचित नहीं हैं, के कारण उठाई गई है।

आगे, मजदूरों के लिए इसरो की सुरक्षा मैनुअल (अनुसूची 'एफ') के अनुरूप सुरक्षा प्रावधान, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई की व्यवस्था इसके विस्तृत नियम के अनुरूप, ठेकेदार अपने खर्च पर व्यवस्थित एवं अनुपालित करेगा।

#### खण्ड 20

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के और ठेका श्रम को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों के, जो समय-समय पर प्रवृत्त की जाएँ सभी उपबंधों का पालन करेगा।

#### खण्ड 21

## कार्य को उप-पट्टे पर न दिया जाए – दिवालिया होने की स्थिति में कार्रवाई

प्रभारी अभियंता के लिखित अनुमोदन के बिना संविदा का न तो समनुदेशन किया जाएगा और न वह उप-पट्ट पर दी जाएगी। यदि ठेकेदार अपनी संविदा को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा या दिवालिया हो जाएगा या दिवालिया विषयक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा या यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी लोक अधिकारी या सरकार के नियोजन में किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में उसके पद या नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलिख, ईनाम या अनुलाभ या अन्यथा फायदा पहुँचाएगा, देने का वायदा या प्रस्थापना करेगा या यदि ऐसा कोई अधिकारी या व्यक्ति संविदा में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता को खंड 3 में निर्दिष्ट कोई भी कार्रवाही, जिसे वह सरकार के हित में सर्वोत्तम रूप से हितकर समझे, करने की शक्ति होगी और यदि इनमें से कोई कार्रवाही की जाती है तो उसके वे ही परिणाम होंगे जो खंड 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

#### खण्ड 22

## वास्तविक हानि या क्षति के संदर्भ के बिना देय क्षतिपूर्ति

इन शर्तों में से किसी शर्त के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय सब राशियाँ वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रति निर्देश के बिना और चाहे कोई नुकसान हुआ हो या नहीं सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी।

#### खण्ड 23

## फर्म के गटन में परिवर्तन की सूचना

ठेकेदार द्वारा भागीदारी फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व प्रभारी अभियंता का लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जहाँ ठेकेदार व्यक्ति है या अविभक्त हिंदु परिवार का व्यवसाय है वहाँ इससे पूर्व की ठेकेदार कोई ऐसा भागीदारी करार करे जिसके अधीन भागीदारी फर्म को वह कार्य करने का अधिकार होगा जो ठेकेदार ने इसके द्वारा अपने हाथ में लिया है उक्त अनुमोदन उसी प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। यदि उपर्यूक्त पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि संविदा का समनुदेशन इसके, खंड 21 का उल्लंघन करते हुए किया गया है और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसके वे ही परिणाम होंगे जो उक्त खंड 21 में उपबंधित है।

### खण्ड 24 - हटा दिया गया है।

#### खण्ड 25

### विवाद का निपटारा और मध्यस्थता

- क) यदि कार्य प्रभारी अभियंता, सी.एम.डी. और ठेकेदार के बीच निम्नांकित विषय पर किसी भी तरह के विवाद या भिन्नता हो जाएः
  - i) इसमें पूर्व उल्लिखित विनिर्देशों, रेखाचित्रों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ।
  - ii) की कर्म कौशलता की गुणवत्ता या कार्य सामग्रियों का प्रयोग।
  - iii) यदि कार्य की प्रगति के दौरान, समाप्ति या परित्याग के बाद ठेके, रेखाचित्र, आरेखनों, विनिर्देश, प्राक्कलन, अनुदेश या आदेश या उनके निष्पादन में असफलता के कारण उत्पन्न या उन शर्तों के संबंध में दावा अधिकार, मामले, किसी भी तरह के प्रश्न उठ खड़े हो जाएँ तो विवाद को पहले ठेके में उल्लिखित कार्य जिन समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं, उसके ध्यान में और इसके साथ सहायक दस्तावेज जैसे दरों का विश्लेषण, रोकड़ बही और अन्य तत्संबंधी ब्यौरे को भी प्रस्तुत करना होगा। समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. उस दिन से जिस दिन से ठेकेदार वैसा करने का अनुरोध करता है या उस दिन से जिस दिन अपेक्षित ब्यौरे की प्रस्तुती करता है, जो भी बाद में हो, 60 दिनों की अविध के अंदर अपना निर्णय ठेकेदार को लिखित सुचना के रूप में देगा।

यदि समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. (i) ठेकेदार के उपर उल्लिखित जैसे विवाद या भिन्नता को निपटाने हेतु लिखित रूप से अनुरोध या (ii) ठेकेदार अपनी सहायता हेतु तत्संबंधी ब्यौरे की प्राप्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, 60 दिनों के अंदर अपना निर्णय देने में असमर्थ रहें तो। अथवा

ठेकेदार, समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान, सी.एम.डी. के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह केन्द्र/यूनिट के निदेशक के ध्यान में उपर उल्लिखित 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद 15 दिनों की अवधि के अंदर लाया जा सकता है। केन्द्र/यूनिट के निदेशक, उस दिन

से जिस दिन ठेकेदार का अनुरोध या दावे के सहायक रूप से ठेकेदार के तत्संबंधी ब्यौरे की प्राप्ति जो भी बाद में हों, से और 90 दिनों की अविध के अंदर ठेकेदार को अपने निर्णय की नोटिस देगा।

ख) इसके बाद किए अन्य तरह के निपटानों का आधार बशर्ते केन्द्र/यूनिट के निदेशक के निर्णय प्रत्येक विवाद या भिन्नताओं पर अंतिम होगा और वह ठेकेदार पर बाध्यकार होगा। निर्णय तत्काल लागू करना होगा और ठेकेदार को कार्य को पूर्ण परिश्रम से निपटाना होगा।

### ग) उपाय

- 1. जब केन्द्र/यूनिट के निदेशक का निर्णय निविदाकार को स्वीकार्य नहीं है अथवा
- 2. केन्द्र/यूनिट के निदेशक 90 दिनों के अंदर निर्णय देने में असफल रहता है।

जब ठेकेदार, केन्द्र/यूनिट के निदेशक के निर्णय से असंतुष्ट है या मुख्य अभियंता उपर उल्लिखित 90 दिनों की अवधि के अंतर्गत अपना निर्ण देने में असमर्थ रहे तब ठेकेदार विवाद को निपटाने हेतु मुख्य अभियंता को इस संबंध में लिखित सूचना देने के बाद, न्यायालय में जा सकता है।

घ) दावा समूह प्रधान, सी.एम.जी./ केन्द्र/ यूनिट के निदेशक या विधि न्यायालय को सौंपा गया है, जैसी भी स्थिति हो, निविदाकार कार्य के निष्पादन की ओर बढ़ता जाएगा और उक्त विवादों के या मतभेदों के निपटारे को लंबित रखकर नियम तत्परता से कार्य को पूरा करेगा।

विवाद के विचाराधीन के दौरान कार्यप्रभारी अभियंता और ठेकेदार के दायित्वों पर निर्णय

ड.) किसी बात के न होते हुए भी कि कार्य समाप्त की गई या समाप्त का अभिकथन किया गया है किसी भी विवाद या विवादें या भिन्नताओं के संदर्भ में समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान सी.एम.डी. या केन्द्र/ यूनिट के निदेशक या न्यायालय आगे बढ़ता है बशर्ते कार्य की प्रगति के दौरान समूह प्रधान, सी.एम.जी./ प्रधान सी.एम.डी./ केन्द्र/ यूनिट के निदेशक या न्यायालय को संदर्भित विवाद या भिन्नता के कारण कार्य प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के दायित्वों का परिवर्तन नहीं करेगा है।

### खण्ड 25क

## सी.एम.जी. तथा केंद्रीय सरकार के उद्यम के बीच विवादों का निपटान

यदि सी.एम.जी./अंतिरक्ष विभाग और केंद्र सरकार पिब्लिक सेक्टर उद्यम के बीच ठेके हो जाने पर, ठेके के उपरोक्त खंड 25 शर्तों का अधिक्रमण करते हुए निम्निलिखित खंड लागू होगाः करार के उपबंधों की व्याख्या तथा अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद या मतभेद होने की स्थित में, ऐसे विवाद या मतभेद को दोनों में से किसी एक पक्षकार द्वारा सरकारी उद्यम विभाग के किसी एक मध्यस्थ के लिए सौंपा जाएगा जिसे सचिव, भारत सरकार प्रभारी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों द्वारा नामित किया जाएगा। इस खंड के तहत मध्यस्थ के लिए मध्यस्थ अधिनियम 1940 लागू नहीं होगा। मध्यस्थ का निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे विधि सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय

मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्राधिकृत कर दिए जाने के बाद विधि सचिव, अतिरिक्त सचिव के साथ निर्णय को रद्द करने अथवा उसमें संशोधन करने के लिए चर्चा कर सकते हैं। ऐसी चर्चा के बाद, विधि सचिव या विशेष सचिव द्वारा विवाद को सुलझा दिया जाएगा, जिसका निर्णय पक्षकारों पर अनंतिम/ और निश्चयात्मक रूप से बाध्यकारी होगा। विवाद से संबंधित पक्षकार मध्यस्थ की लागत को समय रूप से बाँट लेंगे, जोिक मध्यस्थ द्वारा सूचित की जाएगी।

खंड 25 के प्रावधान उन ठेकों पर लागू नहीं होगा जहाँ यह खंड 25क लागू है और जिन ठेकों पर खंड 25क लागू नहीं है खंड 25 लागू होगा।

#### खण्ड 26

#### पेटेंट अधिकार

ठेकेदार पेटेंट या डिजाइन या किसी अभिकथित पेटेंट या डिजाइन अधिकारों के अतिलंघन या उपयोग से संबंद्ध किसी अनुयोग, दावे या कार्यवाही के विषय में भारत के राष्ट्रपित को पूरी क्षितिपूर्ति करेगा और ऐसे स्वामित्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग के बारे में संदेय हों। उक्त विषयों में से किसी के बारे में सरकार के विरुद्ध किए गए किसी कार्रवाई के अधीन किए गए दावे की दशा में ठेकेदार को उसकी सूचना तुरंत दी जाएगी और ठेकेदार अपने खर्चे पर, कोई विवाद तय कर सकेगा या उससे उत्पन्न होने वाले मुकदमें का संचालन कर सकेगा। परंतु यदि पेटेंट या डिजाईन अथवा अभिकथित पेटेंट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन प्रभारी अभियंता द्वारा इस निमित पारित किए आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है तो ठेकेदार भारत के राष्ट्रपित को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा।

## खण्ड 27 हटा दिया गया है।

## खण्ड 28 खंड 11क संख्या के अंतर्गत डाला गया।

#### खण्ड 29

# ठेकेदार से बकाया राशि का पुनर्ग्रहण एवं नियंत्रणः

(i) ठेकेदार के प्रति या ठेके के अंतर्गत या ठेके के कारण किसी धनराशि के भुगतान का दावा या जब कभी भी कोई अन्य दावा किया जाता है तब ऐसी स्थिति में, प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग प्रतिभूति जमा राशि को पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप में पुनर्प्रहित या नियंत्रित करने के लिए अधिकृत हैं यदि ऐसी कोई राशि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उद्देश्य के लिए जमा कराई गई हो, प्रभारी अभियंता सरकार/विभाग को ऐसी किसी भी प्रतिभूति जमा का पुनर्प्रहण का अधिकार है जिस पर दावा किया जा सके या फिर दावे के अंतिम रूप से निपटारे या न्यायिक निर्णय तक रोक लगाये रखने का अधिकार है। यदि प्रतिभूति राशि, दावे की राशि या राशियों के भुगतान के लिए अपर्याप्त है या ठेकेदार से ऐसी कोई राशि नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में, प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग इसका पुनर्प्रहण करने के लिए अधिकृत है तथा उपयुक्त राशि या राशियों पर रोक लगाने (नियंत्रण रखने) के लिए भी अधिकृत है जिन राशियों का भुगतान या उसी ठेके के अंतर्गत या सरकार/विभाग के प्रभारी अभियंता के साथ किसी अन्य करार के अंतर्गत या ऐसे किसी अन्य दावे के न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत

अंतिम रूप से निपटारे के लिए प्रभारी अभियंता के साथ किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किए गए करार के अंतर्गत देय हो।

करार के अंतर्गत ऐसी सहमित है कि जिसे प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग पुनर्ग्रहित राशि के रूप में स्वीकार करते हैं, उस पर रोक लगाए रखने या नियंत्रित रखने का अधिकार प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग को है जब तक कि सक्षम न्यायालय का इस पर कोई निर्णय न प्राप्त हो जाए और इस बाबत ठेकेदार द्वारा कोई ब्याज या नुकसान का दावा नहीं किया जा सकता जिसकी सूचना ठेकेदार को जारी कर दी गई है। इस धारा के परिपेक्ष्य में, यदि ठेकेदार, साझीदार/निगमित कम्पनी है तो ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता या सरकार को, पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से देय जमानत राशि को पुनर्ग्रहित या नियंत्रित करने का अधिकार है चाहे ऐसा निजी तौर पर हो या अन्यथा हो।

(ii) सरकार/विभाग को ठेकेदार के कार्य और अंतिम बिलों की जिनके अंतर्गत सभी समर्थक वाउचर, संक्षिप्त आदि भी है, अंतिम बिलों के संदाय और तकनीकी परीक्षा के पश्चात् लेखापरीक्षा और तकनीकी परीक्षा कराने का अधिकार होगा और यदि ऐसी लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा संविदा के अधीन किए गए किसी कार्य की बाबत ठेकेदार का दावा है कि उसने उसे संविदा के अधीन किया है, यह पाया जाता है कि वह निष्पादित नहीं किया गया है तो ठेकेदार उस अतिसंदाय को वापस करने के लिए दायी होगा जो उसे किया गया है और सरकार/विभाग के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह उसे इस खंड के उपखंड (1) में विहित रीति में या विधि द्वारा अनुन्नेय किसी अन्य रीति में वसूल कर ले और यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार को संविदा के अधीन निष्पादित किसी कार्य की बाबत संविदा के अधीन उसे देय से कम संदाय किया गया हो, तो सरकार/विभाग ऐसे न्यून संदाय की रकम का ठेकेदार को सम्यक रूप में संदाय करेगी, उस पर किसी भी प्रकार के ब्याज के बिना।

बशर्ते कि सरकार/विभाग किसी अतिसंदाय को वसूल करने की या ठेकेदार किसी न्यून संदाय की राशि के संदाय के लिए तब हकदार नहीं होगा जब कि ऐसे संदाय की बाबत प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारण के पश्चात् कार्य की अनुमित देने वाले संविदा के निबंधन के अधीन एक ओर प्रभारी अभियंता और दूसरी ओर ठेकेदार के बीच सहमित हो गई है।

### खण्ड 29क

# अन्य संविदाओं के दावों के संबंध में पुनर्ग्रहण

प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग या प्रभारी अभियंता के द्वारा किए गए दावे के विरोध में प्रभारी अभियंता के संपर्क में आने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों या सरकार/विभाग या अन्य कोई व्यक्ति या जिन्हें प्रभारी अभियंता सरकार/विभाग के साथ ठेकेदार द्वारा ऐसे कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा करार के अंतर्गत ठेकेदार को दी जाने वाली किसी भी बकाया राशि (जिनमें जमानती जमा राशि जिन्हें वापस करना हैं, शामिल है) पर पूनर्ग्रहण के अंतर्गत रोक लागाया जा सकता है।

करार के अंतर्गत ऐसी सहमति है कि प्रभारी अभियंता या सरकार/विभाग द्वारा पुनर्ग्रहित/नियंत्रित धनराशि इनके जिम्में ही रहेगी जबतक कि समान करार या अन्य करार की अविध तक किसी दावे पर आपसी सहमति न बन जाए या न्यायालय द्वारा कोई निर्णय न हो जाए। जो भी हो, ठेकेदार इस आधार पर या इस धारा के अंतर्गत रोक ली गई धन राशि को किसी अन्य आधार पर ब्याज या नुकसान का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अधिसूचना ठेकेदार को जारी कर दी गई होती है।

#### खण्ड 30

# ठेकेदार की मृत्यु पर संविदा की समाप्ति

यदि ठेकेदार स्वर्गवासी हो जाता है तो प्रभारी अभियंता को यह विकल्प होगा कि वह किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार को कोई प्रतिकर दिए बिना, राष्ट्रपति की ओर से इस संविदा को समाप्त कर दे।

# खण्ड ३१

### जल आपूर्ति

ठेकेदार काम पूरा करने के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था स्वयं करेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए निम्न शर्तें लागू होंगी:-

- i) ठेकेदार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला जल प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुरूप निर्माण-कार्य के लिए उपयुक्त होगा।
- ii) यदि प्रभारी अभियंता की राय में ठेकेदार द्वारा की गई जल की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है तो प्रभारी अभियंता जल की वैकल्पिक व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम और खर्चे पर करेगा।

## विभाग द्वारा आपूर्ति, यदि कोई हो:

निम्न शर्तों के आधार पर, एकल विषय बिन्दु पर ठेकेदार को विभाग द्वारा जल की आपूर्ति की जा सकती है यदि जल उपलब्ध एवं अतिरिक्त हों:-

- i) कृत कार्य की कुल राशि का 1 % जल शुल्क या खर्च के रूप में वसूला जाएगा।
- ii) जलापूर्ति के विद्यमान मुख्य स्त्रोत से पाइप लाइन बिछाने तथा जल के संयोजन की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा/करेंगे।
- iii) विभाग, अबाध जलापूर्ति व्यवस्था की गारंटी नहीं देता; सरकारी/विभागीय जलापूर्ति व्यवस्था में तत्कालिक व्यवधान (अस्थायी मरम्मत की जरूरत) होने पर ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपने खर्च पर वह वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवसाय सुनिश्चित करे तािक काम की प्रगति जलाभाव के कारण बािधत न हो। ऐसे किसी भी टूट-फूट या मरम्मत का दावा या जल शुल्क के भुगतान का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

### वैकल्पिक जल व्यवस्थाः

i) जहां नल द्वारा जल के प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार सरकार/विभाग द्वारा बनाए गए कुएं या हैंड पंप से जल लेता है, वहां उसके लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा, किंतु ठेकेदार दिन के ऐसे घंटों में पानी लेगा कि उससे उसके सामान्य उपयोग में कोई विघ्न न पड़े, जिसके लिए हैंडपंप और कुएं बनाए गए हैं। वह अपने उपयोग से होने वाले सभी नुकसान और असामान्य मरम्मतों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जा सकेगी। प्रभारी अभियंता इसके लिए ठेकेदार से वसूल की जा सकने वाली लागत अवधारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

ii) ठेकेदार को प्रभारी अभियंता से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही, निर्माण के प्रयोजनों के लिए जल लेने के हेतु सरकार/विभाग की भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। ठेकेदार से इसके लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे, ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दुर्घटनाएं न होने देने के लिए और पार्श्व भवनों, सड़कों और सर्विस लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करे। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात् उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और कार्य के हो जाने पर कुओं को भर कर भूमि को मूल दशा में ले आएगा।

# खण्ड 32

## विद्युत

विद्युत यदि परिसर में उपलब्ध हों और अतिरिक्त हों तो एकल विषय बिन्दु के आधार पर ठेकेदार को मुहैया कराया जा सकता है:-

- i) प्रभारी अभियंता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 3 फेज या एकल फेज में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगा। विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता मीटर के आधार पर करना होगा। विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता मीटर के आधार पर की जाएगी। खपत के आधार पर विद्युत-उपयोग प्रभार लिया जाएगा।
- ii) किसी भी सूरत में, जहाँ या जब विद्युत मीटर नहीं लगाई गई हो, खराब मीटर नहीं बदली गई हो या जिसे तत्काल नहीं सुधारा गया हो, ऐसी स्थिति में विद्युत उपयोग का शुल्क, भार के कुल वॉट एवं इस्तेमाल किए गए घंटे के गुणनफल के आधार पर किया जाएगा। ऐसे सभी घटनाओं के लिए ठेकेदार एक लॉग-बुक में विद्युत उपयोग के घंटे के सही समय पर प्रभारी अभियंता से अभिप्रमाणित कराएगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

**टिप्पणी**: कृपया कार्यस्थल पर अस्थायी विद्युत आपूर्ति एवं सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश का अनुसरण करें।

#### खण्ड 33

### सरकार की अधिशेष सामग्री की सरकार को वापसी

इस संविदा के किसी या सभी खंडों में अंतर्विष्ट किसी ततप्रतिकूल बात के होते हुए भी जहाँ संविदा के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार की सहायता से, चाहे वह सरकारी स्टाको से जारी की गई हो या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, अनुज्ञा-पत्रों या अनुज्ञाप्तियों के अधीन क्रय की गई हो, प्राप्त की जाती है वहाँ ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायत से और एकमात्र संविदा प्रयोजन के लिए ही धारण करेगा और प्रभारी अभियंता द्वारा यदि अपेक्षा की जाए तो काम में आ सकने योग्य ऐसी सभी अधिशेष सामग्री जो संविदा संपन्न होने के पश्चात या उसके पर्यावसान पर, वह चाहे किसी भी कारणवश हो, उसके पास बची रहे, उसकी ऐसी कीमत जो प्रभारी इंजीनियर द्वारा ऐसी सामग्री की दशा को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए संदत्त

कर दी जाने या उसके खाते में जमा कर दी जाने पर, लौटा देने पर, किंतु ठेकेदार को अनुज्ञात कीमत, भंडारकरण के प्रभारों को छोड़कर, उससे प्रभारित रकम से अधिक नहीं होगी। ठेकेदार अधिशेष सामग्री के लिए उस स्टोर से जहां ठेकेदार आधिशेष सामग्री को वहां वापस लाने का गाड़ी भाड़ा और आनुषंगीक प्रभाव पाने का हकदार नहीं होगा। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और निर्णय होगा।

यदि उक्त शर्त भंग की जाती है तो ठेकेदार अनुज्ञाप्तियों अनुज्ञा-पत्रों के निबंधनों के उल्लंघन और/या अपराधिक न्याय भंग के लिए की जाने वाली कार्यवाही के लिए दायी तो होगा ही, किंतु इसके अलावा वह, सरकार के प्रति उस धन, फायदे या लाभ के लिए भी दायित्वाधीन होगा जो ऐसे भंग के कारण उसे प्राप्त हुए हो या सामान्य अनुक्रम में प्राप्त हुए है।

खण्ड 34 - हटा दिया गया है।

खण्ड 35 - हटा दिया गया है।

#### खण्ड 36

### रनातक/डिप्लोमा धारी इंजीनियरों का नियोजन

ठेकेदार अधीक्षक, पर्यवेक्षक, तकनीकी स्टाफ एवं कर्मचारी

(i) ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक अधीक्षण मुहैया कराएगा तथा करार के अंतर्गत उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए इसके बाद भी आवश्यकतानुसार सुविधा मुहैया करायेंगे।

ठेकेदार, निविदा के स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद तथा कार्यारम्भ से पूर्व, मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि एवं अन्य तकनीकी पर्यवेक्षक जो कार्य की निगरानी करेंगे, के नाम, शैक्षणिक योग्यताएँ, कार्यानुभव, आयु, पता एवं अन्य जानकारी प्रमाण-पत्र सिहत प्रभारी अभियंता को लिखित में सूचित करेंगे। ऐसे सभी तकनीकी प्रतिनिधियों की कम-से-कम शैक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रतिनिधियों के बारे में प्रभारी अभियंता ठेकेदार को 3 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति अथवा अन्यथा लिखित रूप में सूचित करेंगे। यह स्वीकृति किसी भी समय वापस ली जा सकती है और ऐसी स्थिति में ठेकेदार किसी अन्य प्रतिनिधि की नियुक्ति धारा के प्रावधानों के अनुरूप कर सकते हैं। इस संदर्भ में निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार इसके अनुपालन के लिए बाध्य होंगा। प्रभारी अभियंता की स्वीकृति के बाद मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि एवं अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा तुरंत की जायेगी जो कार्यारम्भ से पूर्व कार्यस्थिल पर उपस्थित रहेंगे।

इस खण्ड के अंतर्गत, मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू होने वाले सारे प्रावधान अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों पर भी लागू होंगे। मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि एवं अन्य तकनीकी प्रतिनिधि कार्यस्थल पर कार्य निरीक्षण के लिए हर समय उपस्थित रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी अभियंता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष अनुदेश प्राप्त करने के लिए भी उपस्थित रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी अभियंता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष अनुदेश प्राप्त करने के लिए भी उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जायेगा कि मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि को दिए अनुदेश ठेकेदार के लिए भी मान्य होंगे। मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि एवं अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों

के समक्ष कार्यस्थल आदेश पंजी एवं परिमापन पंजी में प्रभारी अभियंता द्वारा दर्ज प्रवृष्टियाँ अंतिम होंगी और ठेकेदार के लिए अनुमान्य होंगी।

आगे यदि ठेकेदार योग्य मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि या अन्य मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि या अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने में असमर्थ होता है और ऐसे सभी नियुक्ति व्यक्ति प्रभावकारी ढंग से उपस्थित न रहें या दो दिनों से अधिक बिना वैकल्पिक स्वीकृति के अनुपस्थित रहें या अपने काम संतोषजनक ढंग से नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वे कार्य निष्पादन को निरस्त कर दें जब तक कि कोई अन्य योग्य तकनीकी प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं कर दी जाए। और इस कारण कार्य में आए व्यवधान के लिए ठेकेदार को दोषी माना जाएगा। ठेकेदार लेखा बिल/अंतिम बिल के साथ तकनीकी प्रतिनिधियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपेगा एवं कार्य निष्पादन के सभी स्तरों पर, तथा अभिलेखन/जाँच/परीक्षण जाँच के दौरान प्रभारी अभियंता द्वारा किसी भी समय माँग किए जाने पर प्रमाण भी सौंपेगा। साथ ही, प्रभारी अभियंता द्वारा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा जारी अनुदेश को कार्यस्थल आदेश पंजी में अंकित करने के बाद अपने हस्ताक्षर करेगा तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिमापन/जाँच किए गए परिमापन/परीक्षण एवं जाँच किए गए परिमापन परीक्षण एवं जाँच किए गए परिमापन स्वीकृत हो चुके हैं। प्रतिनिधि कोई अन्य काम नहीं देखेंग। दो से अधिक दिनों की अनुपस्थिति के दौरान वैकल्पक व्यवस्था के लिए प्रभारी अभियंता का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

यदि प्रभारी अभियंता, जिनका निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए अनुमान्य है, आश्वस्त है कि ऐसे किसी तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति कारगर ढंग से नहीं हुई है या प्रभावकारी ढंग से काम पर नहीं रहे हैं या धारा के प्रावधान के अनुरूप नहीं है तो ठेकेदार से अनुसूची 'एफ' के अनुरूप उगाही (अप्राप्य) की जाएगी।

(ii) ठेकेदार, वैसे तकनीकी सहायकों को भर्ती कर कार्यस्थल पर मुहैया करायेगा जो अपने-अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष और अनुभवी हैं और वैसे फोरमैन एवं पर्यवेक्षकों को कार्य की निगरानी सौंपेगा जो सुयोग्य हों।

ठेकेदार, कार्य को सही ढंग से समय पर निष्पादित करने के लिए दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष श्रमिकों की भर्ती कर मुहैया करायेगा।

प्रभारी अभियंता को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने की दूट है। यदि इन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, यह अयोग्य है या काम पर ध्यान नहीं देता या किसी कर्मचारी की नियुक्ति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो ठेकेदार उसे काम से मुक्त कद दे। कार्यस्थल पर ऐसे व्यक्ति की पुनः नियुक्ति प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बिना नहीं की जायेगी और ऐसे व्यक्ति के बदले एक सक्षम विकल्प तुरंत मुहैया कराया जायेगा।

खण्ड 37 - हटा दिया गया है।

खण्ड 38 - हटा दिया गया है।

खण्ड 38क - हटा दिया गया है।

खण्ड 39

विभाग में कार्यरत रिश्तेदार

यह प्रकल्पित किया जाता है कि ठेकेदार की अंतरिक्ष विभाग के किसी अधिकारी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। यदि उसके कोई रिश्तेदार हैं तो उनकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

## खण्ड 40 सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियोजन पर प्रतिबंध

भारत सरकार के किसी इंजीनियर विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित ओहदे का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष की अविध तक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमत नहीं है। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों जिसने यथास्थिति निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार को सेवा लगाने से पूर्व भारत सरकार से उपयुक्त अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली थी तो यह संविदा रद्द की जाएगी।

# खण्ड 41 सामग्री की वापसी एवं जारी अतिरिक्त सामग्री के लिए वसूली

- i) कार्य के पूरे होने के बाद और कार्य के मध्य चरण में यदि दी गई, उपयोग में लाई गई और शेष बची सामग्री आपस में मेल नहीं खाती (धारा 10 के अनुरूप) तो सैद्धान्तिक तौर पर सरकार द्वारा कार्य के लिए दी गई सामग्री की मात्रा की गणना निम्नलिखित आधार एवं प्रक्रिया के तहत की जाएगी:-
  - क. सीमेंट एवं बजरी की मात्रा की गणना अनुसूची 'एफ' के दर की अनुसूची में वर्णित विभिन्न कार्य के अनुरूप सीमेंट एवं बजरी की आवश्यकताओं के आधार पर की जाएगी। यदि उपयोग में लाई गई सामग्री-सीमेंट या बजरी के लिए उपर्युक्त अनुसूची में किसी मानक का उल्लेख नहीं है या इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता तो ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता द्वारा तय किए मानक विधि के आधार पर गणना की जाएगी।
  - ख. स्टील के विभिन्न प्रयोग जिनमें प्राधिकृत लैपेज, कुर्सी इत्यादि एवं टुकड़ों में काटे जाने के बाद 3% की बर्बादी की सामिल है, की सैद्धान्तिक मात्रा की गणना डिजाइन या प्रभारी अभियंता द्वारा प्राधिकृत मात्रा के अनुसार की जाएगी, जिसकी सैद्धान्तिक मात्रा व्यास के आधार पर, खण्ड के आधार पर एवं वर्ग के आधार पर अलग से निश्चित कर तुलना की जाएगी।
  - ग. जी.आई एवं सी.आई. या अन्य पाइप, जल-प्रणाली पाइप, तार एवं केबल पिग लीड एवं जी.आई./एम.एस. शीट जिनमें टुकड़ों में काटने के बाद 5% की बर्बादी शामिल है, (सिवाय जी.आई./एम.एस. शीटों जिनके लिए 10%) की सैद्धान्तिक मात्रा की गणना एवं निर्धारण व्यास एवं वर्ग के आधार पर की जाएगी।
  - घ. किसी अन्य सामग्री के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर गणना की जाएगी।

ii) सामग्री की सैद्धान्तिक मात्रा की गणना में अनुसूची 'एफ' में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप अंतर स्वीकृत होगा। ठेकेदार को दी गई सामग्री जिनमें अधिकृत अंतर शामिल हैं, से बची हुई सामग्री यदि वापस नहीं की जाती या प्रभारी अभियंता द्वारा जारी लिखित निर्देश के बाद भी नहीं की जाती या प्रभारी अभियंता द्वारा जारी लिखित निर्देश के बाद भी उनकी संतुष्टि के अनुरूप तालमेल नहीं बिठा लिया जाता तो अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट मानक दर के अनुरूप उगाही की जाएगी। इसके लिए करार के अनुसार बची सामग्री की वापसी से संबंधित प्रावधान में कोई पक्षपात नहीं होगा। सामग्री की सैद्धान्तिक मात्रा, जिसका उपयोग मान अनुसूची के संलग्नक में वर्णित दर एवं उगाही के अनुरूप होना चाहिए के बारे में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार के लिए अधिमान्य होगा।

अनुसूची में अवर्णित सामग्री जिसका उपयोग वास्तव में होना चाहिए, के बारे में भी, प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार के लिए अधिमान्य होगा।

iii) यदि ठेकेदार, निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप काम नहीं करता है तो करार के अंतर्गत ठेकेदार के विरूद्ध सरकार या विभाग द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई धारा के अधीन बिना किसी पक्षपात के न्यायसंगत होगी।

### खण्ड 42 - हटा दिया गया है।

### खण्ड 43

## प्रशिक्षु अधिनियम का अनुपालन

ठेकेदार प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और समय-समय, पर उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो इससे संविदा भंग होगा और प्रभारी अभियंता अपने विवेकानुसार इस संविदा को रद्द कर सकेगा। ठेकेदार अपने द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण उद्भूत आर्थिक दायित्वों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

### खण्ड 44 - हटा दिया गया है।

#### खण्ड 45

# श्रम जाँच के बाद प्रतिभूति जमा की वापसी

ठेकेदार को कार्य के लिए प्रतिभूति जमा राशि की वापसी तबतक नहीं की जाएगी जब तक वह श्रम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लें। जैसे ही कार्य पूरा हो जाए, प्रभारी अभियंता के संज्ञान में लाकर, ठेकेदार को श्रम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे देना चाहिए। उक्त सूचना के प्राप्त होने के बाद प्रभारी अभियंता श्रम अधिकारी को किसी शिकायत सूचित करने के लिए लिखेंगे। कार्य समाप्ति के तीन महीने के बाद भी रिकॉर्ड में कोई शिकायत लंबित नहीं है या कार्य समापन के 6 महीने बाद भी श्रम अधिकारी से कोई सूचना नहीं मिलती है तो ऐसा माना जायेगा कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र मिल गया है और अन्य बकाये को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति जमा राशि, देय है तो वापस कर दी जाएगी।

ग. सामान्य दिशानिर्देश (संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के साथ पढ़ा जाए)

### 1. बेसलाइन एवं स्तरों का अंकन

ठेकेदार अपने कार्य का विन्यास, विभाग द्वारा स्थापित बेसलाइनों और सम तल (ग्रेड) से करेगा और वह उससे संबंधित सभी माप के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार कार्य के किसी भाग को जमाने या उसका विन्यास करने में अपेक्षित सभी खूँटों साँचों, प्लेटफार्म, उपस्कर, रेंजों और श्रमिकों की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा। ठेकेदार ऐसी लाइनों और ग्रेडों के अनुसार, जो आरेख में और विनिर्देशों में स्थापित या उपवर्णित किए गए कार्य के समुचित निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार सम रेखाओं और स्तरों का विन्यास करने के लिए कार्य स्थल पर विद्यमान बेंच चिह्नों और बेंचों की जाँच-पड़ताल करेगा। ठेकेदार इस दृष्टि से कि रेखाओं और स्तरों की सदैव सही जाँच-पड़ताल की जा सके, सभी मुख्य दीवारों के प्रतिच्छेद पर उचित बेंच निर्मित करके बनाए रखेगा। ठेकेदार चपटे सिरों वाले उपर्युक्त पत्थर की व्यवस्था करेगा और अस्थायी बेंच चिह्न के लिए उन्हें निष्पादन के लिए अपेक्षित आवश्यक स्तर नियत करने के लिए सभी खूँटियां, प्रभारी अभियंता द्वारा इच्छा व्यक्त किए जाने पर ऐसे स्थानों पर चिनाई से और चूना लेप से बनाई जाएँगी जो प्रभारी अभियंता अवधारित करे। थियोडोलाईट स्तर प्रिज्मीय कम्पास, चेन, स्टील और धात्विक फीतों और अन्य सभी सर्वेक्षण उपस्करों की जो कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक जान पड़े, व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अपने उपयोग के लिए और विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए की जाएगी।

# 2. भण्डार एवं सामग्री, निरीक्षण एवं विभाग के क्रियाकलापों के लिए होने वाली असुविधा को दूर करना

कार्यों के लिए अपेक्षित सामान और सामग्री ठेकेदार को ही उन स्थानों पर जमा करनी होगी जो प्रभारी अभियंता द्वारा बताई जाए। ऐसे किसी सामान या सामग्री का, जिसका उपयोग कार्य में या उस पर किए जाने का आशय है, कार्य स्थल पर या ऐसे किसी कारखाने या कार्मशाला या अन्य स्थानों पर जहाँ ऐसे सामान या सामग्री का निर्माण या विनिर्माण या प्रसंस्करण किया जा रहा है अथवा ऐसे किसी स्थान पर जहाँ से वे प्राप्त किए जा रहे हैं किसी भी समय निरीक्षण और परीक्षण करने का अधिकार प्रभारी अभियंता को प्राप्त होगा और ठेकेदार ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएँ देगा।

प्रभारी अभियंता, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सामान या सामग्री का किसी अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण करवाए, ठेकेदार अपने खर्चे पर सभी सुविधाएँ जैसे:- नमूने लेने की व्यवस्था, परिवहन, संवेष्ठन आदि को देगा, जिनकी प्रभारी अभियंता इस प्रयोजन के लिए अपेक्षा करेगा, परीक्षण की लागत विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्य में उपयोग के लिए कार्य - स्थल पर लाया गया सामान और सामग्री कार्य स्थल से प्रभारी अभियंता के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना हटाई नहीं जाएगी, किंतु कार्य के अंतिम स्तर के पूरा हो जाने पर ठेकेदार ऐसे सभी बचे हुए सामान और सामग्री को जिसे मूल रूप से वह लाया था, कार्य स्थल से स्वयं अपने खर्च पर हटाएगा।

ठेकेदार ऐसे किसी भी स्थल पर सामग्री को जमा नहीं करेगा जिससे विभाग को क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार की असुविधा हो। प्रभारी अभियंता की इच्छानुसार ठेकेदार स्थल को पूरी तरह साफ करेगा। सभी अतिरिक्त सामग्री, कचरा, तथा हानिकारक सामग्री/ जो विभाग के क्रियाकलापों में असुविधात्मक हों, ठेकेदार द्वारा उसी के खर्चें पर हटाई जाए और प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित स्थान पर जमा की जाए।

### 3. विनिर्देशन एवं आहरण

अ.वि./ इसरो

ठेकेदार को दिए गए आरेखनों का व्याख्या और उसकी पहचान चित्रित आयामों और उसमें उपवर्णित नामपद्धति द्वारा की जाएगी। आरेखन को किसी भी अवसर पर अलग करके कार्य स्थल को अंतरित नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी मामलों में जिनमें कार्य के किसी घटक के लिए विस्तृत और ब्योरेवार आरेखन दिए जाते हैं, उनमें ये आरेखन उन आरेखनों पर अग्रता प्राप्त करेंगे जो अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के साधारण आरेखन में समाविष्ट है।

- (क) कार्य के निष्पादन में पूर्व ठेकेदार सभी आरेखनों, विनिर्देशों की जांच पड़ताल करेगा और उनमें जो त्रुटियाँ विसंगतियाँ और/या हेरफेर पाए जाये उनकी तत्काल रिपोर्ट प्रभारी अभियंता को करेगा तथा उसके संबंध में उपयुक्त आदेश प्राप्त करेगा। प्रभारी अभियंता के पूर्व अनुमोदन के बिना ठेकेदार जो भी समायोजन करेगा वह उसकी जोखिम पर होगा मात्राओं की अनुसूची में मद का प्रत्येक वर्गन ससंगत आरेखनों और विनिर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा और ठेकेदार की दर से संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे संपूर्ण कार्य के लिए है जब निविदा देते समय ठेकेदार ने अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया हो।
- (ख) सभी कर्मशाला आरेखनों संविरचना आरेखनों (फेब्रिकेशन ड्राइंग) या (फार्म वर्क ड्राइंग्स) का खर्च तथा ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले ब्यौरे की बाबत यह समझा जाएगा कि वे कार्य के लिए उसकी निविदित दरों में सिम्मिलित है। कार्यशाला आरेखन (शॉप ड्राइंग्स) या अन्य विरचना आरेखनों का अनुमोदन किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी अतिरिक्त कार्य के किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जब तक ये आरेखन एक अलग संरक्षा स्कीम के संबंध में जो उन विनिर्देशों द्वारा शासित है जिसके लिए ठेकेदार पहले ही कोटेशन दे चुका है तब तक उन सभी आवश्यक संघटकों के लिए जो कार्य को सभी दृष्टि से पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से निष्पादित किए जाने है, कोई अतिरिक्त संदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (ग) अनुमोदन के लिए निवेदन करने से पूर्व ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि आरेखन संविदा विनिर्देशों का आशय और अपेक्षाओं का अनुपालन करते है और यहाँ की वे समग्र भवन अभिन्यास में ठीक बैठते हैं, सभी आरेखनों की भली प्रकार जांच पड़ताल करने के लिए जिम्मेदार होगा। जो आरेखन गलत पाया जाएगा या उसमें अन्यथा कोई गलती होगी उसे ठेकेदार ठीक किए जाने के लिए लौटाएगा।
- (घ) ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आरेखनों के लिए ठेकेदार प्रत्येक आरेखन की 6 प्रतियाँ अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (ड.) प्रभारी अभियंता द्वारा आरेखन के लिए अनुमोदन का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा की बीमा संबंधी पूरी जांच पड़ताल की गई है, बिल्क उससे केवल यह उपदर्शित होगा कि निर्माण और विवरण का सामान्य तरीका समाधानप्रद है। ठेकेदार विमाओं तैयार की गई पद्धित की डिजाइन सुरक्षा के लिए पूरी तौर से जिम्मेदार होगा और इसमें ऐसे अंतर्योजित संबंद्ध संक्रियात्मक उपसाधन की व्यवस्था करना भी सिम्मिलित है जो कार्य के समाधानप्रद रूप से संपन्न होने के लिए पर्याप्त हों।

(च) आरेखों और विनिर्देशों के बीच अंतर होने की दशा में विनिर्देश प्रभावी होंगे। यदि कोई चीज विनिर्देशों में उल्लिखित है, किंतु आरेखनों में नहीं दिखाई गई है अथवा यदि कोई चीज आरेखनों में दिखाई गई है किंतु विनिर्देशों में उल्लिखित नहीं हो तो उसका प्रभाव वही होगा मानो वह दोनों में दिखाई गई या उल्लिखित है।

### 4. कार्य का क्रम

कार्य का क्रम आमतौर पर प्रभारी अभियंता द्वारा अन्य संबंधित कार्यो को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित किया जाएगा।

### अन्य ठेकेदारों के साथ समन्वय

ठेकेदार कार्य करने वाले अन्य ठेकेदारों को जो पहले ही साईट पर कार्य कर रहे हों उन्हें पूरा सहयोग देगा।

### कार्य का निरीक्षण

कार्य प्रभारी अभियंता के निदेश के अधीन किया जाएगा और प्रभारी अभियंता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि यह सूनिश्चित करने के लिए उसका निरीक्षण करेगा कि संविदा के निबंधनों, विनिर्देशों और शर्तों का यथावत् अनुपालन किया जा रहा है। कार्य का निरीक्षण किए जाने के दौरान यदि प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि किसी त्रृटिपूर्ण कार्य का पता लगाने में या ऐसी सामग्री को, उचित मानक की नहीं है,अस्वीकार करने में असफल रहता है, तो इससे यह नहीं समझा जाएगा की उसके संबंध में उसने आग्रह छोड़ दिया है। निर्माण के दौरान या कार्य संपन्न होने के पश्चात् कार्य संपन्न-प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 12 माह की अवधि में यदि कोई त्रुटियाँ पायी जाती है तो ठेकेदार विभाग को समाधानप्रद रूप में अपने खर्च पर सभी मरम्मत/ परिशुद्धियाँ करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार निम्न/ घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करता है जिसे भविष्य में संरचनात्मक कारणों अन्यथा बदलना संभाव्य नहीं होगा और यदि ऐसी संरचना को कायम रखने के लिए सहिमति दे दी जाती है, तो प्रभारी अभियंता को अपने विवेकानुसार विनिश्चित अनुपात तक राशि वसूल करने का यथोचित प्राधिकार प्राप्त होगा। यदि प्रभारी अभियंता की राय में अवमानक या घटिया सामग्री के उपयोग से बनाई गई संरचना को कार्य में कायम नहीं रखा जा सकता है तो ऐसी संरचना/ कार्य का भाग या के भाग तोड़ दिए जाएँगे और उनके स्थान पर ठेकेदार अपने खर्च के नई संरचना करेगा। परिसर के आंशिक या पूर्ण अधिभोग का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि कार्य को या कार्य में समाविष्ट को स्वीकार कर लिया गया है। प्रभारी अभियंता से प्राप्त लिखित प्राधिकार के बिना विनिर्देशों के किसी उपबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

#### 7. मापन

जहाँ मापन का तरीका विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, मापन की पद्धित के प्रचलित आई.एस. कोड के अनुसार स्थल पर ही मापन किया जाएगा। ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि, जब कभी आवश्यकता पड़े प्रभारी अभियंता के साथ, मापन में सहयोग करेगा और स्थल पर रिकार्ड किए गए मापन पर सहमति जतायेगा। सामान्यतया सभी कार्यों के मापन आयाम के अनुसार किया जाएँगें।

सभी मापन स्टील के टेप से ही किए जाएँगें। मापन हेतु आवश्यक ढांचें, मंच निर्माण व सीढ़ी

ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर प्रदान किए जाएँ। साथ ही, ऐसे मापन हेतु श्रमिकों की सेवा भी प्रदान की जाएँ।

यदि मापन के समय, ठेकेदार प्रभारी अभियंता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ नहीं आ पाते तो उन्हें प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि द्वारा रिकार्ड किए गए मापनों को ही मानना पड़ेगा।

## सामग्री का निर्माता एवं अन्य विवरण

ठेकेदार काम पर जिन विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है उनके मेक और अन्य विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा और इस सूची के लिए यह आवश्यक होगा कि उसका अनुमोदन विभाग कर दे।

## 9. नमूने

कार्य में समाविष्ट किए जाने वाले सभी सामग्री के नमूने प्रभारी अभियंता को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे और उनके लिए किसी अतिरिक्त खर्च का दावा नहीं किया जाएगा। अनुमोदित नमूने कार्य के संपन्न होने तक प्रभारी अभियंता के पास रखे जाएंगे। जो सामग्री नमूनों के सर्वथा अनुरूप नहीं होगी, उसे अस्वीकार किया जा सकेगा।

# 10. विभाग की संपत्ति को क्षति न पहुँचाना

विभाग की संपत्ति, भवन या वृक्षों को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए और यदि ऐसा होता है तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह प्रभारी अभियंता के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, क्षतिपूर्ति करे।

# 11. सुरक्षा प्रावधान/दुर्घटना, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित व्यय का ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना

जनता को किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाने के लिए ठेकेदार को परकोटे पर बिजली लगवाने के सभी आवश्यक कार्य करने होंगे तथा उपरोक्त सावधानी न बरतने के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि और उसके द्वारा दायर किसी मुकदमे के प्रति बचाव में होने वाले व्यय को और ऐसे मुकदमे से लगाये गए क्षति पूर्ति के खर्च का भुगतान या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावे के लिए ठेकेदार द्वारा सहमत भुगतान के संबंध में व्यय ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा।

# 12. स्रक्षा के विनियमों का अनुपालन

कार्य-स्थल पर कार्मिकों, सामग्री आदि के प्रवेश से संबंधित विभाग के विनियमों तथा समय-समय पर लागू अन्य विनियमों का ठेकेदार को सख्ती से पालन करना होगा। ठेकेदार के कार्मिकों/मजदूरों को वैध पास धारण करने होंगे और सुरक्षा कर्मियों/विभाग के प्राधिकारियों द्वारा माँग किए जाने पर पास दिखाने होंगे। ठेकेदार के कार्मिक/मजदूर पास जारी किए गए विभाग के परिसर के अलावा अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे और कार्य-घण्टों के बाद /पहले, पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रवेश नहीं करेंगे। कार्य-घण्टों के दौरान या कार्य-घण्टों के बाद या पहले प्राधिकृत पास के बिना विभाग के परिसर में घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर विभाग की प्रक्रिया और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्य-स्थल पर ठेकेदार द्वारा लायी जाने वाली सभी सामग्री और वस्तु के संबंध में सुरक्षा द्वार पर बताना होगा। इसी प्रकार विभाग के परिसर से कोई भी सामग्री गेट-पास के बिना बाहर नहीं ले जाई जानी चाहिए, ठेकेदार को गेट पास लिखित अनुरोध पर अभियंता जारी करेंगे/करवायेंगे। यह ध्यान रखें कि ठेके की सामग्री को विभाग के कार्मिकों की मौजूदगी में वाहन एवं ट्रकों में रखवाया जाए। ठेकेदार के प्रतिनिधि को सुरक्षा जाँच पूरी होने तक सामग्री के पास रहना होगा।

रविवार, छुट्टी के दिन और कार्य-घण्टों के बाद काम करने के लिए, यद्यपि प्रभारी अभियंता से अनुमित है, तथापि, ठेकेदार को सुरक्षा अनुभाग को आवेदन देना होगा और समय-पूर्व सूचित करना होगा।

उपरोक्त समय-समय पर लागू सुरक्षा विनियमों एवं नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। विभाग द्वारा सुरक्षा विनियमों के अनुपालन में किसी प्रकार के दावे को माना नहीं जाएगा।

### 13. उप टेका

## नियमानुसार उप ठेका स्वीकार्य नहीं

ठेकेदार इस संविदा को लिए जाने की तारीख के पश्चात् 15 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को ऐसे सभी उप-ठेकेदारों के नाम जिनका प्रस्ताव कार्य के लिए की गई है और उनमें से प्रत्येक द्वारा किए जाने वाले कार्य का विस्तार और उसका स्वरूप लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। किसी भी उप-ठेकेदार के नियोजन के लिए प्रभारी अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि किसी कारण से कार्य के दौरान किसी भी समय प्रभारी अभियंता यह तय करता है कि कोई ठेकेदार अक्षम या अवांछनीय है तो वह तदनुसार उसकी अधिसूचना ठेकेदार को देगा और ठेकेदार ऐसी उप-संविदा को रद्द करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा। ऐसे ठेकेदारों द्वारा उप-पट्टे पर दिए जाने की बात उन्हीं विनियमों में अधीन होगी। इस संविदा की कोई भी बात किसी उप-ठेकेदार संविदा में सम्मिलित सभी कार्य के लिए पूरी तौर से जिम्मेदार होगा, चाहे उसका निष्पादन उसने किया हो या उसके उप-ठेकेदारों के माध्यम से हुआ हो। विशेष रूप से यह बात ध्यान में रखी जाए कि ठेकेदार इस्पात के दरवाजें और खिड़कियों को ख्याति प्राप्त निर्माता से प्राप्त करेगा और इन चीजों के लिए आदेश देने से पूर्व और विभाग से उस अभिकरण के लिए सहमित प्राप्त कर लेगा जिससे इस्पात के दरवाजे और खिड़कियाँ प्राप्त करने का उसका प्रस्ताव है।

### प्रस्तावित दरों का विश्लेषण

विभाग द्वारा माँग किए जाने पर ठेकेदार को निविदा की प्रत्येक मद के प्रति उसके द्वारा दिए गए भावों की पुष्टि में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। विभाग के पास, ऐसे ठेके से उत्पन्न होनेवाले कोई विचलन या दावों के निपटान को इस प्रकार दिए गए विश्लेषण का उपयोग करने का अधिकार रहेगा।

ठेके के सामान्य निबंधनों के खण्ड के अनुसार, प्रचलित बाजार दर की लागत पर दर/दरों को निर्धारित करते समय ठेकेदार के खर्चे एवं लाभ हेतु 15% रखा जाएगा।

## 15. मुख्तारनामा धारक कार्य के निष्पादन से निषिद्ध

यह ध्यान में रखा जाए कि जिन मूल ठेकेदार के नाम कार्यादेश जारी किया गया है केवल वे ठेकदार ही कार्य को प्रत्यक्षतः पूर्ण करेंगे और वे किसी और को कार्य के निष्पादन के लिए मुख्तारनामा नहीं देंगे। विशेष मामले के तौर पर, भागीदारी फर्म के मामले में, विधिवत् प्राधिकार के साथ, कोई एक भागीदार कार्य को जारी रख सकता है। बशर्ते कि भागीदारी विलेख विभाग को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार, निर्माण कंपनी, प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में, केवल कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरी ही काम करेगा और कार्य को पूरा करेगा। निविदा प्रस्तुत करने के समय ही ठेकदार की ऐसी सभी प्रस्तावों को स्पष्ट कर देना चाहिए और उन्हें विभाग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित कर लेना चाहिए। अगर कार्य के निष्पादन के दौरान प्रभारी अभियंता को यह लगता है कि प्राधिकृत हस्ताक्षरी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्य का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो ऐसे मामले में प्रभारी अभियंता प्राधिकृत हस्ताक्षरी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि को निकाल सकता है।

## 16. विभाग के लिए किए गए कार्यों का प्रचार

ठेकेदार/ उप-ठेकेदार विभाग के लिए उनके द्वारा निष्पादित किए गए या निष्पादित किए जा रहे कार्य का जब कभी अपने किसी प्रचार-साहित्य/विज्ञापनों में उल्लेख करने की प्रस्ताव करें तब से विभाग की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर लेंगे। प्रचार साहित्य/ विज्ञापन का पाठ अनुज्ञा के लिए आवेदन करते समय भेजा जाना चाहिए।

## 17. विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज नहीं होगा

ठेके की सामान्य शर्तों में तथा ठेके के अन्य किसी भाग में जहाँ कहीं विभाग द्वारा भुगतान एवं बैंक गारंटी के निर्गम, इत्यादि हेतु समय-सीमा विनिर्दिष्ट की जाए, विभाग यदि समय-सीमा से परे, अपरिहार्य कार्यालयीन कारणों से हुए विलंब के लिए कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।

## **PREFACE**

- This book contains Notice Inviting Tender (NIT) and conditions of contract for item rate indivisible works contract applicable for Civil and allied works of Department of Space (DOS).
- 2. This consists of three parts viz., Part I- Tender stage, Part II- Post Tender stage and Part III Formats and Declarations to be filled in by the tenderers/contractors, while submission of tenders.
- 3. All blank spaces are to be filled-in appropriately by the authority approving the Notice Inviting Tender before issue of tender documents.
- 4. The intending tenderer has to quote their rates strictly in Schedule A appended herewith.

\*\*\*\*\*

DOS/ISRO IV

## **TABLE OF CONTENTS**

SI.No	DESCRIPTION	PAGE NO.
PART-I:	TENDER STAGE	E-1
Α.	Notice Inviting Tender	E-2
В.	Declarations/ Submission of Tender	E-8
C.	Evaluation Format	E-11
PART-II:	POST- TENDER STAGE	E-25
Α.	Definitions	E-26
В.	General Conditions of Contract (GCC)	E-29
C.	General Guidelines [To be read in conjunction with the General Conditions of Contract (GCC)]	E-71
D.	Schedules	E-77
PART-III:	FORMATS	E-85

DOS/ISRO V

## PART- I TENDER STAGE

## **A. NOTICE INVITING TENDER**

## GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF SPACE

Tender Notice No: dated

1. On Behalf of the President of India, sealed, item-rate tenders are invited for the following work.

SI.No	Description	Details
1.	Title of work	
2.	Estimated cost put to tender	₹
3.	Period of completion in months reckoned from the 15th day of date of issue of work order.	
4.	Period during which the tender document can be downloaded.	
5.	Bid clarifications	
6.	Last date and time for receipt of tenders.	
7.	Due date and time of opening of tenders.	
8.	Earnest money deposit (EMD)	₹

## 2. Eligibility Criteria:

The agency shall fulfill the following conditions.

SI.	Eligibility Criteria	Documentary proof for the eligibility	
No		To be scanned & uploaded)	
a.	Should have satisfactorily completed the works as mentioned below during the last Seven years.  i. Three similar works each costing not less than 40% of the estimated cost (i.e. or)  ii. Two similar works each costing not less than 60% of the estimated cost (i.e. or)	i. Work orders and completion certificates issued by the authority concerned to establish work experience.  ii. Completion certificates for works issued by Private parties shall be supported by TDS (Tax Deducted at Source) certificates.	
	<ul><li>iii. One similar work costing not less than 80% of the estimated cost, (i.e.</li></ul>		

Note: i. Similar work shall mean ii. The value of executed works shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of 7% per annum, calculated from the date of completion to last date of receipt of application for bids. Charted Accountant certificate for the Should have had average annual financial turnover not less than 30% of the estimated Annual financial turnover and balance sheet showing Profit & Loss. cost (i.e. ) of the work during the last three years ending 31st March of preceding year (i.e. Should not have incurred any loss in more than two years during the last five years ending 31st March Should have a solvency of 40% of the Current solvency certificate from any estimated cost of the work (i.e. Scheduled Bank. The bidding capacity of the contractor statement of ongoing indicating financial commitment for should be more than the estimated cost of each of these works during the the work put to tender. The bidding capacity stipulated period of completion shall be worked out and declared by the mentioned for the subject tender as tenderer and enclosed with the request for per Format-1 enclosed herewith. tender document based on the formula: This is required in support of (AxNx2)-Bparameter 'B'. where. A- Maximum value of work executed in one ii. Current costing level for value of work may be worked out as year (maximum turnover in one year) mentioned in the note (ii) above. during last 5 years at current price level taking into account the work completed as well as work in progress. B- Value of existing commitments and ongoing work to be completed during the next 'N' years (i.e. ) at current price level. N- Number of years prescribed completion of the subject contract for which bids are invited

- Downloading of tender documents alone will not make a tenderer eligible for participating in the bidding. The documents uploaded by the tenderers will be subjected to verification subsequently by Department. If found not meeting the requirement, such offers will be rejected.
- 4. Tenders should be accompanied with Earnest Money Deposit for value specified in Para 1 above, in the form of Deposit at Call receipt/ Term Deposit Receipt of any Scheduled Bank issued in favour of (or) in the form of Bank guarantee issued by a scheduled bank. Earnest Money Deposit shall be valid for **180 days** from the due date of receipt of tenders.

- 5. Tenders will be opened at the Office of the Group Head/ Head, Construction and Maintenance Group/ Division on the stipulated date and time specified in Para 1 above.
- 6. Original instrument of EMD shall be submitted to the Office of the Group Head/ Head, Construction and Maintenance Group/ Division on or before due date and time of opening of tender. If valid EMD is not received on or before due date and time of opening of tender, the tender offer shall be summarily rejected.
- 7. On the due date of opening, the Technical & Commercial bid of those tenderers who furnished valid EMD only will be opened. On opening of Technical & commercial bid, further detailed scrutiny / evaluation will be carried out. During the evaluation of techno-commercial bids, the documents furnished by the tenderers will be scrutinized in detail. Any tender, found as not fulfilling the eligibility criteria will be rejected at this stage and such offers will not be considered for further processing. At this stage, the competency of the tenderers will be further evaluated by a Technical Evaluation Committee (TEC), including inspection of selected works carried out by tenderers. The Technical Evaluation format including the evaluation criteria is enclosed in the tender document. The price bid of only those tenderers who have been qualified during the scrutiny and technical evaluation will be opened separately on a specified date (with due intimation to the qualified bidders) and further processed, as per tender procedure/ stipulations.

**Note:** Any particular tenderer who has been technically evaluated by any of ISRO Centres in the past one year for any work of similar nature and magnitude and for same criteria of evaluation, such bidders will not be re-evaluated and the scores of the previous evaluation will be taken for the assessment of the eligibility for the present tender.

- 8. The contractor, whose offer is accepted, will be required to furnish performance guarantee of 5% (Five Percent) of the tendered amount within 15 days from the date of issue of letter of intent/ work order. This guarantee shall be in the form of Deposit at Call receipt/ Term Deposit Receipt of any Scheduled Bank issued in favour of (or) in the form of Bank guarantee issued by a scheduled bank in accordance with the prescribed form. In case the contractor fails to deposit the said performance guarantee within the period specified including the extended period if any, the Earnest Money deposited by the contractor will be forfeited and letter of intent/ work order cancelled automatically without any notice to the contractor. The Earnest Money deposited along with tender shall be refunded only after receiving the aforesaid performance guarantee.
- Intending tenderers may inspect the site before submitting the tenders, with the prior permission of Group Head, CMG/ Head CMD/ Engineer-SG / Engineer-SF/ Engineer-SE/ Engineer-SD
- 10. The tender accepting authority on behalf of President of India is not bound to accept the lowest or any other tender and reserves the authority to reject any or all the tenders received without assigning any reason. All tenders in which any of the

- prescribed condition is not fulfilled or any condition including that of conditional rebate is put forth by the tenderer shall be summarily rejected.
- 11. The tender accepting authority on behalf of President of India also reserves the right to alter the scope/ or reduce quantum of work before issue of work order and the tenderer shall not have any claim what so ever on this account.
- 12. The tender accepting authority on behalf of President of India reserves the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.
- Canvassing directly or indirectly, in connection with tender is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be liable for rejection.
- 14. The tender accepting authority reserves the option to give preferences to the offers in accordance with the policies of the Government from time to time.
- 15. The contractor shall not be permitted to tender for works in the Division of that particular Centre of the Department responsible for award and execution of contracts for which his/her near relative is working. He/she shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted Officer in the Department of Space. Any breach of this condition by the contractor would render him liable for rejection of tender or cancellation of contract.
- 16. The tender should be valid for minimum period of 120 days from the due date of receipt of the tender specified in Para 1 above. If any tenderer withdraws the offer within the validity period or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the Department, the Government shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 50% (Fifty Percent) of the Earnest Money Deposit absolutely. Further, the tenderer shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work.
- 17. On concluding the tender, an agreement shall be drawn with the successful tenderer.

Group Head, CMG/ Head CMD

## SCANNED COPY OF THE FOLLOWING DOCUMENTS SHALL BE SUBMITTED ALONG WITH TECHNO-COMMERCIAL BID, FAILING WHICH THE TENDERERS ARE LIABLE TO BE REJECTED

- 1. Work orders issued by the authority concerned to establish work on hand.
- Completion certificates issued by the authority concerned to establish work experience.
- 3. Documentary proof for having executed the work of similar nature and comparable magnitude as per the eligibility criteria.
- 4. Completion certificate for works issued by private parties shall be supported by TDS (Tax Deducted at Source) certificates.
- 5. Annual financial turnover and balance sheet showing Profit & Loss for the last five years ending 31.03.2015 issued by Charted Accountant.
- 6. Solvency certificate (current financial year) from any scheduled bank.
- 7. A list of ongoing works indicating financial commitment for each of these works during the stipulated period of completion mentioned for the subject tender as per Format-1 in General Conditions of Contract (Page No.E.86).
- 8. A list of completed works indicating value of work, date of completion, extension of time etc., as per Format-2 in General Conditions of Contract (Page No.E.86).
- 9. PAN/ TAN details.
- 10. Earnest Money deposit.
- 11. Company Profile with details.
- 12. Calculation of bidding capacity.
- 13. ADDITONAL Documents, if any.

# B. DECLARATIONS BY THE TENDERER/ CONTRACTOR

### **Item Rate Tender for Works**

#### Memorandum

a) Tender Notice No, Date and Title of work

b)	Estimated cost	₹
c)	Earnest Money	₹
d)	Performance guarantee	₹
e)	Security Deposit	₹

- f) Time allowed for completion of the work from the 15<sup>th</sup> day of date of issue of work order Months
- 1. I/ We hereby tender for the execution for the President of India for the work specified in the this Written Memorandum and the notification inviting tender (NIT) within the time/s specified in the Memorandum at the rates specified in the uploaded schedule of quantities (schedule A) and in all respects with the specifications, design, drawings and instructions in writing referred to in Rules here of and in clause 11 of the General conditions of Contract (GCC) and with such materials as provided for by and all other respects in accordance with such conditions so far as applicable.
- 2. Should this tender be accepted in whole or in part, I/We hereby agree to abide by and fulfil all the terms and provisions of General conditions of contract (GCC) and General Guidelines to be read in conjunction with GCC, annexed here to and all the terms and provisions contained in NIT, which has been read by me/ us and explained to me/ us so far as applicable or in default there of to forfeit and pay to the President of India or the successors in Office the sums of money mentioned in the said conditions.
- 3. A sum of ₹ is hereby forwarded by crossed D.D, Fixed deposit, Bank Guarantee by approved Scheduled bank, Call Receipt of a Scheduled Bank guaranteed by the Reserve Bank of India as Earnest Money. If I/ We fail to commence the work specified in the above Memorandum, I/ We agree that the said President or his successors in office shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the said EMD absolutely.
- 4. In the event of accepting my/ our offer by Department, I/ We agree to deposit the required Performance Guarantee within 15 days from the date of issue of letter of intent/ work order. In case, if I/ We fail to deposit the same within the period specified including the extended period if any, I/ We agree that the said President or his successors in office shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the said EMD absolutely.
- 5. I/ We agree to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred therein and to carry out such deviation as may be ordered subject to the condition of clause 12 herein after referred to as the deviation limit at the rates quoted in the tendered documents and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in clause 12 of the General conditions of Contract (GCC).

- 6. I/We hereby declare that I/ We shall treat the tender documents, drawings and other records connected with the work as secret/ confidential documents and shall not communicate the same or use the information in any matter prejudicial to the safety of the country.
- 7. I/ We declare that I/We possess a copy of the Specifications of Civil Engineering works/ Specification for Electrical works/ Specification for Air conditioning works of Construction and Maintenance Group, Department of Space, Government of India,. I/We have signed the Master copy of the Specifications available in the office of the Group Head, CMG/ Head CMD, in token of noting the contents therein.

I/We also declare that I/We have perused in detail and examined closely the specifications and I/We agree to be bound by and comply with all such specifications for this work.

I/We declare that the work will be carried out as per the specification in tender document and as per the specifications said above. The items of work not covered in the specifications said above will be carried out as per the specifications in the relevant CPWD specifications, and if not covered in CPWD specifications the work will be carried out as in the relevant specifications of Bureau of Indian Standard, and if not covered in any of the above, the work will be carried out as directed in writing by the Engineer-in-charge.

8. I/We declare that I/We are not associated, nor has been associated in the past, directly or indirectly with the consultant or any other entity that has prepared the design, specification and other documents for the project for which tenders are invited.

I/We also declare that I/We are not associated, nor has been associated in the past, directly or indirectly with the consultant or any other entity who has been engaged by the Department to provide consulting services for the preparation of supervision of the works for which tenders are invited.

I/We declare that the rates quoted by me/us are on the basis of the above.

Dated the day of

Witness

Address Signature of the tenderer/ Contractor

Occupation

The above tender for a sum of ₹ is hereby accepted by me on behalf of the President of India.

Dated the day of

Signature of tenderer/ Contractor Signature with legal address/

Signature of the Officer by whom accepted

Witness before Submission of tender

### **DECLARATION BY THE TENDERER**

- I hereby declare that I have gone through clearly and understood the General Conditions of Contract for Civil and allied works along with the Schedules appended (Schedules G, H and I) and other relevant formats (Formats 1 to 5) available in the Office of the Group Head/ Head, Construction and Maintenance Group/ Division and uploaded in website at http://www.isro.gov.in/tenders.
- 2. My offer submission for the tender,
  - is after fully considering the above and also the other documents issued along with the tender.
- 3. I also confirm that the offer now submitted is totally in agreement with the General Conditions of Contract read in conjunction with the documents, drawings and specifications issued for this particular tender, except for commercial & technical deviation, if any, specifically brought out in my Techno-Commercial offer, submitted herewith.

(Signature of the tenderer)

## **C. EVALUATION FORMAT**

## **Guidelines**

- 1. Work executed as sub-contract or joint-venture will not be considered for eligibility/ evaluation.
- 2. For technical evaluation, at the discretion of the Technical Evaluation Committee (TEC), one completed work and one on-going work of the tenderer of similar nature and magnitude may be inspected. Tenderers to submit the list of works as per Format 1&2.
- If the tenderer has already executed and completed work for Department of Space
  or in the process of executing any on-going work with Department of Space, of
  similar nature, then evaluation may be carried out based on inspection of these
  works also.

\*\*\*\*\*\*

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## **ABSTRACT**

SI. No	Parameters	Max. marks	Min. marks required for qualification	Marks secured by the agency
1	Quality	30	20	
2	Adherence to time schedule	30	20	
3	Work culture	20	15	
4	Safety	20	15	
	Total marks	100	75	

## Note:

In addition to minimum qualification marks for the individual traits (1 to 4) indicated above, the total minimum qualification marks (75) indicated shall also be secured for a tenderer to be technically qualified.

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 1. QUALITY (for Civil& PH works only)

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
1.1	General		
a.	ISO certification	2	
b.	Availability of identified quality wing and testing laboratories.	2	
1.2	Quality Practices as evaluated at	Site	
a.	Whether regular quality checks carried out on materials/ items used in execution?	3	
b.	General practices adopted at site for execution of work.	3	
1.3	Grading of Workmanship		
1.3.1	Structural work	2	
a.	Line, Level and plumb		
b.	Finish at Junctions		
C.	Free from visible defects (like cracks, honeycomb, bulging, insufficient cover etc.,)		
d.	General workmanship		
1.3.2	Plastering	2	
a.	Surface finish		
b.	Finish at joints		
C.	Defects like cracks		
d.	Finishing of grooves		
e.	Dampness		
1.3.3	Painting	2	
a.	Even shade		
b.	Preparation of surface		
C.	General painting workmanship		
1.3.4	Flooring, Dadoing, Skirting	2	
a.	Uniformity in colour and shade		
b.	Level		
C.	Joints		
d.	Slopes/ depressions in toilets etc.,		
1.3.5	Joinery	2	
a.	Dimensional accuracy		

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
b.	Quality of hardware fittings		
C.	Glass quality		
d.	Fixing of glass		
1.3.6	General workmanship of Special items:	2	
a.	False ceiling		
b.	Underdeck insulation		
C.	Acoustic treatment		
d.	Cladding		
e.	Any other items		
1.3.7	General workmanship of WPC, Roof drainage, Roof Leakage/ Dampness, Coving/ Gola etc.,	3	
1.3.8	General workmanship of Services :		
i.	Public Health	5	
a.	Plumbing/ sanitary items		
b.	Plumbing fixtures		
C.	Any other items		
	Total marks	30	

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 2. ADHERENCE TO TIME SCHEDULE

(Common for Civil, Electrical, Air conditioning & Mechanical works)

**Total Marks: 30** 

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
2.1	Performance on works (time over- run) Assessment of marks as per calculation sheet given below.	20	

### Assessment of marks for 2.1

TOR (Time Over-run) = AT/ ST (Actual Time/ Stipulated Time)

Parameter	Score		
	Without levy of compensation	With levy of compensation	
If TOR =			
1.00	20		
2.00	10-20*	0-10*	
≥ 3.00	0-10*	-5	

<sup>\*</sup> after due evaluation of reasons for delay by TEC.

### Note:

- 1. The performance may be assessed from the total number of works completed by the tenderer in the last 03 years and average of the marks to be considered.
- 2. Marks for the values in between the stages indicated above are to be determined linearly.

2.2	Assessment of adherence to time as inferred from client/ work at site	5	
2.3	Scientific/ Effective methodology implemented for evaluation of the progress (like Primavera, MS Projects etc.,) and immediate remedial measures if required	5	
	Total marks	30	

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 3. WORK CULTURE

(Common for Civil, Electrical, Air conditioning & Mechanical works)

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
3.1	Amenable for corrective measures/ suggestions	2	
3.2	Good co-ordination with other agencies	2	
3.3	Preferring claims with supporting documents in time	2	
3.4	Contractors/ Representative available at site of work.	2	
3.5	Taking timely action to comply with site instructions	2	
3.6	Proper site Management.	2	
3.7	General upkeep of site	2	
3.8	Proper stacking/ Storage of materials	2	
3.9	Proper security arrangements for materials	2	
3.10	Basic amenities for labours at work site	2	
	Total marks	20	
3.11	Litigate nature	-2	

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 4. SAFETY

(Common for Civil, Electrical, Air conditioning & Mechanical works)

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
4.1	Availability of established safety cell and safety policy?	4	
4.2	Safety officer is employed at site?	4	
4.3	Safety Slogan/ Signage displayed?	4	
4.4	Safety drills are conducted periodically? And Regular instructions to bring safety awareness to the workers	4	
4.6	Whether safety practices are followed at site (personnel and site specific)?	4	
	Total marks	20	

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 1. QUALITY (for Electrical Works only):

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
1.1	General		
a.	ISO certification	2	
b.	Availability of identified quality wing and testing laboratories.	2	
1.2	Quality Practices as evaluated a	at Site	
a.	Whether regular quality checks carried out on materials/ items used in execution?	3	
b.	General practices adopted at site for execution of work.	3	
1.3	Grading of Workmanship		
1.3.1	Conducting and wiring practices for lights and fans.	2	
1.3.2	Alignment of installations – lights, fans, power sockets/ switches etc.,	2	
1.3.3	DB fixing/ dressing	2	
1.3.4	Panel design, layout, installation, quality & finishing and safety features	2	
1.3.5	External cable routing, laying and dressing	2	
1.3.6	Earthing	2	
1.3.7	Lightning protection works	2	
1.3.8	Smoke detection and fire alarm system works	2	
1.3.9	Adherence to standard code of practice	2	
1.3.10	Overall finishing	2	
	Total marks	30	

Name of the agency	<b>:</b>
Name of work inspected	:

## 1. QUALITY (for Electrical Substation Works only):

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
1.1	General		
a.	ISO certification	2	
b.	Availability of identified quality wing and testing laboratories.	2	
1.2	Quality Practices as evaluated a	t Site	
a.	Whether regular quality checks carried out on materials/ items used in execution?	3	
b.	General practices adopted at site for execution of work.	3	
1.3	Grading of Workmanship		
1.3.1	Transformer installation	2	
1.3.2	HT circuit breaker installation	2	
1.3.3	Main LT panel installation	2	
1.3.4	Bus duct installation	2	
1.3.5	Cable laying/ routing/ dressing	2	
1.3.6	Cable Termination	2	
1.3.7	DG installation works	2	
1.3.8	Substation Earthing	2	
1.3.9	Adherence to standard code of practice	2	
1.3.10	Overall layout, finishing and neatness	2	
	Total marks	30	

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 1. QUALITY (for Air Conditioning Works only):

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
1.1	General		
a.	ISO certification	2	
b.	Availability of identified quality wing and testing laboratories.	2	
1.2	Quality Practices as evaluated a	at Site	
a.	Whether regular quality checks carried out on materials/ items used in execution?	3	
b.	General practices adopted at site for execution of work.	3	
1.3	Grading of Workmanship		
1.3.1	High side AC system		
a.	Chiller package: Chiller units/condensing unit installation work	1	
b.	Refrigerant pipe work	1	
C.	Cooling tower and condenser water pump installation work	1	
d.	Condensed water piping work	1	
e.	Chiller water pumps/ expansion tank work etc.,	1	
f.	Chilled water piping & Installation work	1	
g.	Cabling & Earthing work (Cable laying/ routing/ dressing)	1	
h.	Power & Control panels, Controls & Safety features	1	
i.	Sound & Vibration of the plants	1	
j.	Overall finishing, Neatness, feasibility for maintenance	1	
1.3.2	Low side AC system		
a.	Air handling units/ blower system work	1	
b.	Chilled water piping & Installation work	1	
C.	Ducting work	1	
d.	Heater banks/ grilles work	1	

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
e.	Filter banks & filter arrangements	1	
f.	Acoustic/ thermal installation work	1	
g.	Cabling & Earthing work (Cable laying/ routing/ dressing)	1	
h.	Overall finishing, Neatness, feasibility for maintenance	1	
i.	Confirmation of achieving inside design conditions	1	
j.	After sales service/ AMC	1	
	Total marks	30	

Name of the agency	:
Name of work inspected	:

## 1. Quality (for EOT crane only):

			i Otal Walks. 30
SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
1.1	General		
a.	ISO certification	2	
b.	Availability of identified quality wing and testing laboratories.	2	
1.2	Quality Practices as evaluated a	t Site	
a.	Whether regular quality checks carried out on materials/ items used in execution?	3	
b.	General practices adopted at site for execution of work.	3	
1.3	Grading of Workmanship		
1.3.1	Facilities available in factory		
a.	Adequate space for factory building	1	
b.	EOT crane facility in factory	1	
C.	Manufacturing facilities as per relevant standards	1	
d.	Machineries for steel plate cutting & bending	1	
e.	Oxy-Acetylene welding and electric arc welding facilities	1	
f.	Surface cleaning, Painting and Finishing facilities	1	
g.	Load testing facilities	1	
h.	In house electrical Integration facility	1	
i.	Adequate quality tools and instruments	1	
j.	Adequate trained manpower (Engineers & Technicians)	1	
k.	Factory Overall neatness	1	
1.3.2	Design Capability		
a.	In-house structural design capability	1	
b.	In-house crane system design capability	1	
C.	In-house electrical system design capability	1	

SI. No	Description	Max. marks	Marks secured by the agency
1.3.3	Performance of crane		
a.	Quality of fabrication and finishing	1	
b.	Timely completion of work	1	
C.	Customer feedback	1	
d.	Operation of all motions of crane	1	
	i) CT: (Smooth, non-jerky, jerky)		
	ii) HT: (Smooth, non-jerky, jerky)		
	iii) Hoist: (Smooth, non-jerky, jerky)		
e.	Operation of Brake for all motions	1	
	i) CT: (Smooth, non-jerky, jerky)		
	ii) HT: (Smooth, non-jerky, jerky)		
	iii) Hoist: (Smooth, non-jerky, jerky)		
f.	Accuracy of speed of the crane for all motions	1	
	i) CT		
	ii) HT		
	iii) Hoist		
	Total marks	30	

## PART- II POST- TENDER STAGE

## A. DEFINITIONS

#### 1. CONTRACT:

The 'Contract' means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the President of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, design, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer-in-charge and all these documents taken together shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.

#### 2. CONTRACTOR:

The 'Contractor' means the individual or firm or company, whether incorporated or not, undertaking the work and shall include the legal personal representatives of such individual or the persons composing such firm or the successors of such firm or company and the permitted assignee of such individual or firm or firms or company.

### 3. PRESIDENT:

The 'President' means the President of India and his successors.

#### 4. GOVERNMENT:

'Government' or 'Government of India' means the President of India.

#### 5. DEPARTMENT:

'Department' means Department of Space, Government of India.

### 6. ENGINEER-IN-CHARGE:

The 'Engineer-in-charge' means the Group Head, CMG/ Head CMD/ Engineer-SG/ Engineer-SF/ Engineer-SE/ Engineer-SD, as the case may be, or the appropriate competent authority declared by the Government who shall supervise and be in charge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President.

## 7. WORK (S):

The expression 'Works' or 'Work' shall unless there is something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent and whether original, altered, substituted or additional.

#### 8. SITE:

The 'Site' means the land/or other places on, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract.

#### 9. MARKET RATE:

'Market Rate' shall be the rate as decided by the Engineer-in-charge on the basis of the cost of materials and labour at the site including applicable taxes, duties and also the transportation charge to where the work is to be executed plus the percentage mentioned in schedule 'F' to cover all overheads and profits.

## 10. SCHEDULE (S):

'Schedule(s)' referred to in these conditions shall mean the relevant schedule (s) annexed to the tender papers.

## 11. SCHEDULE OF RATES (SOR):

'Schedule of Rates' of the Department mentioned in the schedule 'F' here under, with the amendments thereto issued upto the date of receipt of tender.

#### **12. TENDERED VALUE:**

'Tendered Value' means the value of the entire work as stipulated in the letter of award or work order.

# B. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC)

## **INDEX**

Clause No.	Description	Page. No
Clause 1	Performance Guarantee	E-33
Clause 1A	Security Deposit	E-34
Clause 2A	Compensation for Delay	E-34
Clause 2B	Milestones	E-34
Clause 3	Determination of Contract	E-34
Clause 3A	Closing of contract by either party	E-36
Clause 4	Contractor liable to pay compensation even if action is not taken under clause 3.	E-37
Clause 5	Time & Extension for Delay	E-37
Clause 6	Measurement of work done	E-39
Clause 6A	Computerized Measurement Book	E-41
Clause 7	Payment	E-42
Clause 8	Completion certificate	E-43
Clause 8A	Contractor to keep site clean.	E-44
Clause 8B	Completion Plan	E-44
Clause 9	Payment of final bill	E-44
Clause 9A	Payment of contractor's bill to banks	E-44
Clause 10	Materials supplied by the Department	E-45
Clause 10A	Materials to be provided by the Contractor	E-45
Clause 10B (i)	Secured advance	E-46
Clause 10B ii)	Mobilization advance, Interest& Recovery	E-47
Clause 10C i)	Reimbursement of Escalation caused as a direct result of coming into force any fresh Law or Statutory rule or order:	E-48
Clause 10C ii)	Payment due to Increase/ Decrease in Prices/ Wages after Receipt of Tender for Works (applicable only for works with stipulated period of completion more than 12 months)	E-48
Clause 10D	Dismantled materials belong to Government	E-51
Clause 10E	Deleted	
Clause 11	Works to be executed in accordance with specification, drawings, orders etc.,	E-51
Clause 11A	Action where no specification.	E-52
Clause 12	Deviations/ Variations, Extent and Pricing	E-52

Clause 13	Foreclosure of Contract due to abandonment or reduction in scope of work	E-55
Clause 14	Risk and cost	E-56
Clause 15	Suspense of works	E-57
Clause 16	Action in case of work not done as per specification	E-57
Clause 16A	Notice to be given before covering up.	E-58
Clause 17A	Contractor liable for damages, defects during maintenance period.	E-58
Clause 17B	Special Condition on taking Insurance Policy for the whole work order value by the contractors'	E-59
Clause 18	Contractors to supply tools and plants.	E-60
Clause 18A	Recovery of compensation paid to workmen	E-60
Clause 18B	Ensuring payment and amenities to workers if contractor fails.	E-60
Clause 19	Labour Laws/ Safety Provisions to be Complied by the Contractor	E-61
Clause 20	Minimum wages act	E-61
Clause 21	Work not to be sublet. Action in case of insolvency.	E-61
Clause 22	Compensation payable are without reference to actual loss or damages.	E-61
Clause 23	Change in firm's constitution to be intimated.	E-62
Clause 24	Deleted	
Clause 25	Settlement of Disputes and Arbitration.	E-62
Clause 25A	Settlement of dispute between CMG/ CMD & Central Govt.	E-63
Clause 26	Patent rights	E-64
Clause 27	Deleted	
Clause 28	Renumbered as Clause 11A	
Clause 29	Withholding and lien in respect of sums due from Contractor.	E-64
Clause 29A	Lien in respect of claims in other Contracts	E-65
Clause 30	Termination of Contract on death of contractor	E-65
Clause 31	Water Supply	E-65
Clause 32	Electricity	E-66
Clause 33	Return of Govt. Surplus materials to Govt.	E-67
Clause 34	Deleted	
	•	

Clause 35	Deleted	
Clause 36	Employment of Graduate/ Diploma Engineers	E-67
Clause 37	Deleted	
Clause 38	Deleted	
Clause 38A	Deleted	
Clause 39	Relative working with Department	E-69
Clause 40	Restriction for employing retired Government Servant	E-69
Clause 41	Return of materials and recovery for excess material issued.	E-69
Clause 42	Deleted	
Clause 43	Apprentice Act to be complied with.	E-70
Clause 44	Deleted	
Clause 45	Release of Security deposit after labour clearance	E-70

# CLAUSE 1 PERFORMANCE GUARANTEE

- The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5% (Five percent) of the 'tendered amount' in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within period of 15 days from the date of issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineer-in-charge upto a maximum period of 15 days on written request of the contractor stating the reason for delays in furnishing the Guarantee, to the satisfaction of the Engineer-in-charge. This guarantee shall be in the form of Cash (in case guarantee amount is less than Rs.10,000/-) or Deposit at Call receipt of any scheduled bank/Banker's Cheque of any scheduled bank/Demand Draft of any scheduled/Pay Order of any scheduled bank (in case guarantee amount is less than Rs.1,00,000/-) or Government Securities or Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India in accordance with the form annexed hereto. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the performance guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit/receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.
- (ii) The Performance Guarantee shall be initially valid upto the stipulated date of completion plus 60 days beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After satisfactory taking over the building/facility, with no defects, the performance guarantee shall be returned to the contractor without any interest within 14 days.
- (iii) Incase of works where high value equipments under AC/ Electrical/ Mechanical are involved and wherever explicitly mentioned in this contract, for such works, the Performance Guarantee shall be refunded only after the defect liability period of one year from the date of completion.
- (iv) The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of :
- a) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full amount of the Performance Guarantee.
- b) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the Contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer-in-Charge.
- (v) In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India.

### CLAUSE 1A SECURITY DEPOSIT

The contractor, immediately on completion of the work, has to furnish a security deposit of 5% of the 'tendered value' of work in the form of bank guarantee from a scheduled bank in the prescribed form. The bank guarantee shall be valid for the entire defect liability period mentioned in Clause 17A and for an additional period of three months. In the event of contractor failing to furnish the security deposit on completion of the work, the performance guarantee already submitted will be converted into security deposit.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract shall be deducted from this security deposit.

### CLAUSE 2A COMPENSATION FOR DELAY

If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the work and clear the site on or before the contract or extended date of completion, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as agreed compensation, the amount calculated as stipulated below for every completed day/ month (as applicable) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the work remains incomplete. This will also apply to items or group of items for which a separate period of completion has been specified.

Compensation delay of work	for	@ 1.5% per month of delay to be computed on per day basis, on
		value of the incomplete work.

Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this Condition shall not exceed 10% of the total tendered value of work or of the tendered value of the item or group of items of work for which a separate period of completion is originally given. The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the contractor under this or any other contract with the Government.

# CLAUSE 2B MILESTONES

In case the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule 'F', or the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5.4, the amount shown against that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied at the final grant of Extension of time. Withholding of this amount on failure to achieve a milestone shall be automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also shall be withheld. However, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.

# CLAUSE 3 DETERMINATION OF CONTRACT

Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-charge may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay,

inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases:

- i) If the contractor having been given by the Engineer-in-Charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or unworkman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.
- ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence so that in the opinion of the Engineer-in-Charge (which shall be final and binding), he will be unable to secure completion of the work by the date for completion and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge.
- iii) If the contractor fails to complete the work within the stipulated date or items of work with individual date of completion, if any stipulated, on or before such date(s) of completion and does not complete them within the period specified in a notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/ or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in Government service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for Government.
- vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-Charge.
- vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits breach of Contract or Integrity Agreement.
- viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time, being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.
- ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or

the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.

- x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days.
- xi) If the contractor assigns, transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without prior written approval of the Engineer-in-charge.

When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Engineer-in-charge on behalf of the President of India shall have powers:

- a) To determine the contract as aforesaid (of which termination notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer-in-charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, Performance Guarantee under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Government.
- b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work.

In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under the contract unless and until the Engineer-in-charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

# CLAUSE 3A CLOSING OF CONTRACT BY EITHER PARTY

In case the work cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one month whichever is higher, either party may close the contract. In case contractor wants to close the contract, he shall give notice to the department stating the failure on the part of department. In such eventuality, the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded within following time limits, without any interest. The contractor will not be eligible for any compensation for any damages what so ever caused due to closing of contract.

If the Tendered value of work is.

upto Rs. 45 lac : 15 days. more than Rs.45 lac& upto Rs.2.5 Cr : 21 days. exceeds Rs. 2.5 Cr : 30 days.

# CLAUSE 4 CONTRACTORS REMAIN LIABLE TO PAY COMPENSATION, EVEN IF ACTION NOT TAKEN UNDER CLAUSE 3

In any case in which any of the power conferred upon the Engineer-in-charge by clause-3 thereof shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the non-exercise hereof shall not construe a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall not be withstanding exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the Contractor for compensation shall remain unaffected (for which by any clause or clause hereof, he is declared liable to pay compensation amounting to the extent of his security deposit and the liability of the Contractor for past and future compensations shall remain unaffected). In the event of the Engineer-in-charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clauses he may, if he so desires after giving a notice in writing to the Contractor, take possession of (or at the sole discretion of Engineer-in-charge which shall be final) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-charge) all or any tools, plant, materials and stores in or upon the words or the site then of belongings to the Contractor or procured by the Contractor and intended to be used for the execution of the work or any part thereof paying or allowing for the same in account at the contract rates, or in case of these not being applicable at current market rates to be certified by the Engineer-in-charge whose certificate thereof shall be final, otherwise the Engineer-incharge may by notice in writing to the Contractor or his clerk of the works, foreman or authorised agents requesting him/them to remove such tools, plant, materials or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) and in the event of the Contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-charge may remove them at the Contractor's expenses or sell by auction or private sale on account of the Contractor and at his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the Contractor.

### CLAUSE 5 TIME AND EXTENSION FOR DELAY

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the works shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid, Government shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the Performance Guarantee absolutely.

5.1 As soon as possible after the Contract is concluded, the Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone and get it approved by the Department. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the Contract documents, and further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall in all cases in which the time allowed for any work,

- exceeds one month (save for special jobs for which a separate programme has been agreed upon) complete the work as per mile stones given in Schedule 'F'.
- a) Project Management shall be done by using project management software for works costing more than Rs.5 Crore.
- b) The project management shall be done using MS Project software for works costing more than Rs. 5 Crore and up to Rs. 20 Cr.

For works costing more than Rs. 20 Crore, project management shall be done using Primavera Software.

#### **Programme Chart**

- (i) The Contractor shall prepare an integrated programme chart in MS Project/Primavera software for the execution of work, showing clearly all activities from the start of work to completion, with details of manpower, equipment & machinery required for the fulfillment of the programme within the stipulated period or earlier and submit the same for approval to the Engineer-in-Charge within ten days of award of the contract. A recovery of Rs. 2500/- (for works costing upto Rs.20 Crores)/ Rs. 5000/- (for works costing more than Rs. 20 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the above programme.
- (ii) The programme chart should include the following:
  - a) Descriptive note explaining sequence of the various activities.
  - b) Network (PERT/CPM/BAR CHART).
  - c) Programme of procurement of machinery/equipments having adequate capacity, commensurate with the quantum of work to be done within the stipulated period, by the contractor. In addition to above to achieve the progress of Work as per programme, the contractor must bring at site adequate shuttering material required for cement, Concrete and R.C.C. works etc. for three floors within one month from the date of start of work till the completion of RCC work as per requirement of work. The contractor shall submit shuttering schedule adequate to complete structure work within laid down physical milestone.
- (iii) If at any time, it appears to the Engineer-in-Charge that the actual progress of work does not conform to the approved programme referred above or after rescheduling of milestones, the contractor shall produce a revised programme within 7 (seven) days, showing the modifications to the approved programme to ensure timely completion of the work. The modified schedule of programme shall be approved by the Engineer in Charge. A recovery of Rs. 2500/-(for works costing upto Rs. 20 Crores)/Rs. 5000/- (for works costing more than Rs. 20 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the modified programme.
- (iv) The submission for approval by the Engineer-in-Charge of such programme or such particulars shall not relieve the contractor of any of the duties or responsibilities under the contract. This is without prejudice to the right of Engineer-in- Charge to take action against the contractor as per terms and conditions of the agreement.
- (v) The contractor shall submit the progress report using MS Project/Primavera software with base line programme referred above for the work done during previous month to the Engineer-In-charge on or before 5<sup>th</sup> day of each month failing which a

recovery Rs. 2500/- (for works costing upto Rs. 20 Crores)/Rs. 5000/-(for works costing more than Rs. 20 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the monthly progress report.

### 5.2 If the work(s) be delayed by:

- i) force majeure, or
- ii) abnormally bad weather, or
- iii) serious loss or damage by fire, or
- iv) civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or
- v) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge in executing work not forming part of the Contract, or
- vi) non-availability of stores, which are the responsibility of Government to supply or
- vii) non-availability or break down of tools and Plant to be supplied or supplied by Government or
- viii) Any other cause which, in the absolute discretion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control.
  - Then upon the happening of any such event causing delay, the contractor shall immediately give notice thereof in writing to the authority as indicated in schedule 'F' but shall nevertheless use constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-charge to proceed with the works.
- 5.3 Request for rescheduling of milestones and extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the Contractor in writing within fourteen days of the happening of the event causing delay on the prescribed form Engineer-in-charge. The Contractor may also, if practicable, indicate in such a request the period for which extension is desired.
- 5.4 In any such case, Engineer-in-charge may give a fair and reasonable extension of time and reschedule the mile stones for completion of work. Such extension or rescheduling of the milestones shall be communicated to the Contractor by Engineer-in-charge in writing, within 3 months or 4 weeks of the date of receipt of such request respectively. Non application by the contractor for extension of time/ rescheduling of the milestones shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension/ rescheduling of the milestones by Engineer-in-charge and this shall be binding on the contractor.

# CLAUSE 6 MEASUREMENT OF WORKDONE

Engineer-in-charge shall, except as other wise provided, ascertain and determine by measurement, the value in accordance with the contract of work done. All measurement of all items having financial value shall be entered in Measurement Book and / or level field book so that a complete record is obtained of all works performed under the contract.

All measurements and levels shall be taken jointly by the Engineer-in-charge or his authorized representative and by the contractor or his authorized representative from time to time during the progress of the work and such measurements shall be signed and dated by the Engineer-in-charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance. If the contractor objects to any of the measurements recorded, a note shall be made to that effect with reason and signed by both the parties.

If for any reason the contractor or his authorized representative is not available and the work of recording measurements is suspended by the Engineer-in-charge or his representative, the Engineer-in-charge and the Department shall not entertain any claim from contractor for any loss or damages on this account. If the contractor or his authorized representative does not remain present at the time of such measurements after the contractor or his authorized representative has been given a notice in writing three (3) days in advance or fails to countersign or to record objection within a week from the date of the measurement, then such measurements recorded in his absence by the Engineer-in-charge or his representative shall be deemed to be accepted by the contractor.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for measurements and recording levels.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provisions in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give, not less than seven days notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative in-charge of the work, before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized representative in-charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurements without such notice having been given or the Engineer-in-charge's consent being obtained in writing, the same shall be uncovered at the Contractor's expense or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the Department to check the measurements recorded jointly or otherwise as aforesaid and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that recording of measurements of any item of work in the measurement book and /or its payment in the interim, on account or final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

### CLAUSE 6A COMPUTERIZED MEASUREMENT BOOK

Engineer-in-charge shall, except as other wise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract.

All measurements of all items having financial value shall be entered by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book having pages of A04 size as per the format of the Department so that a complete record is obtained of all the items of works performed under the contract.

All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorised representative from time to time, during the progress of the work shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-charge or his authorized representative as per interval or programme fixed in consultation with Engineer-in-charge or his authorized representative. After the necessary corrections made by the Engineer-in-charge, the measurement sheets shall be returned to the contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the Engineer-in-charge for the dated signature by the Engineer-in-charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance.

Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft computerized measurement sheets and these measurements would be got checked/ test checked from the Engineer-in-charge and /or his authorized representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may be done during these checks/test checks in his draft computerized measurements, and submit to the Department a computerized measurement book, duly bound, and with its pages machine numbered. The Engineer-in-charge and/or his authorized representative would thereafter check this MB, and record the necessary certificates for their checks/test checks.

The final, fair, computerized measurement book given by the contractor, duly bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct, and no cutting or over writing in the measurements would thereafter be allowed. If at all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound after getting the earlier MB cancelled by the Department. Thereafter, the MB shall be taken in the Divisional Office records, and allotted a number as per the Register of Computerized MBs. This should be done before the corresponding bill is submitted to the Division Office for payment. The contractor shall submit two spare copies of such computerized MBs for the purpose of reference and record by the various officers of the Department.

The contractor shall also submit to the Department separately his computerized Abstract of Cost and bill based on these measurements, duly bound, and its pages machine numbered along with two spare copies of the 'bill'. Thereafter, this bill will be processed by Division Office and allotted a number as per the computerized record in the same way as done for the measurement book meant for measurements.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements/levels by the Engineer-incharge or his representative.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of

measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurement shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give not less than seven days notice to the Engineer-in-charge or his authorized representative in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and /or test checking the measurement of any work in order that the same may be checked and /or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and /or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized representative in-charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurements without such notice having been given or the Engineer-in-charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the Department to check the measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

# **CLAUSE 7 PAYMENT**

Payments will be made through monthly running account bills based on the works executed on the basis of recorded measurements. The running account bills shall be submitted by the contractor for the works executed on the basis of recorded measurements on the format of the Department in triplicate on or before the date of every month fixed by Engineer-In-Charge.

Engineer-In-Charge shall arrange to have the bills verified by taking or causing to be taken wherever required the requisite measurement of the work. Payments on account of the amounts admissible shall be made by the Engineer-In-Charge certifying the sum to which contractor is considered entitled by way of running account bill at such rates decided by the Engineer-In-Charge.

The amount admissible shall be paid by tenth working day after the day of presentation of the bill by the contractor, together with all details. In the event of failure of the contractor to submit the bill, Engineer-In-Charge shall prepare or cause to be prepared such bill in which event no claim or what so ever on delay in payments shall be entertained.

However in respect of i) AC works and ii) Mechanical works viz., cranes, Monorail, special conveyor system, sliding doors, platforms, passenger/service lifts, compressed air facility, hot water guarantors, rotors, flash mixers and agitators etc., a) 76.5% pro-rata payment

will be made on delivery of equipment and subject to acceptance by conducting necessary tests. b) 13.5% pro-rata payment on completion of installation and c) 10.0% on completion of testing, commissioning and handing over.

All payments made against running accounts will be treated as intermediate advances which will finally be adjusted in the final bill, prepared on completion of the work and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-Charge under the contract or any of such payments be treated as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract.

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority.

Engineer-in-Charge in his sole discretion to the effect that the work has been completed up to the level in question make interim advance payments without detailed measurements for work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent interim bill by taking detailed measurements thereof.

# CLAUSE 8 COMPLETION CERTIFICATE

Within ten days of the completion of work, the Contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-charge and within ten days of receipt of such notice the Engineer-in-charge shall inspect the work and if there is no defect in the work, shall furnish the Contractor with a certificate of completion, otherwise a provisional certificate of completion indicating the defects (a) to be rectified by the Contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates shall be issued but no such certificate of completion provisional or otherwise shall be issued nor shall the work be considered to be complete until the Contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding surplus material and rubbish and all huts and sanitary arrangements required for this or their work people on the site in connection with execution of works shall have been erected or constructed by the Contractor and cleaned off the dirt from all the wood works, doors, windows, walls, floors or which other parts of any building in upon or about the work is to be executed or any of which he may had possession for the purpose of execution thereof and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-charge. If the Contractor shall fail to comply with requirements of this clause as to removal of scaffoldings, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning of dirt on or before the date fixed for the completion of the work, the Engineer-in-charge may, at the expense of the Contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose off the same as he thinks fit clean of such dirt as aforesaid, and the Contractor shall forthwith pay the

amount of all expense so incurred and shall have no claim in respect of any such scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.

# CLAUSE 8A CONTRACTOR TO KEEP SITE CLEAN

When the annual repair and maintenance work is carried out, the splashes and droppings from whitewashing, color washing, painting etc., on walls, floors, doors, windows etc., shall be removed and the surface cleared simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc., where the work is done without waiting for the actual completion of all the other items or work in the contract. In case the Contractor fails to comply with requirement of this clause, the Engineer-in-charge shall have the right to get this work done at the cost of the Contractor either Departmentally or through another agency. Before taking such action, the Engineer-in-charge shall give ten days notice in writing to the Contractor.

# CLAUSE 8B COMPLETION PLAN

The contractor shall submit completion plan for all services viz., water, sewerage, drainage, Electrical, A/c works etc., within thirty days of the completion of the work.

In case, the contractor fails to submit the completion plan as aforesaid, she/ he shall be liable to pay a sum equivalent to 2.5% of the value of the work subject to a ceiling of Rs.15,000 (Rs. Fifteen thousand only) as may be fixed by the EIC concerned and in this respect the decision of the EIC shall be final and binding on the contractor.

### CLAUSE 9 PAYMENT OF FINAL BILL

The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within three months of physical completion of the work or within one month of the date of the final certificate of completion furnished by the Engineer-in-Charge whichever is earlier. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and rates as approved by Engineer-in-Charge, will, as far as possible-be made within the period specified herein under, the period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in- Charge or his authorised persons, complete with account of materials issued by the Department and dismantled materials.

If the Tendered value of work is,

upto Rs. 45 lac : 2 months. more than Rs.45 lac& upto Rs.2.5 Cr : 3 months. exceeds Rs. 2.5 Cr : 6 months.

### **CLAUSE 9A**

#### PAYMENT OF CONTRACTOR'S BILL TO BANKS

Payments due to the Contractor may, if so desired by him, be made to his bank instead of direct to him provided that Contractor furnishes to the Engineer-in-charge;

- 1) an authorization in the form of legally valid documents such as a power of attorney conferring authority on the bank to receive payment and
- 2) his own acceptance of the correctness of the account made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claims preferred against Government before settlement by the Engineer-in-charge of the account or claim by payment to the Bank. While the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the Contractor should whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bankers.

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities vis-à-vis the President of India.

### CLAUSE 10

#### MATERIALS SUPPLIED BY THE DEPARTMENT

If the specification or schedule of items provided for the use any special description of materials to be supplied from Engineer-in-charge's stores, or if it is required that the Contractor shall use certain stores to be provided by the Engineer-in-charge as shown in schedule of materials hereto annexed (Schedule-B), the Contractor shall be bound to procure and shall be supplied such materials and stores as are from time to time required to be used by him for the purpose of the Contract only and the value of the quantity of materials so supplied at the rates specified in the said schedule of materials may be set off or deducted from any sum then due, or thereafter to become due to the Contractor under the Contract, or otherwise or the proceeds of sale thereof if the same is held in Government securities, the same or a sufficient portion thereof being in this case sold for the purpose. All materials so supplied to the Contractor shall remain absolute property of Government, and shall not be removed on any account from the site of work, and shall be all times open to inspection by the Engineer-in-charge. Any such materials remaining unused and in perfectly good condition at the time of the completion or determination of the contract shall be returned to the Engineer-in-charge at a place directed by him, if by a notice in writing under his hand he shall so required, but the Contractor shall not be entitled to return any such materials unless with such consent and shall have no claim for compensation of any such materials so supplied to him as aforesaid not being used by him or for any wastage in or damage to any such material. Provided that the Contractor shall in no case be entitled to any compensation or damages on account of any delay in supply or non-supply thereof all any such materials and stores provided further that the Contractor shall be bound to execute the entire work if the materials are supplied by the Government within the scheduled time for completion of work plus 50% thereof (scheduled time plus 6 months if time of completion of the work exceeds 12 months) but if a part only of the materials has been supplied within the aforesaid period then the Contractor shall be bound to do so much of the work as may be possible with the materials and stores supplied in the aforesaid period. For the completion of the rest of the work, the Contractor shall be entitled to such extension of time as may be determined by EIC whose decision in this regard shall be final.

#### **CLAUSE 10A**

#### MATERIALS TO BE PROVIDED BY THE CONTRACTOR

The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the work other than those which are stipulated to be supplied by the Government.

The contractor shall, at his own expense and without delay, supply to the Engineer-in-charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in-charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-charge that the materials so comply. The Engineer-in-charge shall within thirty days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in-charge shall be issued after the test results are received.

The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be tested or analysed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-charge. The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials.

The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities that the Engineer-in-charge may require for collecting, and preparing the required number of samples of such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-charge and bear all charges and cost of testing unless specifically provided for otherwise elsewhere in the contract or specifications. The Engineer-in-charge or his authorized representative shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.

The Engineer-in-charge shall have full powers to require the removal from the premises all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the Contractor.

The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site for conducting routine field tests. The lab shall be equipped atleast with the testing equipment as specified in schedule F.

### CLAUSE 10B (i) SECURED ADVANCE

The contractor, on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer-incharge, shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work upto 90% of the assessed value of any materials which are in the opinion of the Engineer-incharge non-perishable, non-fragile and non-combustible and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/ or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of such advance shall be recovered/ deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

Such secured advance shall also be payable on other items of perishable nature, fragile and combustible with the approval of the Engineer-in-charge, provided the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such materials. The decision of the Engineer-in-charge shall be final and binding on the contractor in this matter. No secured advance shall however, be paid on high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel, etc.

# CLAUSE 10B (ii) MOBILIZATION ADVANCE, INTEREST & RECOVERY

a) Mobilization advance at the rate of 10% of the tendered value, if requested by the contractor in writing within one month of the order to commence the work. If circumstances are considered reasonable by the Engineer-In-charge, this period for request by the contractor in writing for grant of mobilization advance may be extended in the discretion of Engineer-In-Charge.

Such advance shall be made in two or more installments to be determined by the Engineer-in-charge at his sole discretion. The first installment of such advance shall be released by the Engineer-in-Charge to the contractor, on a request made by the contractor to the Engineer-In-Charge in this behalf. The second and subsequent installments shall be released by the Engineer-In-Charge only after the contractor furnishes a proof of the satisfactory utilization of the earlier installment to the entire satisfaction of the Engineer-In-Charge.

Before any installment of advance is released, the contractor shall execute a Bank Guarantee Bond from Scheduled Bank for the amount equal to 110% of the amount of advance and valid for the contract period. The above bank guarantee shall be kept renewed from time to time to cover the balance amount and likely period of complete recovery.

Provided always that provision of Clause 10 B (ii) shall be applicable only when so explicitly provided in Schedule 'F'.

b) Interest and recovery: The mobilization advance at (a) above bear a simple interest at the rate of 10% per annum and shall be calculated from the date of payment to the date of recovery, both dates inclusive, on the outstanding amount of advance. Recovery of such sums advance shall be made by deduction from the contractors bills commencing after first ten percent of the gross value of work is executed and paid on pro-rata percentage basis to the gross value of work billed beyond ten percent in such a way that the entire advance is recovered by the time eighty percent of the gross value of the contractor is executed and paid together with interest due on the entire outstanding amount upto the date of recovery of the installment.

#### CLAUSE 10C (i)

### REIMBURSEMENT OF ESCALATION CAUSED AS A DIRECT RESULT OF COMING INTO FORCE ANY FRESH LAW OR STATUTORY RULE OR ORDER

All tendered rates shall be inclusive of all taxes, duties, royalties and levies payable under respective statutes.

If the prices of any materials incorporated in the works (not being a material supplied from the Engineer-in-charge stores in accordance with clause 10 thereof) and/or wages of labour increases/ decreases as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rules or order and such increase/ decrease exceeds 10% of the price and/or wages prevailing at the time of receipt of the tender for the work and the Contractor thereupon necessarily and properly pays in respect of the materials (incorporated in the work) such increased/ decreased price and/or in respect of labour engaged on the execution of the work at such increased/ decreased wages then the amount of the contract shall accordingly be varied provided always that any increase/ decrease so payable/ deduction is not in the opinion of the Engineer-in-charge (whose decision is final and binding) attributable to delay in the execution of the contract within the control of the Contractor.

Provided however no reimbursement/ deduction shall be made if the increase/ decrease is not more than 10% of the said prices/ wages and if so the reimbursement/ deduction shall be made only on the excess over 10% and provided further that any such increase/ decrease shall not be payable/ deduction, if such increase/ decrease has become operative after the contract or extended date of completion of the works in question.

The Contractor shall for the purpose of this condition keep such books of accounts and other documents as are necessary to show the amount increased claim or reduction available and shall allow inspection of the same by a duly authorized representative of the Government and further shall at the request of Engineer-in-charge, furnish any document so kept and such other information as the Engineer-in-charge may require.

The Contractor shall within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such materials and or wages of labour give notice thereof to the Engineer-in-charge stating that the same is given pursuance to this condition together with all information relating there to which he may be in a position to supply.

#### CLAUSE 10C (ii)

# PAYMENT DUE TO INCREASE/ DECREASE IN PRICES/ WAGES AFTER RECEIPT OF TENDER FOR WORKS (APPLICABLE ONLY FOR WORKS WITH STIPULATED PERIOD OF COMPLETION MORE THAN 12 MONTHS)

If the prices of materials (not being materials supplied at fixed prices by the Department in accordance with clause 10) and/ or wages of labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2A.

No such compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of completion is equal to or less than **12 (twelve) months**. Such compensation for escalation

in the prices of materials and labour, when due, shall be worked out based on the following provisions.

- (i) The base date for working out such escalation shall be the last stipulated date of receipt of tenders including extension, if any,
- (ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as below :-

Cost of work for which escalation is applicable : W = N		
Less cost of material supplied by the Department as per Clause 10 and recovered during the quarter		
Then, $M = C + F + I - J$ N = 0.85 M		
Extra items /deviated quantities of items paid as per Clause 12 based on prevailing market rates during this quarter.		
Advance payment for which escalation is payable in this quarter [G-H]		
Advance payment recovered during this quarter		
Advance payment made during this quarter		
Full assessed value of Secured Advance for which escalation payable in this quarter [D-E]		
Full assessed value of Secured Advance, recovered in this quarter		
Full assessed value of Secured Advance, fresh paid in this quarter		
Gross value of work done since previous quarter (A-B)		
Gross value of work done upto the last quarter		
Gross value of work done upto this quarter		

- (iii) Components of materials and labour shall be predetermined for every work and incorporated in the condition of contract attached to the tender papers included in schedule 'F'. The decision of the Engineer-in-charge in working out such percentage shall be binding on the contractors.
- (iv) The compensation for materials shall be worked as per the formula given below:-
- (a) Adjustment for Materials

$$V_m = W * \frac{X_m}{100} * \frac{MI - MI_o}{MI_o}$$

Where,

- V<sub>m</sub> = Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered.
- W = Cost of Work done worked out as indicated in sub-para (ii)
- X<sub>m</sub> = Component of materials expressed as percent to the total value of work as specified in Schedule F.

- MI = All India Wholesale Price Index for all commodities for the period under consideration published by Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce.
- MI<sub>o</sub>= All India Wholesale Price Index for all commodities *valid on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any,* as published by the Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce.
- (v) The following principles shall be followed while working out the indices mentioned in Para (iv) above
- (a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills paid during the three calendar months of the said quarter. The first such payment shall be made at the end of three months after the month (excluding) in which the tender was accepted and thereafter at three months interval. At the time of completion of the work, the last period for payment might become less than 3 months, depending on the actual date of completion.
- (b) The index (MI) relevant to any quarter/ period for which such compensation is paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the three calendar months. If the period upto date of completion after the quarter covered by the last such installment of payment is less than three months, the index MI shall be the average of the indices for the months falling within the period.
- (vi) The compensation for escalation for **labour** shall be worked out as per the formula given below:-

$$V_L = W * \frac{Y_L}{100} * \frac{LI - LI_o}{LI_o}$$

Where,

- V<sub>L</sub> = Variation in labour cost i.e. amount of increase or decrease in rupees to be paid or recovered.
- W = Value of work done, worked out as indicated in sub-para (ii) above
- Y<sub>L</sub> = Component of labour expressed as a percentage of the total value of the work as specified in Schedule F.
- LI = Minimum daily Wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter previous to the one under consideration.
- LI<sub>o</sub> = Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any.
- (vii) The following principles will be followed while working out the compensation as per sub-para (vi) above.
- (a) The minimum wage of an unskilled male mazdoor mentioned in sub-para (vi) above shall be the higher of the wage notified by Government of India, Ministry of Labour and that notified by the local administration both relevant to the place of work and the period of reckoning.

- (b) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid under this clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters.
- (c) Irrespective of variations in minimum wages of any category of labour, for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled adult male mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation compensation payable on the labour component.
- (viii) In the event, the price of materials and/ or wages of labour required for execution of the work decrease/s, there shall be a downward adjustment of the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the formula herein before stated under this Clause 10C (ii) shall mutatis mutandis apply.

#### **CLAUSE 10D**

#### **DISMANTLED MATERIALS ARE GOVERNMENT PROPERTY**

The Contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work etc., as Government's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of Government according to instructions in writing issued by the Engineer-in-charge.

#### **CLAUSE 10E - DELETED**

#### **CLAUSE 11**

# WORK TO BE EXECUTED IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATIONS, DRAWINGS, ORDERS, ETC.,

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer-in-Charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents together with specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of Construction and Maintenance Group / Division/ CED/ Department of Space or in Central Public Works Department or in any Bureau of Indian Standard or any other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed publication referred to elsewhere in the contract.

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.

### CLAUSE 11A ACTION WHERE NO SPECIFICATION

In the case of any class of work for which there is no CED/CMG/CMD specifications such work shall be carried out generally in accordance with CPWD specification and if there is no details of CPWD specification book then it shall be executed as per Bureau of Indian Standard specification. In case there is no such specification in Bureau of Indian Standards the work shall be carried out in all respects in accordance with the instruction and requirement of the Engineer-in-charge.

### CLAUSE 12 DEVIATIONS/ VARIATIONS E TENT AND PRICING

The Engineer-in-charge shall have power (i) to make alteration in, omissions from, additions to, or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the work(s) in case of non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the Engineer-in-charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do the main work except as hereafter provided:

- 12.1: The time for completion of the works shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value sum being ordered, be extended, if requested by the contractor, as follows:
- i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus.
- ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-charge.

### 12.2: Extra items and pricing

### A. For major works:

In the case of Extra items (items that are completely new, and are in addition to the items contained in the contract), the contractor may within 15 days of receipt of order or occurrence of the item(s), claim rate supported by proper analysis, for the work and the Engineer-in-charge shall within prescribed time limit of the receipt of the claims supported by analysis after giving consideration to the analysis of the rates submitted by the contractor, determine the rates on the basis of market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.

B. For Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/alteration:

In the case of Extra item(s) being the schedule items (SOR as mentioned in schedule 'F'), these shall be paid as per the schedule rate plus/ minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Extra items in case of non- schedule items (Non-SOR items) shall be made as per the prevailing market rate.

#### 12.3: Substituted item, pricing

#### A. For major/ capital works:

In the case of substituted items (items that are taken up with partial substitution are in lieu of items of work in the contract), the rate for the agreement item (to be substituted) and substituted item shall also be determined in the manner as mentioned in the following para.

- i) If the market rate for the substituted item so determined is more than the market rate of the agreement item (to be substituted), the rate payable to the contractor for the substituted item shall be the rate for the agreement item (to be substituted) so increased to the extent of the difference between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).
- ii) If the market rate for the substituted item so determined is less than the market rate of the agreement item (to be substituted), the rate payable to the contractor for the substituted item shall be the rate for the agreement item (to be substituted) so decreased to the extent of the difference between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).
- B. For Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/alteration:

In the case of Substituted item(s) being the schedule items (SOR as mentioned in Schedule 'F'), these shall be paid as per the schedule rate plus, plus/minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Substituted items in case of non-schedule items (Non – SOR as mentioned in Schedule 'F') shall be made as per the prevailing market rate.

### 12.4: Deviated quantities, pricing

#### A. For major/ capital works:

In the case of contract items, substituted items, contract cum substituted items, which exceed the limits as below, the contractor may within fifteen days of receipt of order of occurrence of the excess, claim revision of the rates, supported by proper analysis for the work in excess of the above mentioned limits, provided that if the rates so claimed are in excess of the rates specified in the schedule of quantities, the Engineer-in-charge shall within prescribed time limit of receipt of the claims supported by analysis, after giving consideration to the analysis of the rates submitted by the contractor, determine the rates on the basis of market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.

Prescribed time limits are as under:

If the Tendered value of work is

upto Rs.45 lac : 30 days. more than Rs.45 lac and up to Rs. 2.5 Cr : 45 days. exceeds Rs. 2.5 Cr : 60 days.

B. For Maintenance works including works of up gradation, aesthetic, special repair, addition/alteration:

In the case of contract items, which exceed the deviation limits as specified in Schedule 'F', the contractor shall be paid with rates specified in the schedule of quantities.

#### A. For major/ capital works:

The provisions of the preceding paragraph shall also apply to the decrease in the rates of items for the work in excess of limits laid down in Schedule 'F', and the Engineer-incharge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates.

B. For Maintenance works including works of up gradation, aesthetic, special repair, addition/alteration:

In case of decrease in the rates prevailing in the market of items for the work in excess of the limits laid down in Schedule F, the Engineer-in-Charge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates

For the purpose of operation of deviation limit, the following works shall be treated as works relating to foundation unless & otherwise defined in the contract:

- i) For Buildings: All works upto 1.2 metres above ground level or upto floor 1 level whichever is lower.
- ii) For abutments, piers and well steining: All works up to 1.2 m above the bed level.
- iii) For retaining walls, wing walls, compound walls, chimneys, over head reservoirs/tanks and other elevated structures: All works upto 1.2 metres above the ground level.
- iv) For reservoirs/ tanks (other than overhead reservoirs/ tanks): All works upto 1.2 metres above the ground level.
- v) For basement: All works upto 1.2 m above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.
- vi) For Roads, all items of excavation and filling including treatment of sub base.

#### 12.6:

The contractor shall send to the Engineer-in-charge once every three months, an upto-date account giving complete details of all claims for additional payments to which the contractor may consider himself entitled and of all additional work ordered by the Engineer-in-charge which he has executed during the preceding quarter failing which the contractor shall be deemed to have waived his right. However, the Group Head CMG/ Head CMD may authorize consideration of such claims on merits.

#### 12.7:

Any operation incidental for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the Schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to

E-54

be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.

#### **CLAUSE 13**

# FORE CLOSURE OF CONTRACT DUE TO ABANDONMENT OR REDUCTION IN SCOPE OF WORK

If at any time after acceptance of the tender, Engineer-in-Charge shall decide to abandon or reduce the scope of the works for any reason whatsoever and hence not require the whole or any part of the works to be carried out, the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.

The contractor shall be paid at contract rates, full amount for works executed at site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to the full extent in view of the foreclosure:

- (i) Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access roads, temporary labour huts, staff quarters and site office, storage accommodation and water storage tanks.
- (ii) Government/Department shall have the option to take over contractor's materials or any part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however Government/ Department shall be bound to take over the materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. For materials taken over or to be taken over by Government/ Department, cost of such materials as detailed by Engineer-in- Charge shall be paid. The cost shall, however, take into account purchase price, cost of transportation and deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in the custody of the contractor.
- (iii) If any materials supplied by Government/ Department are rendered surplus, the same except normal wastage shall be returned by the contractor to Government/ Department at rates not exceeding those at which these were originally issued, less allowance for any deterioration or damage which may have been caused whilst the materials were in the custody of the contractor. In addition, cost of transporting such materials from site to Government/ Department stores, if so required by Government/ Department, shall be paid.
- (iv) Reasonable compensation for transfer of T & P from site to contractor's permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not transported to either of the said places, no cost of transportation shall be payable.
- (v) Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and imported labour to the extent necessary.

The contractor shall, if required by the Engineer- in-Charge, furnish to him, books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount payable under this condition.

The reasonable amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at site taken over by the Government/ Department as per item (ii) above. Provided always that against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination were recoverable by the Government/ Department from the contractor under the terms of the contract.

### CLAUSE 14 RISK AND COST

#### If contractor:

- (i) At any time makes default during currency of work or does not execute any part of the work with due diligence and continues to do so even after 7 days of notice in writing, in this respect from the Engineer-in-Charge; or
- (ii) Commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 7 days even after a notice in writing is given in that behalf by the Engineer-in-Charge; or
- (iii) Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) so determined, and does not complete them within the period specified in the notice given in writing in that behalf by EIC.

Engineer- in-Charge without invoking action under clause 3 may, without prejudice to any other right or remedy against the contractor which have either accrued or accrue thereafter to Government/ Department, by a notice in writing to take the part work/part incomplete work of any item(s) out of his hands and shall have powers to:

- (a) Take possession of the site and any materials, constructional plant, implements, stores, etc., thereon; and/or
- (b) Carry out the part work / part incomplete work of any item(s) by any means at the risk and cost of the contractor.

The Engineer-in-Charge shall determine the amount, if any, is recoverable from the contractor for completion of the part work/ part incomplete work of any item(s) taken out of his hands and execute at the risk and cost of the contractor, the liability of contractor on account of loss or damage suffered by Government/Department because of action under this clause shall not exceed 10% of the tendered value of the work.

In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value of work done in all respect in the same manner and at the same rate as if it had been carried out by the original contractor under the terms of his contract, the value of contractor's materials taken over and incorporated in the work and use of plant and machinery belonging to the contractor. The certificate of the Engineer-in-Charge as to the value of

work done shall be final and conclusive against the contractor provided always that action under this clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not be payable to the contractor.

Any excess expenditure incurred or to be incurred by Government/ Department in completing the part work/ part incomplete work of any item(s) or the excess loss of damages suffered or may be suffered by Government/Department as aforesaid after allowing such credit shall without prejudice to any other right or remedy available to Government/Department in law or per as agreement be recovered from any money due to the contractor or any account, and if such money is insufficient, the contractor shall be called upon in writing and shall be liable to pay the same within 30 days.

If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer-in-Charge shall have the right to sell any or all of the contractors' unused materials, constructional plant, implements, temporary building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards the dues recoverable from the contractor under the contract and if thereafter there remains any balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions of the contract.

In the event of above course being adopted by the Engineer-in-Charge the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advance on any account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract.

### CLAUSE 15 SUSPENSION OF WORK

The Contractor shall suspend the execution of work or any part or parts thereof, wherever called upon in writing by the Engineer-in-charge to do so and shall not resume work thereon until so directed in writing by him. The Contractor will be allowed an extension of time for completion not less than the period of suspension but no other claims in this respect for compensation or otherwise, however will be admissible.

# CLAUSE 16 ACTION IN CASE WORK NOT DONE AS PER SPECIFICATIONS

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-incharge, his authorized subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance unit of the Department or any organization engaged by the Department for Quality Assurance and of the Chief Technical Examiner's office and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinate in-charge of the work or to the Authority in charge of Quality Assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department for Quality Assurance or to the

Chief Technical Examiner or his subordinate officers that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs.10 lakhs and below except road work) of the completion of the work from the Engineer-in-charge specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in-charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer-in-charge may not accept the item of work at the rate applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in Schedule 'F' may consider reasonable during the preparation, of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

### CLAUSE 16A NOTICE TO BE GIVEN BEFORE COVERING UP

The Contractor shall give not less than seven days notice in writing to the Engineer-in-charge or his authorized subordinate in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and placed beyond the reach of measurement any work without the consent in writing of the Engineer-in-charge or his authorized subordinate in charge of the work shall within the aforesaid period of seven days inspect the work and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Engineer-in-charge's consent be obtained the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

# CLAUSE 17A CONTRACTOR LIABLE FOR DAMAGES, DEFECTS DURING MAINTENANCE PERIOD

If the Contractor or his working people shall break, deface, injure or destroy any part of a building in which they may be working or any buildings, road, kerbs, fence, enclosure, water pipes, cables, drains, electric and telephone posts or wire, trees, grass or grass land or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part of it is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress from any cause whatever or if any defects shrinkage or other faults appear in the work within twelve months (6 months in the case of any work other than road work costing Rs,10,00,000/- and below) after a certificate of final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer-in-charge as aforesaid arising out of defective or improper materials or

workmanship, the Contractor shall after receipt of notice in writing in that behalf make the same good at his own expense, or in default the Engineer-in-charge may cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense (of which the certificate of the Engineer-in-charge shall be final) from any sums that may then, or at any time thereafter become due to the Contractor, or from his Security Deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portion thereof the Security Deposit of the Contractor shall not be refunded before the expiry of twelve calendar months after the issue of the certificate of final or otherwise of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.

Engineer-in-Charge shall give notice to the contractor of any defects before the end of the Defect Liability Period, which begins on the date of completion. The Defect Liability Period shall stand automatically extended for as long as defects remain to be rectified. Every time notice of defect is given, the contractor shall correct the notified defects within the period specified by Engineer-in-charge.

However, for contract exclusively for earth work or jungle clearance where defect liability period is not relevant, Security Deposit if any paid may be refunded along with payment of final bill subject to labour clearance vide Clause 45.

Further in case where the contract provides for completion in phases, the Engineer-incharge at his discretion may allow part refund of Security Deposit after expiry of 12 months (6 months in case of any works other than road work costing Rs.10,00,000 and below) from the date of completion for each phase but not before the payment of final bill for the entire contract.

#### **CLAUSE 17B**

# SPECIAL CONDITION ON TAKING INSURANCE POLICY FOR THE WHOLE WORK ORDER VALUE BY THE CONTRACTORS'

As per Clause 17A of the Conditions of Contract, the Contractors' have to make good at their own expense the damages occurred due to any accident from any cause during the work in progress or nearing completion of the work. In order to fulfill this clause and also to take the responsibility of handing over the site to the full satisfaction of the Engineer-in-Charge and till the contractor gets the certificate or a letter of taking over the site facility/ building/works, the contractor shall be responsible to re-do the works damaged from any cause. For this purpose, the contractor shall insure the whole work the moment the work order is received and before agreement is signed for the entire work order value under contractor's all risk insurance policy [CAR]. The third party liability and Cross-liability shall also be covered under the policy. The Contractors' shall consult the insurance companies and also the principal employer i.e. the Engineer-in-Charge and take the insurance policy for CAR. In case of any accidents during the work or nearing completion of the work [other than during the defect liability period for which Clause-17A is applicable], the Contractors' are totally responsible to re-do the damages and hand over site in acceptable condition to the Engineer-in-Charge and await a letter from the Department that the site has been taken over. Till such time, the Contractors' are responsible for all the damages from any cause.

Note: Contractor should also obtain insurance policy to cover all the laborers engaged in the work.

In the event of contractor failing to keep insurance alive, Department reserves right to take appropriate action including withholding the payments due to the Contactor.

# CLAUSE 18 CONTRACTOR TO SUPPLY TOOLS AND PLANTS ETC.,

The Contractor shall supply and provide at his own cost all materials (except such special materials, if any as may in accordance with the contract be supplied from the Engineer-incharge's stores) plant, tools, appliances, implements, ladders, cartage, tackle, scaffolding and temporary works requisite for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specification or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-charge as to any matters as to which under these conditions he is entitled to be satisfied or which he is entitled to require together with carriage thereof to and from the work.

The Contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials necessary for the purpose of setting out works and counting, weighing and assisting in the measurement or examination at any time and from time to time of the work or materials failing his so doing the same may be provided by the Engineer-in-charge at the expenses of the Contractor and the expense may be deducted from any money due to the Contractor under the contract or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof.

# CLAUSE 18A RECOVERY OF COMPENSATION PAID TO WORKMEN

In every case which by virtue of the provisions of section 12 sub-section (i) of the workman's compensation act, 1923, Government is obliged to pay compensation to workmen employed by the Contractor in execution of the work, Government will recover from the Contractor the amount of the compensation so paid and without prejudice to the rights of Government under section-12 sub-section (2) of the said act, Government shall be at liberty to recover such amounts or any part thereof by deducting it from the security Deposit or from any sum due by the Government to the contract whether under this contract or otherwise, Government shall not be bound to contest any claim made against it under section 12, sub-section (1) of the said act except on the written request of the Contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in Consequence of contesting such claim.

# CLAUSE 18B ENSURING PAYMENT AND AMENITIES TO WORKERS IF CONTRACTOR FAILS

In every case in which by virtue of the provisions of the contract Labour (Regulation and Abolition Act 1970) and of the Contract Labour Regulation and Abolition Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to workman employed by the Contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said act and the rules under clause 19 or under the rules framed by Government from to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by Government Contractor, Government will recover from the Contractor the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred and without prejudice to the right of the Government under section 20 subsection (2) and section 21 sub-section (4) of the Contract Labour (R&A) act 1970 Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from any sum due by the Government to the contractor whether under this agreement or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under

section 20 sub-section (1) and section 21 sub section (4) of the said Act except on the written request of the Contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

#### **CLAUSE 19**

#### LABOUR LAWS/ SAFETY PROVISIONS TO BE COMPLIED BY THE CONTRACTOR

Contractor shall follow all laws, regulations and acts of Central/ State Government and other statutory bodies relating to engaging labourers in work, wages and all related provisions and indemnify Government against payment to be made under and for the observance of the said labour laws.

Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor, any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-fulfillment of any of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

Further, contractor at his own expense shall arrange and comply with the safety provisions as per ISRO safety manual (Schedule-'H') and health & sanitary arrangements for the workers as per the extent rules.

#### **CLAUSE 20**

#### **MINIMUM WAGES ACT**

Contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) act, 1970 and rules framed thereunder and other labour laws affecting Contract Labour that may be brought into force from time to time.

#### **CLAUSE 21**

#### WORK NOT TO BE SUBLET - ACTION IN CASE OF INSOLVANCY

The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer-in-charge and if the Contractor shall assign or sublet this contract or attempt to do so or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so or if any bribe gratuity, gift, loan, perquisite reward or advantage, pecuniary or otherwise shall either directly or indirectly be given, promised or offered by the Contractor or any of his employees or agents to any public officer or person in the employ of the Government in any way relating to his Officer or Employment, or if any such officer or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineer-in-charge may thereupon on behalf of the President of India shall have power to adopt any of the course specified in Clause 3 as he may best deem suited in the interest of Government, in the event of any of those courses being adopted the consequences specified in the said clause 3 shall ensure.

#### **CLAUSE 22**

### COMPENSATION PAYABLE ARE WITHOUT REFERENCE TO ACTUAL LOSS OR DAMAGES

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

#### **CLAUSE 23**

#### CHANGE IN FIRM'S CONSTITUTION TO BE INTIMATED.

Where the Contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer-in-charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the Contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern such approval as aforesaid shall like wise be obtained before the Contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carryout the work hereby undertaken by the Contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contractor shall be deemed to have been assigned in contravention of clause 21 hereof and the same action may be taken and the same consequences shall ensure as provided in the said clause 21.

#### **CLAUSE 24 - DELETED**

#### **CLAUSE 25**

#### SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION

- a) If any dispute or differences of any kind whatsoever were to arise between the Engineer-in-charge, CMD and the Contractor regarding the following matters namely.
  - i) The meaning of the specifications, designs, drawings and instructions herein before mentioned.
  - ii) The quality of workmanship or materials used on the work and
  - iii) Any other question, claim, right, matters, thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions or orders, or those conditions or failure to execute the same whether arising during the progress of the work after the completion, termination or abandonment thereof, the dispute shall, in the first place be referred to the Group Head, CMG/ Head CMD who has Jurisdiction over the work specified in the contract with the details of claims, justification for the same with supporting documents such as analysis of rates, cash vouchers and other relevant particulars. The Group Head, CMG/ Head CMD shall within a period of sixty days from the date of being requested by the Contractor to do so or from the date of furnishing of required particulars whichever is later shall give written notice of his decision to the contractor.

If the Group Head, CMG/ Head CMD fails to give notice of his decision within a period of 60 days from the date of receipt of (i) the Contractor's request in writing for settlement of dispute or difference as aforesaid or (ii) relevant particulars from the Contractor in support of his claims whichever is later. (OR)

If the decision of the Group Head, CMG/ Head CMD is not acceptable to the Contractor, he may approach the Director of the Centre/ Unit within a period of 15 days from the date of expiry of 60 days specified above. The Director of the Centre/ Unit shall within a period of further 90 days from the date of receipt of request from the contractor or from the date of receipt of relevant particulars from the contractor in support of claims whichever is later give notice of his decision (s) to the Contractor.

b) Subject to other forms of settlement hereinafter provided the Director of the Centre/ Unit decision in respect of every dispute or difference so referred shall be final and binding upon the Contractor. The said decision shall forthwith be given effect to and Contractor shall proceed with the execution of the work with all due diligence.

### c) Remedy

- 1. When Director of the Centre/ Unit decision is not acceptable to Contractor OR
- 2. Director of the Centre/ Unit fails to give decision within 90 days.

In case the decision of the Director of the Centre/ Unit is not acceptable to the Contractor or Director of the Centre/ Unit fails to give decision within 90 days specified above, the Contractor may approach the Law court specified in Schedule 'F' for settlement of dispute after giving due written notice in this regard to the Director of the Centre/ Unit.

- d) Whether the claim is referred to the Group Head, CMG/ Director of the Centre/ Unit or to the Law Courts, as the case may be, the Contractor shall proceed to execute and complete the works with all due diligence pending settlement of the said dispute or differences.
  - Obligations of the Engineer-in-charge and Contractor shall remain unsettled during considerations of dispute.
- e) The reference of any dispute or dispute (s) or difference(s) to Group Head, CMG/ Head CMD or the Director of the Centre/ Unit or the Law Court may proceed not withstanding that the work shall then be or be alleged to be complete provided always that the obligations of the Engineer-in-charge and the Contractor shall not be altered by reason of the said dispute or difference being referred to Group Head, CMG/Head CMD/ Director of the Centre/ Unit or the Law Court during the progress of the works.

### CLAUSE 25A SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN CMG AND CENTRAL GOVERNMENT ENTERPRISES

In the event of the contract being entered into between CMG/ Department of Space and a Central Government Public Enterprises, supersession of above clause 25 of condition of Contract the following clause shall apply 'In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of the contracts, such dispute or difference shall be referred by either party to the arbitration of one of arbitrators in the Department of Public Enterprises to be nominated by the Secretary to the Government of India, in charge of the Bureau of Public Enterprises. The arbitration Act, 1940 shall not be applicable to the arbitration under this clause. The award of the arbitration shall be binding upon the parties to the dispute provided, however any party aggrieved by such award may make further reference for setting aside or revision of the award to the Law Secretary, Additional Secretary, when so authorized by the Law secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India. Upon such reference the dispute shall be decided by the Law Secretary or the Secretary, whose decision shall bind the parties finally and conclusively. The parties to the dispute will share equally the cost of Arbitration as intimated by the Arbitrator.

Provisions of clause 25 shall not be applicable to contracts where this clause 25A is applicable and the contracts for which clause 25A is not applicable clause 25 will be applicable.

# CLAUSE 26 PATENT RIGHTS

The Contractor shall fully indemnify the President of India against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design on any alleged patent or design right and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against Government in respect of such matters as aforesaid the Contractor shall be immediately notified thereof and the Contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise there from. Provided that the Contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design of any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-charge in this behalf.

#### **CLAUSE 27 - DELETED**

#### **CLAUSE 28 – RENUMBERED AS CLAUSE 11A**

#### **CLAUSE 29**

#### WITHHOLDING AND LIEN IN RESPECT OF SUMS DUE FROM CONTRACTOR

Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge or Government/Department shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the Government/Department shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalization or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government/Department shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in-Charge of the Government/ Department or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld retained under the lien referred to above by the Engineer-in-charge or Government/ Department will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-charge or Government till the claim arising out of or under the contract is determined by the competent court and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-in-charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company at the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

(ii) Government/Department shall have the right to cause an audit and Technical Examination of the work and the final bills of the Contractor including all supporting

vouchers abstract etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and Technical Examination any sum is found to have been over paid in respect of any work done by the Contractor under the contract or any work claimed by him to have been done by him under contract and found not to have been executed, the Contractor shall be liable to refund the amount of over payment and it shall be lawful for Government/Department to recover the same from him in the manner prescribed in sub clause (1) of this clause or in any other manner equally permissible and if it is found that the Contractor was paid less than what was due to him under the Contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government/Department to the contractor, without any interest thereon whatsoever.

Provided that the Government/Department shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Engineer-in-Charge on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Engineer in Charge.

### CLAUSE 29A LIEN IN RESPECT OF CLAIMS IN OTHER CONTRACTS

Any sum of money due and payable to the Contractor (including Security Deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-in-charge or the Government/ Department or any other contracting person or persons through Engineer-in-charge against any claim of the Engineer-in-charge or the Government/ Department or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the Contractor with the Engineer in charge or Government/Department or with such other person or persons.

It is an agreed term of the contract that the sum of the money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-charge or the Government/ Department will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-charge or the Government/ Department or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.

#### CLAUSE 30

### TERMINATION OF CONTRACT ON DEATH OF THE CONTRACTOR

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the Contractor dies, the Engineer-in-charge on behalf of the President shall have the option of terminating the contract without compensation to the Contractor.

# **CLAUSE 31 WATER SUPPLY**

The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions.

i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge.

ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in- Charge, unsatisfactory.

### **Department Supply, if available:**

Water, if available and sparable, may be supplied to the contractor by Department only at the single point subject to the following conditions:-

- i) The water charges @ 1 % shall be recovered on gross amount of the work done.
- ii) The contractor(s) shall make his/their own arrangement of water connection and laying of pipelines from existing main of source of supply.
- iii) The Department do not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the contractor(s) to make alternative arrangements for water at his/ their own cost in the event of any temporary break down in the Government/Department water main so that the progress of his/their work is not held up for want of water. No claim of damage or refund of water charges will be entertained on account of such break down.

#### **Alternative water arrangements:**

- i) Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the Contractor from the wells or hand pump constructed by the Government/Department no charge shall be recovered from the Contractor on that account. The Contractor shall, however, draw water at such hours of the day that it does not interfere with the normal use for which the hand pump and wells are intended. He will also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Engineer-in-charge shall be the final authority to determine the cost recoverable from the Contractor on this account.
- ii) The Contractor shall be allowed to construct temporary wells in Government/ Department land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Engineer-in-charge in writing. No charges shall be recovered from the Contractor on this account, but the Contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall also be responsible, for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

### CLAUSE 32 ELECTRICITY

Electricity, if available in the premises and sparable, may be provided to the contractor by Department only at the single point subject to the following conditions:-

- i) The Contractor has to make his own arrangement to tap Electricity from a 3 phase/ single phase supply from location decided by Engineer-in-charge. Electricity supply will be made available only on metered basis. Electric charges will be recovered at actuals.
- ii) In all cases where/when the energy meter is not installed, defective energy meter is not replaced or not rectified immediately, the consumption charges towards electricity will be recovered on the basis of the total wattage of the load multiplied by the number of

hours utilized. In all such cases the Contractor shall maintain a log book indicating wattage of the load and hours of consumption and get the same attested by Engineer-in-charge at appropriate time without fail. The decision of Engineer-in-charge in the matter shall be final.

**Note:** Please refer Guide lines for temporary power supply at site and general safety procedures, attached.

#### **CLAUSE 33**

#### RETURN OF GOVERNMENT SURPLUS MATERIALS TO GOVERNMENT

Not with standing any thing contained to the contrary in any or all the clauses of this contract where any materials for the execution of the contract are procured with the assistance of Government either by issue from Government stocks or purchase under orders made or permits or licences issued by the Government the Contractor shall hold the said material as trustee for Government and use such materials economically and solely for the purpose of the contract and not dispose off them without the permission of the Government and return, if required by Engineer-in-charge all surplus, serviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or at its termination for any reason whatsoever on being paid or credited such price as the Engineer-in-charge shall determine having due regard to the condition of the material. The price allowed to the Contractor, however, shall not exceed the amount charged to him excluding the storage charges, if any. The contractor shall also not be entitled to cartage and incidental charges for returning the surplus materials from and to the stores where from they were issued. The decision of Engineer-in-charge shall be final and conclusive.

In the event of breach of aforesaid conditions the contractor shall in addition to throwing himself open to action for contravention of the terms of licences or permits and/or for criminal breach of trust, be liable to compensate the Government for all moneys, advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach.

**CLAUSE 34 - DELETED** 

**CLAUSE 35 - DELETED** 

#### **CLAUSE 36**

#### **EMPLOYMENT OF GRADUATE/ DIPLOMA ENGINEERS**

Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees

(i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work and other technical representative(s) who will be supervising the work. Minimum requirement of such technical representative(s) and their qualifications and experience shall not be lower than specified in Schedule 'F'. The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative(s) to the contractor. Any such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint another such representative(s) according to the

provisions of this clause. Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the contractor in this respect. Such a principal technical representative and other technical representative(s) shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site before start of work.

All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will also be applicable to other technical representative(s). The principal technical representative and other technical representative (s) shall be present at the site of work for supervision at all times when any construction activity is in progress and also present himself/themselves, as required, to the Engineer-in-Charge and/or his designated representative to take instructions. Instructions given to the principal technical representative or other technical representative(s) shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The principal technical representative and other technical representative(s) shall be actually available the decision of the Engineer-in-Charge as recorded in the site order book and measurement recorded checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the contractor.

Further if the contractor fails to appoint suitable technical Principal technical representative and/or other technical representative(s) and if such appointed persons are not effectively present or are absent by more than two days without duly approved substitute or do not discharge their responsibilities satisfactorily, the Engineer-in-Charge shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as suitable other technical representative(s) is/are appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative(s) along with every on account bill/ final bill and shall produce evidence if at any time so required by the Engineer-in-Charge at site fully during all stages of execution of work, during recording/checking/ test checking of measurements of works and whenever so required by the Engineer-in-Charge and shall also note down instructions conveyed by the Engineer-in- Charge or his designated representative(s) in the site order book and shall affix his/ their signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements/ checked measurements/test checked measurements. The representative(s) shall not look after any other work. Substitutes, duly approved by Engineer-in-Charge of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of absence of any of the representative(s) by more than two days.

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (nonrefundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and

The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants (ii) as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.

**CLAUSE 37 - DELETED** 

**CLAUSE 38 - DELETED** 

**CLAUSE 38A - DELETED** 

### **CLAUSE 39**

### RELATIVE WORKING WITH DEPARTMENT

It is presumed that the Contractor is not related to any of the officers of the Department of Space. If he has any such relatives full particulars of the same should be furnished.

### **CLAUSE 40**

### RESTRICTION FOR EMPLOYING RETIRED GOVERNMENT SERVANT

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted officer employed in Engineering or Administrative duties in the Engineering Department of the Government of India shall work as a Contractor or employ of contractor for a period of one year after his retirement from Government service without the previous permission of Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the Contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the Contractor's service as the case may be.

# CLAUSE 41 RETURN OF MATERIALS & RECOVERY FOR EXCESS MATERIAL ISSUED

- i) After completion of the work and also at any intermediate stage in the event of nonreconciliation of materials issued, consumed and in balance - (see Clause 10), theoretical quantity of materials issued by the Government for use in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder:
  - a. Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement & bitumen required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule/statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-Charge.
  - b. Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorized by Engineer-in-Charge, including authorized lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual issues each diameter wise, section wise and category wise separately.
  - c. Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and cables, pig lead and G.I./M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter wise & category wise.
  - d. For any other material as per actual requirements.
- ii) Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule 'F'. The difference in the net quantities of material actually issued to the contractor and the theoretical quantities including such authorized variation, if not returned by the contractor or if not fully reconciled to the satisfaction of the Engineer-in- Charge, within fifteen days of the issue of written notice by the

Engineer-in-charge to this effect shall be recovered at the rates specified in Schedule 'F', without prejudice to the provision of the relevant conditions regarding return of materials governing the contract. Decision of Engineer-in-Charge in regard to theoretical quantities of materials, which should have been actually used as per the Annexure of the standard schedule of rates and recovery at rates specified in Schedule 'F', shall be final & binding on the contractor.

For non scheduled items, the decision of the Engineer-in-Charge regarding theoretical quantities of materials which should have been actually used, shall be final and binding on the contractor.

iii) The said action under this clause is without prejudice to the right of the Government/Department to take action against the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

### **CLAUSE 42 - DELETED**

## **CLAUSE 43**

### APPRENTICE ACT TO BE COMPLIED WITH

The Contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act 1961 and the rules and orders issued there under from time to time. If he fails to do so his failure will be a breach of the contract and the Engineer-in-charge may in his discretion cancel the contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.

## **CLAUSE 44 - DELETED**

#### **CLAUSE 45**

### RELEASE OF SECURITY DEPOSIT AFTER LABOUR CLEARANCE

Security Deposit of the work shall not be refunded till the contractor produces a clearance certificate from the Labour officer. As soon as the work is virtually complete the contractor shall apply for the clearance certificate to the Labour officer under intimation to the Engineer- in- charge. The Engineer-in-charge, on receipt of the said communication, shall write to the Labour officer to intimate if any complaint, its pending against the contractor in respect of the work. If no complaint is pending, on record till after 3 months after completion of the work and/or no communication is received from the Labour officer to this effect till six months after the date of completion, it will be deemed to have received the clearance certificate and the Security Deposit will be released if otherwise due.

## **C. GENERAL GUIDELINES**

(TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT (GCC))

### 1. MARKING BASE LINES AND LEVELS

The Contractor shall layout his work from base lines and grades established by the Department, and shall be responsible for all measurement in connection therewith. The Contractor shall at his own expense furnish all stakes, template, platforms, equipment, ranges and labour that may be required in setting or laying out any part of the work, the Contractor shall be held responsible for the proper execution of the work to such lines and grades as may be established or indicated on the drawings and specifications. The Contractor shall check the bench marks and benches existing at the site for laying out lines and levels. The Contractor is to construct and maintain proper benches at the intersections of all main walls, in order that the lines and levels may be accurately checked at all times. The Contractor shall provide suitable stones with flat tops and built the same in concrete for temporary bench marks. All the pegs for setting out the works and fixing the necessary levels required for the execution thereof shall, if desired by the Engineer-in-charge, likewise to built in masonry at such places and in such mortar as the Engineer-in-charge may determine. Theodolite, levels, prismatic compass, chain, steel and metallic tapes and all other surveying instruments found necessary on the works shall be provided by the Contractor for their own use and for inspection by Departmental officers.

# 2. STORES & MATERIALS, INSPECTION AND AVOIDING INCONVENIENCE TO DEPARTMENTS ACTIVITIES

Stores and material required for the work are to be stored by the Contractors only in places to be indicated by Engineer-in-charge. The Engineer-in-charge shall have the right at any time to inspect and examine any store and materials intended to be used in or on the works on the site or at any factory or workshop or other places where such stores or materials are being constructed or manufactured or processed or any place from where they are being obtained and the Contractor shall give such facilities as required to be given for such inspection and examination.

The Engineer-in-charge shall be entitled to have tests made at any approved Laboratory for any stores and/or materials supplied by the Contractor who shall provide at his own expense all facilities (viz.,) arrangements required for taking samples, conveyance, packing, etc., which the Engineer-in-charge may require for the purpose. Testing charges shall be borne by the Department.

Any stores and materials brought to the site for use on the work shall not be removed off the site without prior written approval of the Engineer-in-charge, but on final completion of the work Contractor shall at his own expense remove from the site all surplus stores and materials originally brought by him.

The Contractor shall not deposit materials on any site which will cause inconvenience to any of the Departmental activities. The Contractor shall undertake to clean the site free from rubbish to the satisfaction of the Engineer-in-charge. All surplus materials, rubbish and materials which may be dangerous/ cause inconvenience to the activities of the Department shall be removed at the Contractor's cost and deposited at the places fixed by EIC.

### 3. SPECIFICATIONS AND DRAWINGS

The drawings furnished to the Contractor shall be interpreted and identified by figured dimensions and nomenclature as indicated therein. On no occasion the drawings shall be scaled off and transferred to work.

In all cases where enlarged detailed drawings are given for any component of work, these drawings shall take precedence over those incorporated in general drawing to a comparatively smaller scale.

- a) Prior to the execution of the work, the contractor shall check all drawings, specifications and shall immediately report all errors, discrepancies and/or omissions discovered therein to the Engineer-in-charge and obtain appropriate orders on the same. Any adjustment made by the Contractor without prior approval of the Engineer-in-charge shall be at his own risk, each description of item in the schedule of quantities shall be read in injunction with the relevant drawings and the specifications and the Contractor's rate shall be deemed to be for such complete work unless otherwise specified by the Contractor while tendering.
- b) Cost of all shop drawings, fabrication drawings or form work drawings and details to be furnished by the Contractor shall be deemed to be included in his tendered rates for the work. Accordingly approval to shop drawings or other fabrication drawings shall not be construed as authorizing award of additional work and as long as these belong to common individual scheme governed by specifications for which the Contractor has already quoted, no extra payment on any account will be admissible for all essential components that are to be necessarily executed to complete the work in all respects.
- c) Prior to submission for approval, the Contractor shall be responsible for thoroughly checking all drawings to ensure that they comply with the intent and requirements of the contract specifications and that they fit with the over all building layout. Drawing found to be inaccurate or otherwise in error will be returned for correction by the Contractor.
- d) For all drawings to be submitted by the Contractor for the approval of the Engineer-in-charge, the Contractor shall submit 6 (six) copies of each drawing for approval.
- e) The approval of drawing by the Engineer-in-charge shall not be construed as a complete dimensional check, but will indicate only that the general method of construction and detailing is satisfactory. The contractor shall be totally responsible for the dimensions and design, safety of the system evolved inclusive of providing interconnected operational accessories adequate enough to accomplish satisfactory completion of work.
- f) In case of difference between drawings and specifications, the specifications shall govern. Anything mentioned in the specification and not shown in the drawings or shown on the drawings but not mentioned in the specifications shall be like effect as if shown or mentioned in both.

### 4. SEQUENCE OF WORK

The sequence of work shall be generally as decided by the Engineer-in-charge taking into consideration other connected works.

### 5. CO-ORDINATION WITH OTHER CONTRACTORS

Contractor shall extend all co-operation to the other Contractors executing the work, who might be working at the site.

### 6. INSPECTION OF WORK

The work shall be carried out under the directions of the Engineer-in-charge in addition subject to inspection by the representative appointed by Engineer-in-charge to ensure strict compliance with the terms, specifications and conditions of the contract. Any failure on the part of the Engineer-in-charge or his representative during the progress of inspection of work to discover any defective work or to reject materials not upto standards shall not be deemed to have been accepted and should not be construed as waived. Any defects noticed either during the period of construction or after the completion upto a period of 12 months from the date of completion, the Contractor is liable to carry out all repairs/rectifications at his/ their own cost to the satisfaction of the Department. Further in the event of the Contractor using substandard/inferior quality of materials which at future date is not susceptible to replacement, for structural reasons or otherwise and if concurrence is given for retention of such structure, the Engineer-in-charge will have necessary authority to recover a proportionate sum decided as per his discretion. In case the structure with the use of substandard or inferior material cannot be retained in the work as per the opinion of the Engineer-in-charge, portion or portions of such structure/work shall be dismantled and replaced new by the Contractor at his own cost. Partial or entire occupancy of the premises shall not be construed as the acceptance of the work or materials incorporates in the work. No changes whatsoever to any provision of the specification shall be made without written authorized from the Engineer-in-charge.

### 7. MEASUREMENT

Where mode of measurement is not specified the measurements will be taken at site as per latest IS code of practice for measurements. The Contractor or his representative shall accompany the Engineer-in-charge or his representative when required to do so and assist in taking the measurement and shall agree to the measurements recorded on the spot. The measurements for all works in general shall be measured as per the dimensions.

All measurements shall be taken with steel tapes only. Necessary scaffolding, staging and ladders required for taking measurements shall be provided by Contractor at his cost, besides offering service of labourers for taking such measurements.

If the Contractor fails to accompany the Engineer-in-charge or other persons who have been duly authorised by the Engineer-in-charge to take measurements then he should be bound by the Measurements recorded by the Engineer-in-charge or his representative.

### 8. MAKE AND OTHER DETAILS OF MATERIALS

The Contractor shall furnish a list of the makes and other details of various materials he proposes to use on the work and this would be subject to the approval of Department.

### 9. SAMPLES

Samples of all materials to be incorporated in the work shall be submitted to the Engineer-in-charge for his approval without claiming any extra cost. The approved

samples will be kept with the Engineer-in-charge till the completion of work. Materials not conforming strictly to the samples are liable to be rejected.

### 10. NO DAMAGE TO DEPARTMENT PROPERTY

No damage should be done to the property of the Department to the buildings or trees and if any damage so done, the Contractor is responsible for making good the loss according to the decision taken by the Engineer-in-charge.

# 11. SAFETY PROVISIONS/ CONTRACTOR TO BEAR THE EXPENSES IN CONNECTION WITH ACCIDENTS, IF ANY

The Contractor shall provide all necessary fencing lights required to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings which may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and costs which may be awarded in any such actions or proceedings to any such persons or which may with the consent of the Contractor be paid to compromise-any claim by any such person.

## 12. SECURITY REGULATIONS TO BE FOLLOWED

The Contractor have to follow strictly the regulations of the Department at the work site regarding entry of personnel, materials etc. and any other regulation that might be enforced from time to time. Contractors personnel/ workers should possess valid passes and should produce the passes to Security/Department authorities when demanded. Contractors personnel/workers should not enter the Departmental premises, other than those for which the passes are issued and also should not enter after/before working hours without obtaining prior approvals. Any person found in the Departmental premises without authorized passes during, before or after working hours is liable for actions as per the Departmental procedures and rules.

All materials and articles brought by the Contractor to the work site shall have to be declared at the security gate. Similarly no materials shall be taken out from the Departmental premises without proper gate pass which will be issued/ caused to be issued by the Engineer-in-charge to the Contractor on written request. It is to be noted that loading of Contractor materials in vehicles and truck shall be done in the presence of Departmental personnel. The Contractors representative will have to escort the materials till the security check is over.

For working on Sundays, Holidays and late hours, even though permission will be accorded by the Engineer-in-charge the Contractor will have to make application to the Security Department also and keep them informed well in advance.

Any breach of above security regulations and rules in force from time to time will be viewed seriously. No claim whatsoever will be entertained by the Department on account of observance of Security Regulations.

### 13. SUBCONTRACTING

## Subcontracting as a matter of rule not allowed.

However, if it is inevitable in special cases, the Contractor shall within fifteen (15) days after the date of award of this contract notify the Engineer-in-charge in writing of the names of all Sub-Contractor proposed for the work and the extent and character of the

work to be done by each. The employment of any Sub-Contractor will be subjected to the approval of the Engineer-in-charge. If for any reason, at any time during the progress of work the Engineer-in-charge determines that any Sub –Contractor is incompetent or undesirable he will notify the Contractor accordingly and the Contractor shall take steps immediately to cancel such Sub-Contractor. Sub-letting by such contract shall be subjected to same regulations. Nothing contained in this contract shall create any contractual relation between any Sub-Contractor and the Department and the Contractor shall be entirely responsible for all the work included in the contract whether executed by him or through his Sub-Contractors. In particular it may be noted that the Contractor shall obtain steel doors and windows from a reputed manufacturer and before placing order for these, the Contractor shall obtain the concurrence of the Department for the agency from whom he proposes to obtain steel doors and windows.

### 14. ANALYSIS OF RATES QUOTED

The contractor when called for by the Department should furnish detailed analysis in support of the rates quoted by him against each item of the tender. The Department reserves the right to utilize the analysis thus supplied in settling any deviations or claims arising on this contract.

An allowance of 15% towards Contractors overheads and profits will be considered while determining the rate/rates on the costs of prevailing market rates as per clause 12 of general conditions of the contract.

# 15. POWER OF ATTORNEY HOLDERS NOT TO BE PERMITTED FOR EXECUTION OF WORKS.

It may be noted that the original Contractors on whom the work order is issued only shall carry out the work directly and they will not give any power of attorney for execution of the work for any one else. As a special case, in case of partnership firm, one of the partners can carry out the work with due authorization, provided the partnership deed is to be submitted to the Department. Similarly, in case of a Construction Company, Private Limited Company, Public Limited Company only the authorized signatory of the Company shall act and carry out the work. All such proposals must be made clear by the tenderer while submitting the tender itself and get it specifically approved by the Department. In case, during the execution if the Engineer-in-charge feels that the authorized signatory/authorized representative is not able to manage works, the authorized signatory/representative can be removed by the Engineer-in-charge.

## 16. PUBLICITY OF WORKS EXECUTED FOR DEPARTMENT

The Contractor / Sub-Contractor shall obtain prior written permission of the Department whenever they propose to mention the work executed or being executed for the Department in any of their publicity literature advertisements. The text of the publicity literature advertisement should be submitted while applying for permission.

### 17. NO INTEREST FOR DELAYED PAYMENTS

Wherever the time limits are specified in the General Conditions of Contract and other parts of the Contract, for payments and releasing of bank guarantee etc., by Department, Department will <u>not</u> pay any interest for delay, if any, beyond the stipulated time limits, caused due to unavoidable official reasons.

# D. SCHEDULES

# SCHEDULE A' - SCHEDULE OF QUANTITIES PRICE SCHEDULE SEPARATELY UPLOADED)

### **General notes:**

Rates for various items of work in the accompanying schedule of quantities for,

shall be quoted after taking into account of the following notes.

- This is an indivisible works contract. The rates quoted shall include all taxes and levies payable under respective statues. Sales tax, VAT etc., as applicable will be deducted as per statues from the bill and remitted to the Department concerned.
- 2. The offered rates shall also include service tax payable under the respective statutes. Any claim on account of service tax will not be admissible.
- 3. The rate quoted shall abide all the provisions mentioned in General Conditions of Contract (GCC) and other general guidelines mentioned in this tender.
- 4. The rates for various items of works in the Schedule of quantities shall be quoted taking into account the cost of materials, labour, tools and plants, scaffolding, necessary wastages, cost of handling and conveyance of materials to place of work, over heads and profits and any other incidentals included therein.
- 5. Rates quoted by the Tenderers for various items of work shall be deemed to be inclusive of such leads and lifts mentioned therein and/or as shown in the accompanying tender drawings. Where such information is absent, the rates shall be deemed to be inclusive of the necessary leads and lifts to complete the item of work occurring at any height and with any required leads.
- 6. The rates quoted shall be in decimal coinage.
- 7. In the 'Item of work/ description of work' column 'unit' column, the various abbreviations shall means as below.
  - a. M/m/Rm/Mtr/MTR shall mean 'Metre' in length or breadth or depth.
  - b. SQM/Sqm/SM/sqm/M<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> shall mean 'Square Metre' in area
  - c. Cu,m/cu,m/Cum/M<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> shall mean 'Cubic Metre' in volume.
  - d. Kg/kg/KG shall mean 'Kilogram' in weight.
  - e. MT/mT/Mt/T shall mean 'Metric Tonne' in weight
  - f. Cm/CM/cm shall mean 'Centimetre'

Signature of Tenderer with Name and legal address

Date:

### PRICE SCHEDULE SEPARATELY UPLOADED)

## SCHEDULE B' MATERIALS TO BE SUPPLIED BY DEPARTMENT

SI. No	Description of Item	Qty	Rates in figures words at which the material will be charged to the contractor	Place of Issue
1	2	3	4	5

## SCHEDULE C D' DELETED

# SCHEDULE E' - SCHEDULE OF COMPONENTS OF MATERIALS AND LABOUR FOR PRICE ESCALATION

Component of Materials – expressed as percent of total value work.	X <sub>m</sub> =	%
Component of labour – expressed as per cent of total value of work	Y <sub>L</sub> =	%

## SCHEDULE F'- REFERENCE TO GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

## Name of work:

1.	Estimated cost of work	₹
2.	Earnest Money	₹
3.	Performance Guarantee	₹
4.	Security Deposit	₹

## **General Rules** Direction:

1.	Officer inviting Tender	Group Head, CMG/ Head, CMD
2.	Percentage on cost of materials and labour to cover all overheads and profits	15%
3.	Schedule of Rates (SOR)	SOR

REF: CLAUSE 1 OF GCC: PERFORMANCE GUARANTEE				
(i) Time allowed for submission of performance Guarantee from the date of issue of letter of acceptance	15 days			
(ii) Maximum allowable extension beyond the period provided in (i) above	15 days			
REF: CLAUSE 2A OF GCC: COMPENSATION OF	DELAY			
Authority of fixing compensation under clause 2A	Department of Space			
REF: CLAUSE 5 OF GCC: TIME E TENSION FOR DELAY				
Number of days from the date of issue of letter of Acceptance for reckoning date of start	15 days			
Time allowed for execution of work				

## TABLE OF MILE STONE S):

SI. No.	Description of Mile stone Physical)	Time allowed in days from date of start)	Amount to be with held in case of non achievement of milestone

REF: CLAUSE 6 6A OF GCC: MEASUREMENT OF WORK DONE AND COMPUTERI ED MEASUREMENT BOOK

Clause applicable: 6/6A (Non applicable clause to be striked off)

## REF: CLAUSE 10A OF GCC: MATERIALS TO BE PROVIDED BY THE CONTRACTOR

List of testing equipment to be provided by the contractor at site lab.

1	5	
2	6	
3	7	
4	8	

## REF: CLAUSE 10 B ii) OF GCC: MOBILI ATION ADVANCE, INTEREST RECOVERY

Whether Clauses 10 B (ii) shall be applicable Yes/ No (This is applicable only for works more than Rs.2.00 crores)

## REF: CLAUSE 12 OF GCC: DEVIATIONS/ VARIATIONS, E TENT AND PRICING

Deviation limit beyond which clause 12 shall apply

For Superstructure Work	25
For Foundation Work	50

# REF: CLAUSE 16 OF GCC: ACTION IN CASE OF WORK NOT DONE AS PER SPECIFICATION

Competent Authority for deciding reduced rates: Group Head, CMG/ Head CMD,

## REF: CLAUSE 25 OF GCC: SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION

Law court of Jurisdiction :

## REF: CLAUSE 36 OF GCC: EMPLOYMENT OF GRADUATE/ DIPLOMA ENGINEERS

SI. No.	Minimum qualification of Technical representative	Discipline	Designation (Principal Technical/ Technical	Minimum experience	Number	Rate at which recovery shall be made from the contractor in the
			representative)			event of not fulfilling provision of clause 36 (i)

## REF: CLAUSE 41 OF GCC: RETURN OF MATERIALS AND RECOVERY FOR E CESS MATERIAL ISSUED.

(i) Variations permissible on theoretical quantities:

(a)	Cement for works with estimated cost put to Tender not more than Rs. 5 Lakhs	3% plus/minus
	For works with estimated cost put to Tender more than 5 lakhs	2% plus/minus
(b)	Bitumen for all works	2.5% plus only & Nil on minus side
(c)	Steel Reinforcement and structural steel sections for each diameter, section and category	2% plus/minus
(d)	All other materials	Nil

(ii) Recovery rates for quantities beyond permissible variation:

SI. No.	Description of Item	Rates in figures and words at which recovery shall be made from the Contractor		
		Excess beyond Permissible variation	Less use beyond the permissible variation	
1.	Cement			
2.	Steel reinforcement a) M.S. Bars b) HYSD bars			
3.	Structural Sections			
4.	Bitumen issued free			
5.	Bitumen issued at stipulated fixed price			

## SCHEDULE G' CO-EFFICIENT FOR CEMENT CONSUMPTION

Refer Separate attachment

## SCHEDULE H' ISRO SAFETY CODE

Refer Separate attachment

## SCHEDULE I' CED/CMG/CMD TECHNICAL SPECIFICATION

Refer Separate attachment

# PART- III FORMATS

(TO BE FILLED IN BY THE TENDERER/CONTRACTOR)

## **FORMAT 1**

## **LIST OF ON-GOING WORKS**

SL. No	Name of work	Nature of work	Value of work	Date of Completion as per W.O	Present Status	Expected date of commitment during	Name of client & Full Address

## FORMAT 2

## LIST OF WORKS COMPLETED IN THE LAST 07 YEARS (INCL. THE CURRENT YEAR IN WHICH THE TENDER IS CALLED).

SL. No	Name of work	Nature of work	 Date of Completion as per W.O	Actual date of completion	Whether Extension of Time of Contract was availed?		Name of client & Full Address
					With levy of compensation	Without levy of compensation	

Note: The above details are to be furnished by the Tenderer, along with copy of work order and completion certificate issued by the client.

(Signature	of the	tandarar	with	etamn)
(Olginature	OI LIIC	teriaciei	VVILII	starrip)

DOS/ ISRO PART-III: FORMATS E-86

## **FORMAT 3**

## a. DRAFT BANK GUARANTEE BOND FOR EARNEST MONEY

(To be used by Approved Schedule Banks)

1.	In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having agreed to accept from
2.	We, (indicate the name of Bank) do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said tenderers. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs
3.	We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the tenderer in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
	The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment there under and the tenderers shall have no claim against us for making such payment.
4.	We
5.	We, Bank further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent

and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the N.I.T and/or terms and conditions governing the contract or to extend the time of validity of the offer from the said tenderer from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said tenderer and to forbear or enforce any of the terms and conditions of the NIT and we shall not be relieved from our liability hereunder by reason of any such variation, or extension being granted to the said tenderer or for any forbearance act or omission on part of the Government or any indulgence by the Government to the said tenderer or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to surety/guarantee would but for this provision have effect of so relieving us.

6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the tenderers.
7.	We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8.	This Guarantee shall be valid upto
20	the day oftortorte the name of Bank)
	Accepted
India	For and on behalf of the President of

# b. DRAFT BANK GUARANTEE BOND FOR PERFORMANCE SECURITY (GUARANTEE)

1.	In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having offered to accept the terms and conditions of the proposed agreement between
2.	We,(indicate the name of the bank) do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demure, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed as required to meet the recoveries due or likely to be due from the said contractor(s). Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs(Rupees
3.	We, (indicate the name of the Bank) the said bank further undertake to pay the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
	The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.
4.	We, (indicate the name of the Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till Engineer-in-charge on behalf of the Government certified that the terms and conditions of the said agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5.	We, (indicate the name of the Bank) further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said agreement or to extend time of performance by the said Contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said contractor(s) or for any forbearance, act of omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

DOS/ ISRO PART-III: FORMATS E-89

6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the contractor(s).
7.	We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8.	This guarantee shall be valid upto
Dated the Ba	the day of for (indicate the name of nk)

## c. DRAFT BANK GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

1.	In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having agreed to exempt
	ONLY).  We
2.	We, (indicate the name of the Bank) do hereby undertake to pay amounts due and payable under this guarantee without any demure merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said Contractor(s). Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards to amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs
3.	We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal.
	The payment so made by us under this bond shall be valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.
4.	We, (indicate the name of the Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharges or till Engineer-in-charge on behalf of the Government certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5.	We, (indicate the name of the Bank) further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time of performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exerciseably by the Government against the said Contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement

and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect of so relieving us.

6

6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).
7.	We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8.	This Guarantee shall be valid upto
	expiry of this Guarantee, all our liabilities under this Guarantee shall stand discharged.
	Dated theday of
	Note :-

Before a Bank Guarantee is accepted, an affidavit duly sworn in before a first class magistrate, may also be taken from the Contractor that he would keep the validity of the Bank guarantee intact by getting it suitably extended from time to time, at his own initiative, upto a period of twelve months for any other maintenance period prescribed in the agreement after the recorded date of completion of the work as directed by the Engineer-in-charge and indemnifies the Government against any losses arising out of non encashment of Bank guarantee. Such an undertaking may be taken on a non judicial stamp paper, as required, in the enclosed proforma.

### d. BANK GUARANTEE TO SECURE A MOBILISATION ADVANCE

TO

|--|

- In consideration of the President of India/ Governor of the State of ...... 1. (hereinafter called "the Government" which expression shall unless repugnant to the subject or context include his successor and assigns) having agreed under the \* ...... and the Government in connection with ...... [hereinafter called "the said Contract"] to make at the request of the Contractor a lumpsum advance of Rs...... (Rupees ......) for utilizing it for the purpose of the Contract on his furnishing a guarantee acceptable to the Government, we the \*\*...... Bank Ltd. (hereinafter referred to as "the said Bank") a company under the Companies Act, 1956 and having our registered office at .......... Do hereby guarantee the due recovery by the Government of the said advance with interest thereon as provided according to the terms and conditions of the Contract. We \*\*..... do hereby undertake to pay the amount due and payable under this Guarantee without any demur, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is due to the Government under the said Agreement. Any such demand made on the ...... Shall be conclusive as regards the amount due and payable by the ...... under this guarantee and the ...... agree that the liability of the ..... to pay the Government the amount so demanded shall be absolute and unconditional notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor and not withstanding any legal proceeding pending in any Court or Tribunal relating thereto. However, our liability under this Guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs......(Rupees ......).
- 3. We, the said Bank further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Contract and till the said advance with interest has been fully recovered and its claims satisfied or discharged and till .............................. certify that the said advance with interest has been fully recovered from the said Contractor, and accordingly discharges this Guarantee subject, however, that the Government shall have no claims under this Guarantee after six months from date of completion of the said Contract, as the case may be, unless a notice of the claim under this Guarantee has been served on the Bank before the expiry if the said period of six months in which case the same shall be enforceable against the Bank not withstanding the fact that the same is enforced after the expiry of the said period of six months.
- 4. The Government shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under this Guarantee or indemnity, from time to time to vary any of the terms and conditions of the said contract or the advance or to extend

time of performance by the said Contractor or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the said contractor and either to enforce or forbear from enforcing any of the terms and conditions governing the said Contract or the advance or securities available to the Government and the said Bank shall not be released from its liability under these presents by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reasons of time being given to the said Contractor or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor or of any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have the effect of so releasing the Bank from its such liability.

- 5. It shall not be necessary for the Government to proceed against the contractor before proceeding against the Bank and the Guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank notwithstanding any security which the Government may have obtained or obtain from the Contractor shall at time when proceedings are taken against the Bank hereunder be outstanding or unrealized.
- 6. We, the said Bank lastly undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing and agree that any change in the constitution of the said Contractor or the said Bank shall not discharge our liability hereunder.

Dated this day	20	
For and on behalf of the Bank	[Name and Designation]	
	ed by the President of India/ Governor of the	
Or:		
OI.		
India/	For and on behalf of the President of	Ī
illuid/		
	Governor of the State of	
	[Name and Designation	n]

Note:
* For proprietary Concerns
Shri
*For Partnership Concerns
[1] Shri Son of resident of
[2] Shri
*For Companies

S/Shri ...... A company under the Companies Act, 1956 and having its

\*\*Fill in name of the Bank

otherwise include its successors and assign].

DOS/ ISRO PART-III: FORMATS E-95

## **FORMAT 4**

## **AFFIDAVIT**

i/ vve, nave submi	lieu a bank i	guarantee for the wor	K	
(Name	of	work)	Agreement	No.
		dated		from
	•		ess) to the Group Head, C	
•	•		emption from payment o	•
•	•	•	e intact by getting it exte	
			of	
			irected by the Engineer-ir	
	_			
-		ment against any loss	ses arising out of non-enc	ashment of
the Bank guarantee	e, ir any.			
Note: This affidavit	is to be giver	n by the executant bet	fore a first class Magistrat	e.
				•
			Signature with leg	jal address
Witnesses:				
1)				
2)				

### **FORMAT 5**

### **INDEMNITY BOND**

N	$\sim$	t	Δ.
1 /	U	Ľ	⋾.

The contractor shall furnish an indemnity bond in	non-judicial stamp paper worth
Rs.100/- within ten days of the acceptance of the tender as	s per the format given below:

Whereas the first party is the contractor for the said work and whereas the first party has agreed to comply with the clause 19 of the General Conditions of Contract (GCC) for the said work.

Now this deed witnesses that the first party agrees to be liable to indemnify the Government/ second party in accordance with clause 19 in General Conditions of Contract (GCC) for the said work and shall at all times keep the Government/ second party indemnified against all future claims in respect of the said clause and first party also agrees to indemnify the Government/ second party against or in respect of all charges, costs and damages which the Government/ second party may incur on account of default made by the first party in respect of the said clauses.

In witness whereof the first party has signed this bond on the date first above written in the presence of the following witnesses.

Signature of First party

## Witnesses:

1)	١.													
,														

2)